राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९५८ का ७४वां दिवस [संख्या ४२

गुरुवार, २४ अप्रेल, १९५८

विधान सभा की बैठक सांय ४ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १५७०

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५७१

श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

संचालक, वन विभाग के लेखकों का पुष्टिकरण

१५७२. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा सु०) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सी. सी. एफ. के ऑफिस में बी. ए. पास कई क्लर्क २-३ वर्ष से एल. डी. सी. के पद पर कार्य कर रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो श्री रामपुरुषोत्तम को जो मैट्रिक पास है, एक वर्ष में ही कन्फर्म करने का क्या कारण है ?

(ग) नियमानुसार कितने वर्ष कार्य करने के बाद कन्फर्म किया जाता है ?

(घ) क्या श्री रामपुरुषोत्तम को कन्फर्म करने में राज्य नियम का ध्यान रखा गया है ?

(ङ) यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास वन मंत्री की अनुपस्थित में) : (क) जी हां।

(ख) श्री रामपुरुषोत्तम जू. सुपैरवाइज़र हैं, एल. डी. सी. में ग्रेजुएट होने के कारण श्री रामपुरुषोत्तम के मैट्रिक होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों कि एल. डी. सी.

Page No.2

(श्री दामोदरलाल व्यास)

और जू-सुपरवाइज़र के दो भिन्न भिन्न केडर हैं, एक सम्मिलित केडर नहीं है।

(ग) कन्फर्मेशन के लिये कोई समय निश्चित नहीं हैं प्रमोशन के समय में काम अच्छा रहता है, तो कन्फर्म कर दिया जाता है वरना प्रोबेशन का समय बढ़ा दिया जाता है।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय : काम अच्छा है या बुरा, इसकी जांच कौन करता है?

श्री दामोदरलाल व्यास : सुपीरियर ऑफिसर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिनका कन्फर्मेशन नहीं किया है, उनका काम अच्छा नहीं है?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग मेरिट्स पर होता है, काम भी देखा जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जनरली क्या किया जाता है?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रोबेशन पीरियड में काम ठीक होता है तो कन्फर्म कर दिया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या प्रमोशन करते समय एज्युकेशन का ख्याल नहीं रखा जाता है?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह भी एक फैक्टर है

श्री मुरलीधर व्यास : कन्फर्म करने में कितना समय लगता है, दस साल, बीस साल या कितना समय निर्धारित है?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको काम करने का मौका दिया जाता है, जिनका काम ठीक होता है उनको कन्फर्म कर लिया जाता है और काम ठीक नहीं हो तो अलग भी किया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके लिये कितना समय निर्धारित है? एक साल, दो साल या तीन साल कुछ तो समय निर्धारित होगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऑर्डिनेरिली एक साल में किया जाता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि जितने भी एल. डी. सीज़ हैं उनको ३ साल काम करने के बाद प्रमोशन मिलता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आम तौर से जगह खाली होती है तब प्रमोशन मिलता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि जिन्होंने तीन तीन साल तक काम किया है वे अब भी बगैर कन्फर्म हुए बैठे है?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह हाईपोथैटिकल क्वेश्चन है, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता। यदि किसी खास आदमी के लिये पूछा जाय तो जानकारी करके कहूंगा कि उसमें क्या खामी

Page No.3

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हैं क्या नहीं है। रूल्स बने हुए हैं उनके तहत प्रमोशन आदि होते हैं। यदि कहीं पर रूल्स का ब्रीच हुआ हो तो ऐसी शिकायत सामने हो तो पता लगाया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह प्रश्न एक व्यक्ति के लिये नहीं है, यह तो सामुहिक न्याय की चीज़ है। सामुहिक दृष्टि से इस प्रकार की जो चीज़ होती है उसके बारे में ही पूछा जा सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रमोशन, कनफर्मेशन आदि के लिये रूल्स बने हुए है उनका कहीं ब्रीच हुआ हो तो आप ध्यान में ला सकते हैं।

संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क विभाग

१५७३. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): Will the Minister in charge of Public Relations be pleased to State :

(a) Is it correct that the integration of services of the following officers in the Directorate of Public Relations is not yet been done ?

(1) C. G. Varshnay, Dy. Director, (2) M. D. Jain, Asstt. Director (3) G. L. Vyas, Scrutiny officer, (4) Saras Viyogi Liaison officer, (5) S. M. Swarup, P. R. O., (6) Ganesh Kewalia, P. R. O., (7) A. P. Sharma, P. R. O., (8) J. A. Bohra, P. R. O., (9) F. Pandit, P. R. O., (10) Chhatrapati Singh, P. R. O., (11) G. P. Mathur, Asstt. Editor (12) P. C. Joshi, Enquiry officer, (13) Idan Singh Asstt Editor.

(b) It is correct that three persons have now been asked to appear before R. P. S. C. for their confirmation though they are exempted from appearing before R. P. S. C. under S. R. Act as well as under rule 4, R. P. S. C. (Limitation of Functions) Regulations, 1951.

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (a) Out of the list referred to by the Hon'ble Member, substantive postings have been decided in resrect of 7 persons as a course of integration. Cases of three persons, for providing some substantive posts, are under consideration of the Government. The remaining officers (Sarva shri C. G. Varshaney, M. D. Jain and Saras Viyogi) are working temporarily and their cases are being exmined separately.

(b) It is not know which three persons have been referred to by the Hon'ble Member. As a matter of fact posts held in officiating or temporary capacity by 11 persons out of the lists were reffered to the R. P. S. C. for selections. Nothing has been done against the provisions of the S. R. G. Act or rule 4 of the P. P. S. C. (Limitation of Functions) Regulations 1951.

श्री पी. के. चौधरी : On a point of information, Sir. It is not there. It should be corrected as, "whether these persons have now been asked to appear." It is not 'three' but it is 'these'.

श्री रामकिशोर व्यास : I collected

Page No.4

(श्री रामकिशोर व्यास)

infromation whatever was printed in the list of question.

श्री पी. के. चौधरी : On a matter of information. Under the S. R. Act they are exempted from appearing from Rajasthan Public Service Commission.

श्री रामकिशोर व्यास : We have got no information. Whatever information was asked for I have given.

श्री पी. के. चौधरी : My question is whether it is correct that....

श्री अध्यक्ष : अब आप इनफर्मेशन दे सकते हैं क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास जो कॉपीज़ हैं उनमें '३' हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न में भी '३' लिखा हुआ है। It is here before me.

श्री पी. के. चौधरी : Sir, I have sought information about the officers mentioned in my question. I do not know, how 'three officers' have been printed.

श्री रामकिशोर व्यास : किसी रूल का वायोलेशन किया है तो बतावें।

श्री पी. के. चौधरी : Persons are being confirmed under the Rules 1951. It is a violation of Rules.

श्री रामकिशोर व्यास : No information.

श्री पी. के. चौधरी : It is there Sir. It is in the Rules.

I have specifically asked that it is not necessary for those persons to appear before the P. S. C. under rule 4, of the R. P. S. C. Regulations.

श्री रामकिशोर व्यास : I have nothing to add.

श्री पी. के. चौधरी : I have got information that inspite of the provision of S. R. Act...

श्री अध्यक्ष : If you know this, why do you ask him.

श्री पी. के. चौधरी : He is not giving information to my question.

श्री रामकिशोर व्यास : This matter is under consideration.

श्री पी. के. चौधरी : What about the remaining 5 persons.

श्री रामकिशोर व्यास : Under consideration.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५७४

श्री प्रभुलाल पुरोहित

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५७५

श्री धन्नालाल हरित।

(अनुपस्थित)

Page No.5

नगरपालिकाएं, सवाई माधोपुर

१५७६. **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—(क) सवाई माधोपुर ज़िले में कितनी म्युनिसिपैलिटियां हैं, उनका तीन साल का खर्चा और आमद क्या है ?

(ख) क्या यह सच है कि ये म्युनिसिपल बोर्ड सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता पर ही निर्भर है ? यदि हां, तो इनको ये सहायता कब तक प्राप्त होती रहेगी ?

(ग) यह सहायता अब तक किस हिसाब से दी गई है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्री-प्रसाद गुप्ता) : सवाई माधोपुर ज़िले में ५ नगरपालिकाएं हैं। १. सवाई माधोपुर (२) गंगापुर (३) हिन्डौन, (४) करौली और (५) टोडाभीम । उनके तीन साल के आमद खर्च के हिसाब की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । यह सही नहीं है कि उपरोक्त म्युनिसिपल बोर्ड केवल सरकारी सहायता पर ही ज़िन्दा हैं। म्युनिसिपल बोर्डों को सहायता आवश्यक जन हितकारी कार्यों को सम्पन्न कराने हेतु दी जाती है। सन् १९५३–५४ तक जो सहायता दी गई वह उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही थी। सन् १९५४–५५ व १९५५–५६ में सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ को १२ आना प्रति व्यक्ति व टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ को ८ आना प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी गई थी । सन् १९५६–५७ और ५७–५८ में टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ को १० आना प्रति व्यक्ति व सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ को ८ आना प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी गई है । सहायता कब तक प्राप्त होती रहेगी इस सम्बन्ध में अभी तक सरकार का कोई निश्चित निर्णय नहीं है ।

सड़क निर्माण, झुंझुनू

१५७७. **श्रीमती सुमित्रा** (पिलानी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में झुंझुनू ज़िले में कौन कौन सी सड़कें बनाने की योजना है और उनमें अभी तक कितना काम हो चुका है ?

(ख) क्या बिसाऊ से गांग्यासर की सड़क भी इसमें सम्मिलित है ?

राजस्वमंत्री श्री दामोदरलाल व्यास (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की ओर से) : (क) निम्न सड़कों पर कार्य होने की योजना है :–

मेटेल्ड रोड : शाहपुरा से नीम का थाना, सींथाना चिड़ावा झुंझुनू ।

पेन्टिंग : झुंझुनू से सीकर वाया मुकुन्दगढ़ ।

मेटेल्ड रोड : सीकर से झुंझुनू वाया मुकुन्दगढ़ ।

" " : झुंझुनू से मंडावर ।

" " : झुंझुनू से श्री माधोपुर वाया गुढ़ा तथा उदयपुर ।

" " : मुकुन्दगढ़ रेल्वे स्टेशन से कस्बा ।

" " : सूरजगढ़ से चिड़ावा ।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

डामर " : शाहपुरा से झुंझुनू।

" " : झुंझुनू से सीकर।

" " : लोहाल से चिलानी रोड़।

लगभग ५,२०,००० रुपये की धन-राशि का।

(ख) जी नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या राजस्थान सरकार के पास कोई ऐसी योजना है जिसके आधार पर कह सकते हैं कि इस ज़िले की सड़क बनाना पहले जरूरी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, हर ज़िले में कौन कौन सी सड़कें बनेंगी, यह हर साल के लिए दिया गया है, १९५६-५७ में कितनी १९५७-५८ में कितनी, यह बताया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : कौनसे ज़िले में प्राथमिकता देना जरूरी है, या यह सड़क जरूरी है, ऐसी कोई योजना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में हर ज़िले में रोड्स अलॉट कर दी गई हैं, इसलिये प्राथमिकता का सवाल नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : यह किसने तय किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेंट ने तय किया है।

श्री मूलचन्द डागा : किस अधिकार से ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसमें अधिकार का क्या सवाल है ? The Minister does it.

श्री पी० के० चौधरी : I would like to know how every road gets the priority. The priority is fixed on certain criteria and some roads get priority.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज़ किया कि फाईव ईयार प्लान में हर रोड के लिए डिसाइड कर रखा है, इसलिए प्रायोरिटी देने का प्रश्न नहीं है। हमने रोड्स के लिए पहले से अमाउन्ट अलॉट कर रखा है। इसलिये प्रायोरिटी का डिस्प्यूट नहीं है।

श्री तेजमल बापना : झुंझुनू ज़िले से जो रिप्रेजेन्टेशन आये, उनके आधार पर प्रायोरिटी पर विचार किया गया योजना बनाते वक्त या दफ्तर में बैठ कर योजना बनाई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, ज़िला विकास समिति की राय ली गई।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

श्री तेजमल बापना : मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल गलत है।

श्रीमती सुमित्रा : मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या भूतपूर्व निर्माण मन्त्री जी ने इस सड़क के लिए आश्वासन दिया था ?

Page No.7

श्री तनसिंह (मन्त्री महोदय से) : जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष : वे प्रश्न पूछ रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा : क्या माननीय मंत्री की जानकारी में है कि भूतपूर्व निर्माण मंत्री ने इस सड़क के लिए आश्वासन दिया था?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसा आश्वासन दिया या नहीं।

श्रीमती सुमित्रा देवी: क्या जानकारी कर बतायेंगे?

श्री दामोदरलाल व्यास : अब आप जानकारी दे रही हैं, तो मैं जानकारी करूंगा कि आया कोई आश्वाशन दिया था या नहीं।

श्री पी के. चौधरी : माननीय मंत्रियों द्वारा जो आश्वासन दिये जाते हैं उनका रिकार्ड रहता है या नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास : एश्योरेन्स कमेटी के पास रहता है।

श्री पी.के. चौधरी : पब्लिक मीटिंग में आश्वासन देकर आते हैं, उसका कोई रिकार्ड रखा जाता है?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसका रिकार्ड नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टेप-रिकार्डर होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

ग्राम अखेपुरा तहसील नावां के बलाई गोपी को जाटों द्वारा मारपीट कर गांव से भगा देने के संबंध में की गई शिकायत

१४७८. **श्री रामनायण वर्मा** (पीपलदा) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम अखेपुरा तहसील नावां के गोपी आत्मज गिद्धा बलाई को उसी ग्राम के जाटों ने मारपीट कर भगा दिया तथा उसके सामान एवं ज़मीन छीन ली?

(ख) क्या यह भी सही है कि इसकी शिकायत पुलिस उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की?

(ग) क्या पुलिस की जांच के बाद उक्त घटना सही साबित हुई?

(घ) क्या सरकार इस गरीब को अपना सामान तथा ज़मीन लौटाने की व्यवस्था करेंगी?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास)

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठाता।

(घ) यह भी प्रश्न नहीं उठता।

श्री लादुराम : क्या यह प्रश्न झूठा 'पुट अप' किया गया है?

श्री रामकिशोर व्यास : क्या?

Page No.8

श्री लादुराम : क्या यह प्रश्न पुट अप किया गया है, यह झूठा पुट अप किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सुनाई नहीं दे रहा है ?

श्री लादुराम : आपका लाउड स्पीकर खराब है।

श्री अध्यक्ष : उनको पूछने दीजिये।

श्री लादुराम : आपने प्रश्न के उत्तर में बताया है 'जी नहीं' तो क्या प्रश्न झूठा रखा गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह आप जाने कि प्रश्न झूठा या सही रखा है।

श्री लादुराम : इसमें साफ लिखा है कि क्या उसका सामान एवं ज़मीन छीन कर उसे गांव से निकाल दिया गया और उस पर क्या कार्यवाही की गई, उसके उत्तर में आपने कहा जी नहीं। क्या प्रश्न गलत है।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर खुद ही छोड़ कर चला जाय, तो गवर्नमेंट क्या करे।

श्री पी० के० चौधरी : आपने जांच कब करवाई थी, When did you enquire in to the matter ?

श्री अध्यक्ष : There is certain procedure. The whole thing cannot be discussed here. The Government has certain machinery for enquiring into such matters as a result of which he gives the information.

श्री पी० के० चौधरी : क्या जांच में यह पाया गया कि वहां के लोगों की वजह से गांव छोड़ कर चला गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री पी० के० चौधरी : क्या जांच में बताया गया है कि वह क्यों छोड़ कर चला गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसलिए कि वो परेशान था।

श्री पी०के० चौधरी : परेशानी का क्या कारण था ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह गांव वालों से परेशान था।

श्री पी० के० चौधरी : आपने फर्माया कि परेशान था। परेशानी क्या थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : परेशानी यह थी कि वह दूसरी जगह का रहने वाला था, वह उस गांव में आ गया। गांव वालों ने मेहरबानी करके उसे जमीन बता दी। उस जमीन में एक कूआ था, उससे गांव वाले पानी लेते थे। जब उस आदमी को उसका पट्टा मिल गया तो उसने सब लोगों का आना बन्द कर दिया। इससे गांव वालों को नाराजी हुई और वह छोड़ कर चला गया।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, पाली द्वारा औषधियों की खरीद

१५७६. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या

Page No.9

(श्री मूलचन्द डागा)

स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाली जिले के डी. एम. एच. ओ. ने पिछले १२ महीनों में कितनी धनराशि की दवाइयें किस फर्म से खरीदी ?

(ख) क्या इन दवाइयों को खरीदने के लिए टेन्डर मांगे गए थे ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) पाली जिले के डी. एम. एच. ओ. ने पिछले महीनों में ३०,००० रु० की दवाइयों खरीद की । ये दवाइयां एप्रूव्ड टेन्डर्स से तथा पाली व जोधपुर के निम्न केमिस्टों से खरीद की गई:-

१. उमेद ड्रग हाउस, पाली ।

२. मेसर्स डी. एस. भाटी, पाली ।

३. मेसर्स आशीराम रामचन, पाली ।

४. मेसर्स पेरिवाल ब्रादर्स, जोधपुर ।

५. मेसर्स डिस्पेन्सिंग केमिस्ट, जोधपुर ।

(ख) जी हां । सभी दवाइयां स्टोर्स पर्चेज़ रूल्स के अनुसार खरीद की गई हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या टेन्डर सिर्फ पाली से मांगे गए थे या जयपुर से भी मांगे गये थे ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि जयपुर की बात नहीं है पाली की बात है, इसलिए पाली से टेन्डर इन्वाइट किये हैं । वैसे जयपुर से भी टेन्डर भेजे थे ।

श्री पी० के० चौधरी : Tenders were for a very big amount of Rs. 50,000/- so whether the tenders were invited from Jaipur or simply from Pali ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा है कि एप्रूव्ड टेन्डर्स हमारे डिपार्टमेंट के होते हैं, वे सारे हिन्दुस्तान से मांगे जाते हैं । अगर लोकली दवाओं की जरूरत होती है, तो वे वहां से खरीद लेते हैं । जो ५० हजार की खरीद है, इसमें मेजर पार्ट सारे हिन्दुस्तान के एप्रूव्ड टेन्डर का है ।

श्री पी० के० चौधरी : एप्रूव्ड टेन्डर क्या होता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : परचेज कमेटी टेन्डर मन्जूर करे और फिर दवाइयां खरीदें, वो उसे एप्रूव्ड टेन्डर से खरीदते हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : कमेटी रेट्स एप्रूव करती है, टेन्डर एप्रूव नहीं करती है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कमेटी जो रेट्स तय करती है, उसके अनुसार खरीदना पड़ता है ।

श्री शंकरलाल : इन टेन्डर्स का पब्लिकेशन नहीं किया गया है और खरीददारों ने बुला कर टेन्डर ले लिए हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लोकल रिक्वायरमेंट के लिये यह परचेज कमेटी के रूल्स के मुताबिक है । जो एप्रूव्ड टेन्डर होते हैं, उनके लिये टेन्डर कॉल करके खरीद कर लेते हैं ।

श्री शंकरलाल : ये जो टेन्डर कॉल किये गये हैं, उनका पब्लिकेशन हुआ था

Page No.10

(श्री शंकरलाल)

नहीं ? जो टेन्डर मांगे गये, उनका पब्लिकेशन हुआ या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर स्टोर्स पर्चेज कमेटी द्वारा पर्चेज होती हैं तो टेन्डर कॉल किये जाते हैं। लेकिन लोकल रिक्वायरमेंट के लिये रूल्स के बिना ही खरीद कर लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

कामां पहाड़ी पर मेहराबदार नाली को चौड़ा करना

१५८०. **श्री नत्थीसिंह (कामां)**: Will the Minister for Public Works be pleased to state:-(1) Is it correct that Culvert on the Kaman— Pahari (District Bharatpur) Road at mile 13 is very small and does not allow the flood water to pass in sufficient quantity ?

(2) Will the Government take steps for widening it so that hundreds of bighas of land in village Bhaimetera and Mohammadpur, sub-tehsil Pahari, District Bharatpur be irrigated ?

श्री दामोदरलाल व्यास (रेवन्यू मिनिस्टर) सार्वजनिक निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति में) : (1) The Culvert is not so small to discharge the water except in abnormal floods.

(2) It concerns Irrigation Department.

विद्युत व्यवस्था, चम्बल विभाग कार्यालय

१५८१. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा)**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कोटा में चम्बल विभाग के कार्यालय झाला हाउस में बिजली के पंखे आदि के फिटिंग दुरुस्ती के लिये कितनी राशि का आनुमानिक व्यय था तथा कुल कितना व्यय हुआ ?

(ख) इस काम का किस व्यक्ति को ठेका दिया गया था ?

(ग) क्या यह सही है कि झाला हाउस में पहले से ही लगा सामान लगभग २६,००० रु० का था जो उक्त ठेकेदार के द्वारा अपने खर्चे में दिखाया गया है ? यदि नहीं, तो क्या झाला हाउस में पहिले का कोई बिजली का फिटिंग नहीं था ?

उप मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) झाला हाउस में चम्बल विभाग के कार्यालयों में बिजली के पंखे आदि फिटिंग व दुरुस्ती के लिए १४,३७५ रु० के व्यय का अनुमान था और १४,४१३ रुपया कुल व्यय हुआ।

(ख) उपरोक्त काम में से ३,७५५ रुपये के काम का ठेका श्रीयुत् मदनराव एन्ड सन्स, कोटा को दिया गया था और बाकी काम विभागीय रूप से किया गया।

(ग) नहीं, झाला हाउस में इस विभाग के अधिकार में आने के पूर्व वहां बिजली के पंखे आदि लगाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ वायर फिटिंग जरूर था परन्तु वह भी उपयोग के योग्य न था।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि झाला हाउस के अन्दर पहले बोर्डिंग हाउस चलता था और विद्यार्थियों के लिए पंखे वगैरह लगे हुए थे ?

Page No.11

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया कि दरअसल वहां वायरिंग जरूर था, लेकिन वह डेमेज हो गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि भाला हाउस में वायरिंग चेंज नहीं किया गया ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या पुराना वायरिंग ही काम चला रहा है ?

श्री भीखाभाई : मैंने यह बात बताई नहीं। मैंने कहा कि कुछ काम डिपार्टमेंट से कराया गया, कितना कितना काम हुआ, इसकी डिटेल्स नहीं है। मैंने कहा है कि जो काम करवाया गया है, वह तीन हजार का ही है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरे कहने का मतलब यह है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि वायरिंग का काम इसी ठेकेदार से कराया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : मैं डेफीनेटली नहीं कह सकता कि क्या क्या कार्य कराये गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल यह है कि पुराना वायरिंग हुआ था वह प्रयोग में आया या नहीं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री दयाकृष्ण विजय : पुराना वायरिंग हो रहा था, उसका एस्टीमेट लगाया गया या नहीं कि कितना वायरिंग लगा हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास: पुराना वायरिंग था, वह डेमेज हो गया था।

श्री दयाकृष्ण विजय : उसको ठीक नहीं कराया ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसको ठीक कराया, लेकिन डेफीनिट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह कन्डीशन जरूर होगी कि कितना कितना काम होगा, कितना नहीं होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : जरूर होगी, लेकिन अलग से प्रश्न पूछें, तो इतला दी जा सकती है।

श्री पी० के० चौधरी : वायरिंग के लिए दिया गया या पंखे वगैरह के लिए दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत सारे काम थे।

श्री पी.के. चौधरी : बिजली के पंखे के लिए तीन हजार दिया गया, वायरिंग के लिए कितना दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास पूरी डिटेल्स इस वक्त नहीं हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरा प्रश्न यह था कि पहले वायरिंग वगैरह थे, तो औसत बनाया गया है वह कितना है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सूचना इस वक्त मेरे नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

सरपंच मलारना डूंगर (सवाई माधोपुर) के विरुद्ध गबन के आरोप

१५८२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: क्या मलारना डूंगर (जिला सवाई माधोपुर) के भूतपूर्व सरपंच, श्री प्रभुदयाल के विरुद्ध कोई गबन का मामला निकला है? यदि हां, तो कितने का और उसमें अभी तक क्या कार्यवाही हुई है?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): जी हां। ११०८७ रु० १५ आ० ६ पाई का मामला है और यह मामला दिनांक १३.११.५७ को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इसका चालान पेश हुआ कि नहीं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: ऐसी जानकारी तो नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या इस सम्बन्ध में विभाग से स्वीकृति ली जा रही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: पुलिस इन्क्वायरी कर रही है।

डॉ० चन्द्रकला: मामला १३.११.५७ को पुलिस को सुपुर्द किया गया, तो चालान में इतनी देर होने का क्या कारण है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: यह तो पुलिस से मालूम किया जा सकता है।

श्री पी० के० चौधरी: पंचायत के रेवेन्यू में से गबन किया है या तकावी के हिसाब में से?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: गबन किया है कि नहीं यही मालूम नहीं, अकाउन्ट्स दे दिये गये हैं। पुलिस देख रही है।

श्री पी० के० चौधरी: तकावी के हिसाब में गड़बड़ी हुई है या पंचायत के रेवेन्यू के अकाउन्ट में हुई है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: वहां स्कूल बनाया गया था, उसका अकाउन्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री बेनाराम।

सहकारी विभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

१५८३. श्री बेनाराम गहलोत (लारची): क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:
(क) राजस्थान और राजस्थान के बाहर ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां पर सहकारी विभाग के कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं?

(ख) उक्त स्थानों पर कितने समय के लिये किस किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है?

(ग) क्या सरकार के समक्ष सहकारी समितियों के सरपंचों के प्रशिक्षण हेतु कोई योजना विचाराधीन है?

उप-मंत्री (श्री दौलतराम सारण):

(क) राजस्थान में जयपुर व कोटा। राजस्थान के बाहर: इन्दौर व पूना।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के अन्तर्गत राजस्थान संघ की सुविधानुसार।

(ख) जयपुर	६ माह
कोटा	११ माह

Page No.13

(श्री दौलतराम सारण)

इन्दौर	११ माह
पूना	६ माह

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ द्वारा—संघ की सुविधानुसार जयपुर में सहायक निरीक्षक व अंक परीक्षकों को, कोटा व इन्दौर में निरीक्षकों को व पूना में सहायक पंजीयकों को सरकारी शिक्षा दी जाती है।

(ग) हां।

श्री बेनाराम : एक कोऑपरेटिव इन्सपेक्टर को कितनी जगह ट्रेनिंग दी जाती है?

श्री दौलतराम : एक कोऑपरेटिव इन्सपेक्टर को एक ही जगह ट्रेनिंग दी जाती है।

श्री बेनाराम : जिन्होंने कोटा में ट्रेनिंग कर ली है, उनको इन्दौर में भेजने का क्या कारण है?

श्री दौलतराम : कोई ऊंची ट्रेनिंग के लिए भेजा होगा पर आप किसके बारे में जानकारी चाहते हैं?

श्री मुरलीधर व्यास : (ग) प्रश्न के उत्तर में कहा है कि विचाराधीन है तो क्या विचाराधीन है?

श्री दौलतराम : कोई विचाराधीन की बात नहीं कही; योजना है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या योजना है?

श्री दौलतराम : ट्रेनिंग देने के सम्बन्ध में योजना है।

मुरलीधर व्यास : क्या योजना है।

श्री दौलतराम : मैंने उत्तर दिया उसी प्रकार है?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

अर्दली, पुलिस विभाग

१५८४. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) पुलिस विभाग में अर्दली शब्द की क्या परिभाषा है तथा इनके ग्रेड क्या हैं?

(ख) क्या इनकी नियुक्ति सिपाहियों में से ही की जाती है या अलग से लिये जाते हैं?

(ग) राजस्थान में कुल कितने अर्दली हैं?

(घ) इनका क्या काम होता है?

(ङ) क्या यह सत्य है कि अर्दली के नाम पर सरकार के हजारों सिपाही रुके रहते हैं?

(च) इससे सरकार को कौन कौन सी बचत व सहूलियत है?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) इस शब्द की पुलिस विभाग में कोई अलग परिभाषा नहीं है। अर्दली की परिभाषा कृपया किसी इंग्लिश डिक्शनेरी में देखिये। पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबिल अर्दली की ३०–१–५० तथा हैड कॉन्स्टेबिल अर्दली की ग्रेड ४०–१–४५–२–५५ है।

(ख) इनकी नियुक्ति कॉन्स्टेबिल और हैड कॉन्स्टेबिल में से ही की जाती है।

Page No.14

(श्री रामकिशोर व्यास)

(ग) ७ हैड कॉन्स्टेबिल अर्दली तथा ५५३ कॉन्स्टेबिल अर्दली।

(घ) इनका काम अपने उच्च अधिकारी के कार्यालय सम्बन्धी संवाद ले जाना अपने अधिकारी के बतौर सीक्योरिटी स्टाफ काम करना है। इसके अतिरिक्त यह लोग शेडो अर्दली एवं बैटमैन का काम करते हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) ये लोग अर्दली एवं पुलिस एक्ट में दी गई परिभाषा के अनुसार पुलिस अधिकारी का दोनों ही कार्य करते हैं, अतः चपरासियों का काम करने के लिए अतिरिक्त नौकर रखने की आवश्यकता नहीं होती।

श्री मूलचन्द डागा : पुलिस विभाग में जितने अधिकारी हैं वे अर्दलीज़ से खाना बनाने का काम लेते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : (च) का जवाब नहीं दिया।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर खाना बनाने का काम लेते हैं, तो इन्डिविज्युअल शिकायत बतायें, एक्शन लिया जायगा।

एक माननीय सदस्य : कपड़े भी धोते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : हमने रीसेंटली सर्कुलर इश्यू किया है कि इनसे प्राइवेट काम न लें।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि आपने जो अर्दलीज़ की, स्ट्रैन्थ बताई हैं, उससे ज्यादा सिपाही अर्दली रखे जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि जिन कॉन्स्टेबिल्स को अर्दलीज़ में लिया जाता है और उनसे अर्दलीज़ का काम कराया जाता है, इससे पुलिस वालों का नैतिक पतन होता है?

श्री रामकिशोर व्यास : सरकारी काम के अलावा अगर कोई प्राइवेट काम लेता हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, ऐसे केसेज़ नोटिस में लाये जांय, तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामचन्द्र : साक्षात् रूप से हो रहा है सब जगह।

श्री मूलचन्द डागा : क्या ठोस एक्शन लिया है इसको रोकने के लिये?

श्री अध्यक्ष : सर्कुलर इश्यू किया है।

श्री रामकिशोर व्यास : सर्कुलर इश्यू किया है।

श्री मुरलीधर व्यास : अर्दली शब्द अपने आपमें ठीक नहीं है, इसे हटा दिया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : डिक्शनरी में इसका अपमानजनक अर्थ नहीं है।

प्रश्न संख्या १५८५

श्री अध्यक्ष : श्री बालमुकुन्द।

(अनुपस्थित)

श्री लादूराम।

Page No.15

प्रिन्सिपल कृषि कालेज, जोबनेर

१५८६. श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कृषि कालेज, जोबनेर के प्रिन्सिपल की नियुक्ति के लिये पोस्ट एड्वरटाइज़ हुई है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

(ग) क्या यह सही है कि वर्तमान प्रिन्सपल का कार्यकाल अप्रेल में समाप्त हो रहा है।

उप मन्त्री (श्री दौलत राम) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) सरकार ने लोक सेवा आयोग, राजस्थान, जयपुर के पास इस पद की पूर्ति के लिये मांग पत्र माह फरवरी में भेज दिया है और इस प्रकार के विज्ञापन करना लोक सेवा आयोग का काम है।

(ग) जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जगह कब से खाली पड़ी है ?

श्री दौलतराम सारण : खाली नहीं काम कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अप्रेल में वेकेन्सी हुई तो अभी तक एडवरटाइज़ क्यों नहीं किया गया ?

श्री दौलतराम सारण : हमने फरवरी में लोक सेवा आयोग को भेज दिया है, लोक सेवा आयोग जाने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी तक क्यों नहीं एडवरटाइज़ हुआ ?

श्री दौलतराम : लोक सेवा आयोग अपनी सुविधानुसार एडवरटाइज़ करता है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इस पोस्ट पर परमानेन्ट अपॉइन्टमेंट कब से नहीं हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : श्री के. डी. बनाया को साल भर के लिये अपॉइन्ट किया था पर सेशन के मिडिल में टाइम खत्म होता था, इसलिये और पीरियड बढ़ा दिया गया। परमानेन्ट अपॉइन्टमेंट के लिये पी. एस. सी. को लिख दिया है।

श्री पी० के० चौधरी : ५८ में पी. एस. सी. को लिखा है और एक्स्टेन्शन पहले किया था यह कैसे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अर्ज किया न कि साल भर के लिये अपॉइन्ट किया था, सेशन के मिडिल में समय खत्म होता था इसलिये पीरियड और एक्स्टेन्ड किया, एक्स्टेन्शन खत्म होने से दो महीने पहले ही पी. एस. सी. को लिख दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री बी० एन० जोशी।

कोलवा (तहसील बांदीकूई) पुलिस थाने का भवन

१५८७. श्री बी० एन० जोशी (बांदीकूई) : Will the Home Minister be pleased to state:—

(a) Is the Government aware

(श्री बी. एन. जोशी)

that there is an extraordinary shortage of accommodation at Police Station Kolwa in Bandikui Tehsil ?

(b) Is the Government also aware that there are no proper arrangements for lockup or for the custody of recovered property or firearms ect. at the Police Station ?

(c) If so, will the Government take early steps for the construction of a new 'B' class type police station building at Kolwa ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The scheme for construction of buildings for police stations at various places is under consideration of the Government. construction of police station building at Kolwa has been included in the schedule of the scheme which will be materialised as soon as funds are available.

आयुर्वेदिक कालेज, जयपुर

१५८८. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आयुर्वेदिक कालेज, जयपुर में पाठ्यक्रम क्या है ? उसकी सूची सदन में प्रस्तुत करें ।

(ख) आयुर्वेदिक कालेज की शिक्षा क्या राजस्थान इंडियन मेडिसन बोर्ड के नियन्त्रण में है ?

(ग) आयुर्वेदिक कालेज, जयपुर और उदयपुर में कितने अध्यापक किस किस योग्यता के तथा किस किस वेतन स्तर के हैं और किस किस श्रेणी में कितने कितने विद्यार्थी हैं ?

उप स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) नवीन एवं पुरातन दोनों ही नियमावलियों की एक एक प्रति सदन में प्रस्तुत की जाने हेतु संलग्न कर दी गई हैं उनके अवलोकन करने से पाठ्यक्रम ज्ञात हो जायगा ।

(नियमावलि पुस्तिका रुप में होने एवं विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

(ख) जी नहीं, परन्तु इंडियन मेडसन बोर्ड के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं की उपाधियों को रजिस्ट्रेशन के निमित्त मान्यता देने की व्यवस्था है ।

(ग) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : इसमें प्रश्न यह था कि आयुर्वेदिक कालेज की शिक्षा क्या राजस्थान इन्डियन मेडिसन बोर्ड के नियन्त्रण में है, इसका आपने उत्तर दिया कि जी नहीं, परन्तु इन्डियन मेडिसन बोर्ड के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं की उपाधियों के रजिस्ट्रेशन के निमित्त मान्यता देने की व्यवस्था है । प्रश्न यह पूछा गया कि एक्ट में क्या व्यवस्था है, यह नहीं पूछता कि मान्यता देते हैं कि नहीं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : एक्ट में भी वही है जो उत्तर दिया गया है ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या परीक्षाओं की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : परीक्षाओं की कोई बात नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : जब यह है कि ५ वर्ष का पाठ्यक्रम होगा और आपने सूची दी है उसमें ६ वर्ष का है तो यह क्या गड़बड़ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले ६ साल का कोर्स था अब ५ साल का है। दोनों सूचनाएं आपको दे दी हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : दूसरा सवाल यह है कि आया आयुर्वेद की परीक्षाओं को युनिवर्सिटी के अन्दर में दे रहे हैं क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके सम्बन्ध में पहले जवाब दे दिया है।

डा० बहादुरसिंह : दूसरी बात यह है कि प्रोफेसरों को वेतन जो दिया जाता है, वह मेडिकल के बराबर है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा नहीं है। इसके लिये भी पहले कहा जा चुका है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि जयपुर में भिषगाचार्य में ७ व्यक्ति हैं और उदयपुर में एक ही विद्यार्थी है, तो क्यों नहीं दोनों को एक में ही कर दिया जाए और जयपुर रख दिया जावे।

श्री पी० के० चौधरी : एक विद्यार्थी के लिये कितने अध्यापक रखे गये हैं ?

श्री भीखाभाई : मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयपुर में २७ लड़के हैं, जबकि उदयपुर में १२ हैं। अगर कोई बीच में लड़के कम हो जावें, तो इसका मतलब यह नहीं कि उस इन्सटीट्यूट को समाप्त कर दिया जाए।

डॉ० चन्द्रकला : मेरा कहने का मतलब यह है कि भिषगाचार्य के अन्तिम वर्ष में जयपुर में ७ लड़के हैं और उदयपुर में एक लड़का है। सेकिन्ड इयर में १२ लड़के हैं फर्स्ट इयर में १६, इसका मतलब यह कि प्रवेश कम हो रहा है, तो फिर क्या फायदा है दो जगह चलाने से।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नये जो रूल्स बन जावेंगे, तो आशा है प्रवेश ज्यादा हो जावेगा।

डॉ० बहादुरसिंह : उदयपुर में भीष्क-वर्ग में १६ लड़के हैं प्रथम वर्ष में। अब १२ रहे हैं सेकिन्ड इयर में। संख्या कम हो गई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो फेल होते हैं वे रह जाते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : फेल होते हैं तो संख्या बढ़ जाती है। एडमीशन १२ ही हुए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फर्स्ट इयर में १३, दूसरे में ६ तीसरे में ४ हैं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि उदयपुर में जो आयुर्वेदिक कालेज है उसको सरकार जयपुर में लाने की सोच रही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हम तो आयुर्वेद के कालेज बढ़ाना चाहते हैं।

श्री बी० एन० जोशी : जहां एक ही विद्यार्थी है ..

श्री बद्रीप्रसाद : ५२ स्टडेन्ट हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री बीराराम।

सिरोही के रेबारियों के द्वारा चारागाह की व्यवस्था के लिए दिया गया आवेदन पत्र

१५८६. **श्री बीराराम** (सिरोही) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सिरोही जिले के रेबारियों की कोई अर्जी उनके ऊंट, भेड़ व बकरियों के चराने की समस्या को लेकर आई है ?

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त रेबारियों के जानवर सदा से ही सिरोही के छोटे जंगलों में निःशुल्क व बड़ों में शुल्क देने पर, चरते आ रहे हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, वन मंत्री की अनुपस्थिति में) :

(क) जी हां।

(ख) उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई है।

(ग) जी नहीं।

श्रीमोहब्बत सिंह : सरकार ने उनको एक दम क्यों रोक दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सिर्फ वे फोरेस्ट जो दफा ४ रिजर्व फोरेस्ट एक्ट की तहत में आते हैं बन्द कर दिए गए हैं बाकी बीड काटने के बाद चराई के लिए उनको इजाजत है।

एक माननीय सदस्य : क्या सरकार के ध्यान में यह भी है कि जब वे दूसरे जिले में आते हैं तो उनको डबल चराई देनी पड़ती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बंबई से सिरोही लोग आते हैं। काफी जगह हैं।

एक माननीय सदस्य : उन लोगों का डेपुटेशन सरकार के पास कितनी दफे आया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आया है। मगर कितनी बार आया यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार चराई की व्यवस्था करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : चराई का प्रबन्ध है। रिजर्व फोरेस्ट एरिया के अलावा बीड कटाने पर चराई की व्यवस्था है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनका डेप्युटेशन कितनी दफा मिला ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वन मंत्री से मिला होगा।

प्रश्न-संख्या १५६०

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

Page No.19

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या १ ६१

श्री सूबेदार सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शिवचरणदास ।

चराई की वसूली

१५६२. श्री शिवचरणदास (मांडल) : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जंगलात विभाग के रिजर्व जंगलों के अतिरिक्त स्थानों की भी चराई सरकार वसूल करती है ?

(ख) यदि हां, तो किस किस जानवर की कितनी कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ग) क्या यह चराई इन साल में बढ़ा दी गई है ?

(घ) यदि हां, तो किस किस पर कितनी कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास वन मन्त्री की अनुपस्थिति में) :

(क) जी हां।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री संपतराम : यह चराई किस कानून के अन्तर्गत ली जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग युनिटों में अलग अलग रेट्स थीं। एक रेट सब जगह मुकर्रर नहीं की गई हैं।

श्री संपतराम : मैं यह पूछ रहा हूँ कि किस कानून के अन्तर्गत यह चराई ली जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बीड्स सरकारी है और ऑफिसर भी रखते हैं इसलिए कुछ न कुछ तो . .

श्री संपतराम : मैं झालावाड़ जिले के संबंध में कहना चाहता हूँ कि काश्तकार मवेशी रखते हैं उनके मवेशी जंगल में नहीं जाते फिर भी उनको चराई देनी पड़ती है, क्या यह सच है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री संपतराम : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि काश्तकारों के जानवर चरने के लिए नहीं जाते फिर भी उनसे लिया जाता है।

श्री भीमसेन : (अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र : क्या एक दिन के बच्चे की भी चराई ली जाती है ?

श्री संपतराम : जितने जानवर हैं चाहे सरकारी ग्रेजिंग लैन्ड पर चरने के लिए जावें या न जावे फिर भी उनसे चराई ली जाती है।

Page No.20

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। आप सूचना दे रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : एक दिन के बच्चे की भी चराई ली जाती है।

श्री रामचन्द्र : मैं यह निवेदन करूंगा कि क्या एक दिन के बच्चे की भी चराई ली जाती है ?

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि रिजर्व फोरेस्ट के अलावा भी चराई वसूल की जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : All forests are decreitly under the control of the Government. इन सब पर चराई वसूल की जाती है।

श्री शिवचरणदास : आप इसको हिन्दी में बतावें।

श्री दामोदरलाल व्यास : रिजर्व फोरेस्ट, प्रोटेक्टेड फोरेस्ट यानि सुरक्षित वन।

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि ऊंट की चराई १२ आना से बढ़ा कर २ रु० कर दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग जगह के लिए अलग चराई की रेट थी। आप किसके लिए पूछ रहे हैं ?

श्री शिवचरणदास : आपने यह कहा था कि रेट्स बढ़ाई नहीं गई हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि १२ आने से दो रुपए कैसे हो गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी तो यही है कि पहले थी वही रेट्स हैं। यदि माननीय सदस्य मुझे बतावेंगे, तो मैं जानकारी करूंगा।

श्री शिवचरणदास : राजस्थान में ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें चराई वसूल नहीं होती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री शिवचरणदास : आपने पृष्ठ तीन पर बताया है कि जोधपुर, अजमेर और मत्स्य में रिजर्व जंगलों के अलावा और कहीं से फोरेस्ट डिपार्टमेंट चराई वसूल नहीं करता।

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां के युनिट कलॉज़ ऐसे होंगे।

श्री शिवचरणदास : इसके लिए दो तरीके कैसे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने पहले ही इसके लिए कह दिया कि इनको एक करने की कोशिश की जा रही है।

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि सिरोही में दूसरे स्थानों की अपेक्षा रेट कम ली जाती है ?

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि उनकी रेट्स कम हैं और एक करने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री शिवचरणदास : क्या सरकार रिजर्व फोरेस्ट के अलावा जंगल हैं उनको बंद करवा रही है ?

Page No.21

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास।

विद्युत वितरण सम्बन्धी नियम

१५६३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : यह गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-(क) क्या सरकार ने बिजली देने के सम्बन्ध में रूल्स एण्ड रेगुलेशन बनाये हैं ?

(ख) क्या सरकार को रूल्स बनाने का अधिकार है ? यदि हैं, तो किस एक्ट की कौनसी धारा के अधीन ?

उप स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई गृह मन्त्री की अनुपस्थिति में) :

(क) हां। राज्य सरकार ने विद्युत एवं श्रम विभाग के पॉवर हाउसों से विद्युत सप्लाई करने के लिये नियम बनाये हैं।

(ख) बिजली सप्लाई करने वाला कानून के दायरे में अपनी शर्तें रख सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : कौनसे कानून के दायरे में रखा है ?

श्री भीखाभाई : इलेक्ट्रिक एक्ट की तरह स्टेट ओन्ड पॉवर हाउस है उसके द्वारा नहीं लागू होता। राजस्थान सरकार ने नियम बनाये है कॉन्ट्रेक्टर्स और सप्लाइयर्स के दरमियान में और कॉन्ट्रेक्ट को कायम रखने के रूप में रूल्स बनाये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार को रूल्स बनाने का अधिकार है और है तो किस धारा के अनुसार ?

श्री रामकिशोर व्यास : इनको कॉन्स्टीट्यूशनली रूल्स नहीं कह सकते। लेकिन जब कोई कॉन्ट्रेक्ट होता है, तो डिपार्टमेंट अपनी शर्तें तो रख ही सकता है और उसके अनुसार कोई बिजली लेना चाहे, तो कर सकता है और नहीं लेना चाहे तो नहीं कर सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस प्रकार के रूल्स एप्रूव किये हैं या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : एप्रूव तो गवर्नमेंट ने किये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : कब किये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : गवर्नमेंट ने तो बनाये ही हैं।

एम्पलायमेन्ट ऑफिसर्स के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का पुष्टीकरण

१५६४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या श्रम मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि एम्पलायमेंट ऑफिसर के पद अस्थायी होते हुए भी कई इस पर स्थायी कर दिये गये हैं ?

(२) यदि हां तो कितने आदमियों को इस प्रकार स्थायी किया गया है और बाकी को स्थायी न करने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (१) जी नहीं। लेकिन स्थिति यह है कि जनसेवा आयोग द्वारा चुनाव कर दिये जाने के कारण से

Page No.22

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

सरकार से भूल से नुक्तियां को स्थायी मानने की आज्ञा कर दी गई थी। विभाग के ही अस्थायी होने के कारण इस प्रश्न का पुनरावलोकन किया जा रहा है।

(२) क्योंकि विभाग के स्थायित्व का प्रश्न ही अभी सरकार के विचाराधीन है, अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : एक के बारे में जो गलती की गई वह कौन व्यक्ति है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : श्री वाजपेई थे उनके कर दिया गया था किन्तु उनको केस को भी रिवाइज किया जा रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या उस गलती को सुधारा जा रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां

गेंडाली व लाखेरी रोड (बून्दी)

१६६५. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हिन्डोली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या ज़िला बून्दी में गेंडाली व लाखेरी रोड की योजना पहली पंच वर्षीय योजना में रखी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क अभी आधी भी नहीं बनी है।

(३) यह सड़क कब तक पूरी बनकर तैयार होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) :

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) आशा है मार्च १६५६ तक।

श्री भंवरलाल : क्या यह सही है कि इस सड़क को पहली पंच वर्षीय योजना में भी रखा था किन्तु वह अभी तक बन नहीं पायी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जैसा कि जवाब में अर्ज किया पहली पंच वर्षीय योजना में ३ लाख ७५ हज़ार ५०० रुपये स्वीकृत हुए थे उसमें से पहली पंच वर्षीय योजना में ३ लाख २८ हज़ार रुपये के करीब खर्च किया जा चुका है बाकी जो काम रहा है वह द्वितीय पंच वर्षीय योजना तक यानि १६५६ के अन्त तक पूरा होने की आशा है।

पाली में घेर (होली) निकालने पर प्रतिबन्ध

१५६६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि इस वर्ष होली के अवसर पर पाली शहर में पुलिस ने नागरिकों पर सदा से चली आ रही घेर को निकालने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहा ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रश्न पर ही पाली के कई प्रमुख नागरिकों का पुलिस ने चालान किया है ?

(३) यदि हां, तो कितने लोगों का तथा किस अपराध में ?

Page No.23

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं। घेर का जुलूस निकाने के लिये किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई थी, लेकिन धारा ३० पुलिस एक्ट के अनुसार यह आज्ञा दी गई थी कि जुलूस छीपा मस्जिद से ६-३० बजे संध्या तक गुजर जाय।

(२) जी नहीं, यह सत्य नहीं है। धारा ३० पुलिस एक्ट के नोटिस का उल्लंघन करने वाले ५४ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया किन्तु इस कारण से नहीं कि वे प्रमुख नागरिक थे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि आज दिन तक इस प्रकार का कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता था ?

श्री रामकिशोर व्यास : आवश्यकतानुसार किया जाता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : हमेशा से घेर निकलती आ रही है, कभी इस प्रकार का प्रश्न पैदा नहीं हुआ टाइम लिमिट करने का ?

श्री मूलचन्द डागा : क्या किसी ने इस प्रकार लिखकर दिया था, क्या कि लॉ एन्ड ऑर्डर को खतरा है, इसलिये टाइम लिमिट कर दी जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस प्रकार से दरख्वास्त करने की जरूत नहीं है ?

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार भारतीय त्योहारों को अशान्ति का द्योतक समझती हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : बिल्कुल नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : तो फिर इन्हीं के त्योहारों पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध क्यों लगाया जाता हैं दूसरों के त्योहारों पर क्यों नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास : दूसरों पर भी लगाया जा सकता है।

श्री पी. के. चौधरी : क्या सरकार की जानकारी में है कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने से ही लोगों में उत्तेजना पैदा होती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उत्तेजना होती नहीं पर्टीकुलरली कोई करना चाहे, तो बात अलग है। आम तौर पर ऐसा है कि धुलन्डी का त्यौहार साढ़े छःबजे से पहले ही खत्म हो जाता है।

श्री शंकरलाल : क्या हमेशा ही इस प्रकार से समय निश्चित किया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे इसकी जानकारी नहीं।

रसद विभाग के कर्मचारियों का पुष्टीकरण

१५६७. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या रसद मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि सप्लाईज़ विभाग के सरप्लस कर्मचारियों को एबजोर्व किये जाने पर भी कन्फर्म नहीं किया गया है और न सिनियोरिटी के माफिक उनको प्रोमोशन ही किया जाता है ?

रसद मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : सप्लाईज विभाग के अधिकांश सरप्लस

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कर्मचारियों को जिनका कि सर्विस रिकार्ड उपलब्ध था परमानेन्ट पोस्टों पर कन्फर्म किया जा चुका है और जिनका सर्विस रिकॉर्ड अभी तक उपलब्ध नहीं है उनका रिकॉर्ड मंगाने के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सिविल सप्लाइज विभाग व दूसरे संबन्धित विभागों से पत्र व्यवहार चल रहा है और उनको उनकी वरिष्ठता एवं योग्यता अनुसार रिक्त स्थानों पर प्रोमोशन दिये जाते हैं।

सहकारी समितियां, बांसवाड़ा

१५६८. श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : क्या मन्त्री सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) बांसवाड़ा ज़िले में कितनी सहकारी समितियां बनी उनमें से कृषि के अलावा कौन कौन सी समितियां बनी, उनको कितना ऋण दिया गया और उनकी क्या प्रगति है लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) इन संस्थाओं को जो ऋण दिया गया वह किसी काम में आया ? क्या उस धन की जांच की गई ? यदि हां तो किसके द्वारा ?

(३) सरकार किसानों की सहकारी समितियां बनाने के लिये क्या ठोस कदम उठा रही है ?

(४) क्या यह सही है कि किसान सहकारी समिति के प्रत्येक शेयर होल्डर को ५ प्रतिशत ऋण दिया जाता है ? यदि हां तो क्यों ?

(५) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों के दिये गये ऋण का व्याज जो ७॥ रुपये था अब ६ रूपये वसूल किया गया है यदि हां तो क्यों तथा किसके आदेश से ?

उपमन्त्री (दौलतराम सारण) : (१) १७१ समितियां बनी । अकृषि सरकारी समितियों की वांछित सूची सदन की मेज़ पर रखदी गई है।

(२) जिन संस्थाओं को ऋण दिये गये है वे बहुधा उन्हीं उद्देश्यों के कामों में लाये गये हैं जिनके लिये कि वे दिये गये थे। धन की जांच भी बहुधा समय समय पर संबन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई है ।

(३) कृषकों की सहकारी समितियां बनाने के लिये निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :—

(१) क्षेत्रीय अमले की वृद्धि। (२) केन्द्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना।

(३) प्राथमिक मार्केटिंग क्रय विक्रय एवं ग्रामीण बहुद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना।

(४) सहकारी समितियों को प्राथमिक काल में कार्य चलाने हेतु अनुदान देना।

(४) नहीं।

(५) नहीं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये).

श्री मुरलीधर व्यास : क्या ऐसी भी सहकारी समितियां हैं जिनके हिसाब की जांच नहीं की गई ?

श्री दौलतराम सारण : कुछ समितियां जरूर ऐसी रह गई हैं जिनके हिसाब की जांच नहीं हो सकी उनकी जांच के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है जिन समितियों की जांचकी गई उनकी अधिकांश रिपोर्ट यह है कि जिस कार्य के लिए ऋण दिया गया उसमें उसका उपयोग नहीं किया गया है ?

श्री दौलतराम : मेरे पास ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : ऐसी समितियों की संख्या कितनी हैं जिनकी जांच नहीं हुई ?

श्री दौलतराम : मैं निश्चित संख्या इस समय बता नहीं सकता।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि जितनी भी समितियां बनी हैं, उनमें से किसी एक भी समिति के हिसाब की जांच नहीं हुई ?

श्री दौलतराम : ऐसी बात नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : इन संस्थाओं को कुल कितना ऋण दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल : रेट ऑफ इन्टरेस्ट आप क्या चार्ज करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सिंचाई क्षेत्रों का निर्धारण

१५९९. **श्री जयसिंह** (आसींद) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सिंचाई के क्षेत्र में इर्रिगेशन डिविज़न बनाने के लिये क्या क्राइटेरिया है ?

(२) क्या भीलवाड़ा ज़िला इस दायरे में आता है ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) :
(१) कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है।

(२) हर क्षेत्र में औसतन एक लाख एकड़ भूमि सिंचाई के लिये हो इर्रिगेशन डिवीज़न के लिए काफी समझी जाती है। जी हां।

श्री जयसिंह : यह कब निर्णय हो जायगा डिवीजन बना देने का ?

श्री भीखाभाई : विचाराधीन है फाइनेन्स में स्क्रुटिनी हो रही है।

श्री तेजमल बाफना : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न एक साल से विचाराधीन है हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं काफ़ी तालाब भी यहां बन चुके हैं अभी तक इर्रिगेशन डिवीज़न कायम नहीं किया गया है ?

श्री भीखाभाई : फाइनेन्स से निकलने के बाद यह कायम कर दिया जायगा।

राजगढ़ चूरू के ग्रामों में जल कष्ट निवारण की योजना

१६०७. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजगढ़ तह-

Page No.26

(श्री मोहरसिंह)

सील के कायरागा ग्राम में कुओं का पानी बिल्कुल खारा है ?

(२) क्या यह भी सही है कि गर्मी के मौसम में इस ग्राम के निवासी ३,४ कोस दूर से पानी लाकर पीतेहैं ?

(३) क्या इस गांव के जलकष्ट निवारण हेतु सरकार ने आज तक किसी भी योजना के तहत कोई रकम खर्च की है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(४) इसी गांव के पास हमीरवास में जल बोर्ड तथा अन्य विकास योजनाओं की तहत आज तक सरकार ने कितनी रकम खर्च की है ?

(५) क्या अब भी कायरागा गांव के जलकष्ट निवारण की तरफ सरकार का ध्यान है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : (१), (२), (३)-जी नहीं।

(४) ६६०० रुपये।

(५) अब सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है इन्क्वायरी की जा रही है ।

श्री मोहरसिंह : जी नहीं, यह आपने किस आधार पर कहा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उस आधार पर कहा, वहां तीन कुएं हैं जिनमें दो का पानी खारा है और एक का मीठा ।

श्री अनोपसिंह : क्या इस गांव के लोगों का प्रतिनिधी मडल आपसे मिला था और जल कष्ट निवारण के लिये आवेदन पत्र भी दिया था ?

श्री बद्रीप्रसादगुप्ता : न कोई प्रतिनिधि मंडल ही आया और न आवेदन पत्र ही दिया ।

श्री मोहरसिंह : यहां के जलकष्ट को निवारण करने के लिये सरकार के पास कोई योजना है ?

श्रीबद्रीप्रसाद गुप्ता : स्कीम है कुएं बनवाने के लिये सरकार सहायता देती है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने इस प्रश्न के भाग तीन का उत्तर दिया 'जी नहीं' यह कैसे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मांग नहीं आयी।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रश्न का भाग तीन इस प्रकार है क्या इस गांव के जल कष्ट निवारण हेतु सरकार ने आज तक किसी भी योजना के तहत कोई रकम खर्च की है। यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : न तो वहां से इस प्रकार की मांग आयी, इसलिये कोई रकम खर्च नहीं की गई वहां तीन कुएं मौजूद है, जिनमें से दो का पानी तो खारा है और एक कुएं का पानी मीठा है जो करीब ४०० पाँउड़े दूर है।

श्री अनोपसिंह : यह तो आप नहीं कह सकते कि वहां आवश्यकता नहीं है किन्तु सरकार इस बारे में जागरूक नहीं होगी ।

Page No.27

सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म

१६०१. श्री मनरूपराम परिहार (सारवी) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में कुल सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म कितने खुलेंगे जिनमें से कौन कौन से ज़िले में किस किस स्थान पर खुल चुके हैं और किस किस ज़िले में किन किन स्थानों पर खुलने वाले हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रक्खी जावे ।

(ख) क्या यह सही है कि पाली ज़िले में भी शीघ्र दो फार्मों का कार्य शुरू कर दिया जायेगा ?

उप मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) ४० फार्म सौ, सौ, एकड़ के और ४ पच्चीस पच्चीस एकड़ के खोलने का लक्ष्य है। ज़िलेवार स्थानों की सूचि जहां फार्म खोले जावेंगे व खुल चुके हैं संलग्न तालिका में दर्ज है ।

(ख) एक पर काम शुरू हो गया है और दूसरे के लिये ज़मीन प्राप्त होने की कार्यवाही हो रही है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री बेनाराम : (ख) का उत्तर दिया कि एक पर काम शुरू हो गया है, तो कौन से फार्म पर हो गया है ?

श्री दौलतराम सारण : यह पाली ज़िले की बात है ।

श्री बेनाराम : पाली ज़िले में यह कौन सा फार्म है ?

श्री दौलतराम : (कागज़ात देखकर) पाली ज़िले में सुमेरपुर में है ।

श्री बेनाराम : दूसरा किस जगह पर खुल रहा है ?

श्री दौलतराम दूसरा भी पाली ज़िले में है ।

श्री मनरूपराम परिहार : लिस्ट में फाड़कर खाली किया गया है, इसमें दूसरा लिखा था ।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थी सिंह ।

काला पोखर (भरतपुर) से एक नाले का निर्माण

१६०२. श्री नत्थीसिंह (कोमा) : Will the Minister for irrigation be pleased to state: (1) Is the Government aware that there is a Gularwali Sluice in the Sikari Bund, Distt. Bharatpur, passing through the area of the villages Pendka Sirathali and Sarthala of Nagar Tehsil ?

(2) Is the Government also aware that although this canal passes through these villages, there is no irrigation ?

(3) If so will the Government arrange construction of an outlet at Kala Pokhra so that about 1500 bighas of unirrigated land be irrigated yielding good produce to the cultivators and income in the shape of abiana to the Government ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (1) yes.

Page No.28

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(2) The lands of villages Sirthali and Sarthala is irrigated every year. There is no irrigation in Pendka village as levels of the land there are higher and cannot be commanded.

(3) This is not possible as the available water is insufficient even for the irrigation of the existing commanded area.

प्रश्न संख्या १६०३

श्री अध्यक्ष : श्री पन्नालाल हरित ।

(अनुपस्थित)।

श्री चन्द्रसिंह यादव ।

कोटपूतली बहरोड़ सड़क ।

१६०४. **श्री चन्द्रसिंह यादव** (बहरोड़) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: (क) क्या यह सत्य है कि कोटपूतली से बहरोड़ सड़क इस वर्ष बनाई जायगी ?

(ख) यदि हां, तो कब कार्य आरम्भ हो जायगा तथा कब तक पूर्ण होने की संभावना है ।

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस सड़क को बनाने के लिये पहले भी सरकार ने विचार किया था ?

(घ) यदि हां, तो किन कारणों से कार्य रोका गया ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): सार्वजनिक निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति में):

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । तृतीय योजना काल में ।

(ग) जी हां ।

(घ) संभवतः जनता की मांग के अनुसार ।

श्री रामकरण सिंह : क्या यह सही है कि सन् ५७-५८ के बजट में इस रोड का नाम कन्स्ट्रक्शन के लिए आया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले कोटपूतली से बहरोड़ की सड़क को प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर रखा गया था, मगर उसको सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान के अन्दर पोस्टपोन कर दिया गया था, क्योंकि वहां कोटपूतली की स्थानीय जनता की मांग थी कि इस सड़क के बजाय दूसरी सड़क ले ली जाय । इसलिए सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान के अन्दर दूसरी सड़क रखकर इस सड़क को ६०-६१ के फेज़ के अन्दर रखा गया था ।

श्री रामकरणसिंह : दूसरी कौन सी सड़क की मांग आई थी जनता की तरफ से ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरी सड़क की सूचना मेरे पास नहीं है । माननीय सदस्य चाहेंगे, तो दे दूंगा जानकारी ।

श्री रामकरणसिंह : जैसा कि अभी आपने बताया कि दूसरी सड़क की मांग आई थी, तो मांग आने की सूचना मिली है वह किस आधार पर मिली है ।

Page No.29

श्री दामोदरलाल व्यास : सूचना इस की है तरह कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसको रखा गया था, किन्तु सेकिन्ड प्लान में इसको पोस्टपोन कर दिया गया। जनता की मांग थी, बहरोड़ से कोटपूतली दूसरी सड़क लाई जाय। उसका नाम इस वक्त उपलब्ध नहीं है। मैं जानकारी करके दे दूंगा कि कौन सी सड़क है।

श्री रामकरणसिंह : आप तो जानकारी करेंगे, लेकिन मेरा अपना पूरा अनुभव है कि ३ साल पुरानी सड़क कोटपूतली से बहरोड़ की बाकी पड़ी है। बजट में कोटपूतली का नाम आया है उसे हटाकर दूसरी जगह का लिख दिया गया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : बहरोड़ से कोटपूतली का दूसरी पंचवर्षीय योजना में जल्दी ही काम शुरू हो रहा है। केन्सिल करने का काम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि बाद में शुरू किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : अभी अभी कहा है कि जनता की मांग पर बदल दिया गया है। दूसरी सड़क का कन्स्ट्रक्शन किया जा रहा है

दामोदरलाल व्यास : दूसरी सड़क को प्रायोरिटी दी गई है। इस सड़क का १९६० -६१ में प्रावधान किया गया है।

श्री रामकरणसिंह : किसी रोड को प्रायोरिटी नहीं दी गई है। बल्कि जो बजट में आया, जो रकम मन्जूर हुई उनको दूसरी जगह ट्रान्सफर किया गया था।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने अर्ज किया कि उसकी जानकारी मैं हाँसिल करके दे दूंगा। अभी जब मेरे पास सूचना नहीं है, तो कहां से दूँगा।

प्रश्न संख्या १६०५

श्री अध्यक्ष : श्री सहदेव।

(अनुपस्थित)

सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कोटा

१६०६. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-(क) क्या सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट,कोटा, में तीन वर्ष से सैकड़ों ऐसे लोगों ने प्रार्थना पत्र दिये जिनको अभी तक भी मकान बनाने के लिए जमीनें नहीं दी गई ?

(ख) क्या यह सच है कि जब तक जमीनें दी गई हैं उनमें से ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास पहले से काफी मकान हैं ?

(ग) क्या यह भी सही है कि लाखों रुपये की जमीन किसी लखपति सेठ को केवल १००) रु० में ही दे दी गई है ?

(घ) नेशनल हाई स्कूल कोटा के पास वाली जमीन जिस सेठ को दी गई उसका क्या नाम है और इस जमीन की क्या कीमत ली गई है ?

(ङ) क्या इस जमीन के लिये किसी और की भी मांग थी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) यह सच है कि सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के कार्यालय में भवन निर्माण भूमि

Page No.30

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

विक्रय हेतु सैंकड़ों लोगों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं जिनको निम्नलिखित कारणों से भूमि विक्रय नहीं की जा सकी है :— १. कोटा शहर का भाग चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में आ जाने से ज़मीन की बिक्री सरकार ने रोक दी है।

२. कोटा नगर का मास्टर प्लान राजस्थान के टाउन प्लानिंग ऑफिसर द्वारा तैयार किया जा रहा है एवं मौजूदा धान मंडी को नई जगह परिवर्तित किये जाने पर भी सरकार विचार कर रही है।

३. इम्प्रूवमेंट की सीमा का विस्तार भी सरकार के विचाराधीन है। इन सब कार्यवाहियों के फलस्वरूप वर्तमान ट्रस्ट की योजनाएँ स्थगित करनी पड़ी हैं।

(ख) गत वर्ष से पूर्व ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी जिस के अन्दर ज़मीन खरीदने वाले व्यक्तियों से उनकी मौजूदा, प्रोपर्टी के बारे में जानकारी हासिल करके ज़मीन दी जाती है। किन्तु अब कुछ ही समय पूर्व ट्रस्ट ने ऐसा निर्णय किया है कि भूमि विक्रय के पूर्व ऐसी सूचनाएं लिखित रूप से प्राप्त कर ली जावे। जिसका पालन कर लिया गया है और उसके बाद ऐसे लोगों को कोई ज़मीन नहीं दी गई है जिनके पास शहर पनाह के बाहर जमीन पहले से मौजूद हो।

(ग) यह सत्य नहीं है। वोकेशनल हाई स्कूल नयापुरा कोटा के पास की भूमि श्री मोहनलाल सांगी मेमोरियल धर्मशाला ट्रस्ट को राज्य सरकार ने स्वीकृति प्राप्त कर बिना मूल्य जन हित कार्य में धर्मशाला बनाने के लिए दिया गया है। जिसमें से कम से कम ६५,०००) रु० खर्च किये जावेंगे। श्रीमती उल्हास देवी की प्रार्थना पर ट्रस्ट ने केवल १०१ रुपया सेन्टीमेन्टल चार्ज के रूप में लिये जाने का एवं धर्मशाला ट्रस्ट के नाम से पट्टा दिये जाने का निर्णय किया है जिसके लिये कानूनी अधिकार पत्र २०) रु० के दस्तावेज़ पर लिखाये जाने की कार्यवाही हो रही है।

(घ) इसका उत्तर भाग (ग) में आ चुका है।

(ङ) यह सत्य है कि उपरोक्त वर्णित भूमि बिना मूल्य के राज्य सरकार द्वारा जैन समाज को दिगम्बर जैन धर्मशाला १,००,०००) रु० के लागत की बनाने के लिए दी गई थी, किन्तु उक्त समाज धनराशि का प्रबन्ध नहीं कर सका। अतः राज्य सरकार ने प्रार्थना कर इनके नाम पर भूमि दिया जाना रद्द कराया गया। इस भूमि को प्राप्त करने के लिए कुछ व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र दिये थे, किन्तु व्यक्ति गत पत्रों पर विचार न किया जाकर उक्त भूमि पर धर्मशाला बनाने का निर्णय ट्रस्ट द्वारा किया गया है जो कि नये बनाये गये श्री महाराज भीमसिंह चिकित्सालय में बीमारों के साथ आये हुए लोगों के ठहरने के लिये ही काम में लाई जावेगी।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या यह सही है कि बड़े बड़े लोगों को जिनके पास पहले से मकान थे और मकान देने के बाद चम्बल एरिया में बताकर कि अब जमीन नहीं दी जायगी, उन लोगों को जमीन नहीं दी गई जिनके पास मकान नहीं थे, और उनको दे दी गई। जिनके पास मकान पहले से मौजूद थे, इसकी जानकारी होते हुए भी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने विस्तृत में

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जवाब दिया है जिन कारणों से स्थगित करना पड़ा । मंडी का स्थान अलग है । दूसरी गवर्नमेंट ने एलाटमेंट कमेटी बना दी है ताकि कोटा का डेवेलपमेंट हो सके ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले से जिनके पास मकान मौजूद हैं और उनको भूमि वितरित कर दी गई है और उन्होंने मकान नहीं बनाये हैं, तो उनसे भूमि वापिस लेने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह हाइपोथेटिकल सवाल है । मेरे पास जानकारी नहीं है है कि वहां किन किन ने मकान नहीं बनाये हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : सेठ सांघी के लिए आपने फरमाया है कि उनको ज़मीन दी गई है, तो उन्होंने वहां दूकानदारों से पैसा ले लिया है दूकानें बनाकर किराये पर देने के लिए ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है ।

श्री शंकरलाल : पट्टा किस के नाम का हो गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह बताया जा चुका है ।

रतनगढ़ राजलदेसर रोड

१६०७. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) क्या रतनगढ़ से राजलदेसर तक बनने वाली सड़क के जो रुपये मंजूर हुए हैं वे लेप्स हो गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) यह सड़क कब तक पूरी बनेगी ?

(ग) रतनगढ़ से फतेहपुर (शेखावाटी) तक जाने वाली सड़क अब तक क्यों नहीं बन पायी ?

(घ) क्या यह सत्य है कि रतनगढ़ से फतेहपुर तक बनने वाली सड़क प्रथम पंच वर्षीय योजना में रखी गई थी जो कि अभी तक नहीं बनी ?

(ङ) क्या चुरू से फतेहपुर वाया रामगढ़ सेठों का होते हुए कोई सड़क सरकार ने बनाने की योजना रखी है ? यदि हां, तो यह सड़क कब तक पूरी हो जायगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, सार्वजनिक निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति में)

(क) कोई मंजूरी नहीं हुई ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) कार्य योजनानुसार किया जा रहा है ।

(ङ) ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या रतनगढ़ से फतेहपुर तक प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़क बनने को थी, वहां पर काम नहीं हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रतनगढ़ से फतेहपुर की सड़क है उसकी टोटल लेन्थ ५३ माइल है उसमें से ४१ माइल सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और बाकी चुरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है । सीकर, फतेहपुर और रतनगढ़ सड़क २३ माइल, ११ माइल सीकर में और १२ माइल चुरू में, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव

Page No.32

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सेंक्शन हो चुकी है और काम शुरू होगा, बाकी काम ५९-६० में किया जायगा।

उदयपुर में सिंचाई योजनाओं का आपरीक्षण

१६०८. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगुंदा): क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न के उत्तर देने की कृपा करेंगे : (१) उदयपुर ज़िले में कौन कौन सी तथा कहां २ की सिंचाई योजनाओं की सर्वे हुई है और सरकार के विचाराधीन है।

(२) जो सर्वे हुई है, उनमें से सन् ५७-५८ में किस किस की स्वीकृति दी गई है?

(३) क्या यह सच है कि उदयपुर ज़िला तहसील खैरवाड़ा के होहरिया तथा जवास बांध की सर्वे सन् ५६-५७ में हो हो गई थी? यदि हां, तो अब तक उनकी स्वीकृति क्यों नहीं दी गई?

उप मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) उदयपुर ज़िले में २३ सिंचाई योजनाओं की अब तक सर्वे हुई है उनकी सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(२) निम्नलिखित पांच योजनाओं की स्वीकृति सन् ५७-५८ में दे दी गई है : १. मालपुरा २, पीला, ३. बंडोरा, ४. इटाली-खेड़ा नहर ५. जालम (पार्ट स्कीम)

(३) जवास व होहरिया बांध की सर्वे करने पर यह मालूम हुआ कि इनमें बहुत सारे गांव डूब जाते हैं और गांव का मौका भी टेक्नीकल दृष्टि से ठीक नहीं है, इस कारण से इन स्थानों को ड्रॉप किया जाकर अन्य स्थानों पर बांध बनाने की योजना विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मण हीरात : अन्य स्थानों पर सर्वे की जो योजना विचाराधीन है वह कब तक विचाराधीन रहेगी?

श्री भीखाभाई : विचार जारी है।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या जवास पर बांध नहीं बनने से मेहनत बेकार हो जायगी?

श्री भीखाभाई : जी हां।

श्री मूलचन्द डागा : क्या उदयपुर में अब भी कोई ज़मीन बिना सिंचाई के रह गई है?

श्री भीखाभाई : बहुत सी रह गई।

६.११ म० पू०

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

राजस्थान नकदी जागीर उत्सादन विधेयक, १९५८

(अग्रेतर खण्डशः विचार विमर्श एवं पारित)

राजस्थान कैश जागीर एबोलिशन बिल पर कल बहस हो रही थी। सेकन्ड शिडयूल पर राजस्व मंत्रीजी संशोधन पेश करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में पूरी सूचना नहीं आई इसलिये बाद में बयान देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सेकन्ड शिड्यूल में मैं अमेन्डमेन्ट इस तरह प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैंने इसको सारे को चेन्ज कर दिया है, इसलिये इसको शुरू से पढ़ देता हूं:

"The Rajasthan Cash Jagirs Abolition Bill, 1958.

Notice of Amendment.

For the Second schedule, substitute the following "The Second Schedule."

See sub-section (2) of section (3) Scale of compensatory payments.

A person in receipt of a Cash Jagir to which this Act applies will be paid monthly by way of compensation a sum of money equal to the monthly rate of cash Jagir being paid to him, whether monthly or otherwise, immediately before the first day of April, 1958, hereinafter referred to as the said day :-

(a) if such monthly rate does not exceed fifty rupees, for a period of fifteen years as from the said day: (b) if such monthly rate exceeds fifty rupees but does not exceed two hundred and fifty rupees, for a period of twelve years as from the said day: and (c) If such monthly rate exceeds two hundred and fifty rupees, for a period of ten years as from the said day." आइ थिंक, कल जो कॉंट्रोवरसी थी वह अब नहीं रहेगी, इससे माननीय सदस्य सहमत होंगे। सारी कांट्रोवर्शियल चीज खत्म हो जाती है, क्लियर हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि शिड्यूल १ व २ स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

शिड्यूल १ और २ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ १ प्रिएम्बल इत्यादि।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादी स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल आदि विधेयक के अंग बने।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

Page No.34

(श्री अध्यक्ष)

६.१७ म० पू०

अधिकतम सीमा निर्धारण समिति के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : अधिकतम सीमा निर्धारण समिति की रिपोर्ट पर वाद-विवाद ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज़ पर प्रस्तुत कर दी गई है और माननीय सदस्यों के पास भी भेज दी गई है । इस समिति को राजस्थान सरकार ने सन् १९५४ में मुकर्रर किया था...

डॉ० चन्द्रकला ; सन् १९५३ में नियुक्त किया था ।

श्री दामोदरलाल व्यास : I am sorry सन् ५३ में यह समिति नियुक्त की गई थी । समिति के सदस्यों ने काफी राजस्थान का दौरा किया । जगह जगह हर जिले में दौरा करके उन्होंने इस बात का पता लगाया कि हमारे यहां कैसी कैसी और कितनी कितनी ज़मीन उपलब्ध है, कितने लैंड लैस टिनेन्ट्स हैं, पैदावार जमीन क्या है, किसानों की आमदनी क्या है आदि । काफी मेहनत के साथ इन सब बातों के आंकड़े प्रस्तुत करके रिपोर्ट राजस्थान सरकार के सामने पेश की है जिसने सदन के समक्ष वाद-विवाद के लिये प्रस्तुत की है ताकि माननीय सदस्यों के विचार सरकार को मालूम हो जाय, तो सीलिंग कानून बनाने में और इसके बारे में निर्णय लेने में सुविधा रहे । इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि आज वे अपने अपने विचार सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में व्यक्त करें ताकि आयन्दा जो कार्यवाही सरकार को करनी है या जो निर्णय सरकार को लेना है उसको लेने में सहूलियत रहे ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस पर वाद-विवाद आज न करके अगले सेशन में किया जाय । कारण कि समिति की रिपोर्ट हमको कल मिली है । अधिक सदस्यों को इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, इसलिये वाद-विवाद करने में मजबूर हैं ।

श्री अध्यक्ष : जिन्होंने इसको पढ़ा है उनको आज बोलने दिया जाय और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको कल मौका दिया जायगा ।

श्री शिवचरणदास : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में अधिकतर संख्या हिन्दी पढ़े लिखों की है, वे जल्दी जल्दी में पूरी तरह से समझ नहीं पायेंगे...

श्री अध्यक्ष : ऐसे निवेदन के लिये समय उपयुक्त नहीं है ।

श्री शिवचरणदास यह अहम सवाल है इस पर बोल नहीं सकेंगे, इसलिये समय बढ़ाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : इस स्टेज पर समय नहीं बढ़ाया जायगा ।

श्री शिवचरणदास : फिर यह है कि हमारी तरफ से हमारा मुंह बन्द किया जाता है ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : श्रीमान्, सदन के समक्ष जो जमीन या भूमि की सीमा निर्धारण के लिये कमेटी ने अपना

Page No.35

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उस पर मैं अपना विचार रखना चाहता हूं। श्रीमान्, मैं चाहता था कि बहुत अच्छा होता यदि राजस्व मंत्रीजी अपने विचार विस्तृत रूप में रखते और इसके अन्दर जो विशेष विशेष पॉइन्ट्स हैं उनकी ओर सदन का ध्यान खींचते जिससे कि सदन के लोगों और सदस्यों को हर बात कहने का ठीक तरह से अवसर मिलता और कमेटी इन निर्णयों पर किन कारणों से पहुंची है। इन बातों को जानने के लिये सदन के माननीय सदस्यों को अवसर मिलता परन्तु शायद उन्होंने दो शब्द कहना ठीक समझा, यह तो मैं नहीं कह सकता। मेरी राय है कि उन्हें कई बार बोलने का मौका मिला है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि आज जो प्रतिवेदन हमारे सामने है, उसके बारे में दो शब्द कहे कि हम क्यों नतीजे पर नहीं पहुँच सके हैं, किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए हमारे सामने क्या दिक्कतें थीं। यद्यपि यह ठीक है कि जो प्रतिवेदन में कहा गया है, उससे एक रूप रेखा हमको मिलती है। उसकी विशेष जानकारी इस सदन के समक्ष रखना उन्होंने ठीक न समझा हो, उसकी आवश्यकता महसूस न की हो।

श्रीमान्, यह राजस्थान के लिए, सारे देश के लिए बहुत विवादास्पद प्रश्न रहा है, इसमें दो राय नहीं है और इस सम्बन्ध में इस सदन में कई प्रकार की विचारधारायें हमारे सामने आई हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि यदि हमें देश को आगे बढ़ाना है और यह चाहते हैं कि समाजवादी समाज की व्यवस्था की ओर हम अपने देश को ले जाय तो यह नितान्त आवश्यक है कि ज़मीन की भूमि की उच्चतम सीमा हमको निर्धारित करनी चाहिए। श्रीमान्, इस रिपोर्ट को देखने से आपको मालूम होगा कि एक यह प्रश्न उठाया गया था कि अभी जो राजस्थान में कल्चरेबल लैंड है, वह इतना अधिक है कि इस में जो लैंड लैस की संख्या दी गई है, उसको ध्यान में रख कर राजस्थान में कल्चरेबल लैंड है, काबिले काश्त ज़मीन है, उसका बंटवारा किया जाय, तो इस बात की आवश्यकता न पड़ेगी कि उच्चतम सीमा भूमि की निर्धारित करने की आवश्यकता हो। परन्तु मेरा यह विचार है और साथ ही साथ मुझे इस बात की खुशी है कि जो कमेटी इसके लिए बैठी थी। उस कमेटी ने साफ़ तौर से बताया है कि पंच वर्षीय योजना के द्वारा राष्ट्र का जो निर्माण करना है, जिस तरीके से इस राष्ट्र को आगे लेकर चलना है, उसके लिए जिस प्रकार रूरल इकनोमी के लिए आवश्यकता है कि हम एक सीमा निर्धारित करें, उसी तरह से और सेक्टर के अन्दर भी सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति की कोई सीमा निर्धारित करना चाहते हैं, और व्यक्तिगत सम्पत्ति की सीमा को जस्टीफाई करना चाहते हैं कि व्यक्ति विशेष के पास सम्पत्ति इतनी रहनी चाहिए, तो हमें इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि यह जनता के हित में ठीक चीज़ है या नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि देश के अन्दर जो विचारधारा है कि आज देश को समाजवादी व्यवस्था की ओर ले जाना चाहते हैं, तो हमारे लिए यह नितान्त आवश्यक है कि व्यक्ति विशेष की जो सम्पत्ति है, वह कम से कम व्यक्तियों के पास रहने दी जाय। समाज के द्वारा उस धन की व्यवस्था होगी, वह किसी व्यक्ति विशेष की

(श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा)

सम्पत्ति नहीं होगी और सारी सम्पत्ति का मालिक समाज होगा। समाज में व्यक्ति की सम्पत्ति निहित हो जाती है, तो उसका लाभ होगा जनता को, सारे देश के निवासियों, भारतवर्ष के निवासियों को, जो भारतवर्ष के विधान में विश्वास रखते हैं। उन सब को लाभ मिल सके, यह सम्भव हो सकता है। अगर व्यक्तियों की सम्पति व्यक्ति में निहित न होकर समाज विशेष में निहित हो। इन मूलभूत सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए कमेटी की रिपोर्ट के निर्णय पर पहुँचा जाय। हमें इस प्रश्न को नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि कल्चरेबल लैंड ज्यादा हो और दूसरी ओर लैंड लैस लेबरर्स हैं अथवा जिनके पास इकानोमिक होल्डिंग्स नहीं है, उनको लैंड देना आवश्यक है। आपने २४०० की ज़मीन की आमदनी रखी है, इतनी आमदनी होनी चाहिए जिससे किसान अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। यह सीमा आपने निर्धारित की है, अगर इससे कम ज़मीन हो तो उसको ज़मीन दी जा सकती है। अब इसमें दो प्रश्न पैदा होते हैं, एक ओर तो एक किसान के पास ज़मीन है और ज़मीन तो है कि आजीविका के निर्वाह लिए, जितनी ज़मीन की आवश्यकता है, जितनी ज़मीन से वह अपने कुटुम्ब का उदर भरण या उदर पोषण कर सके, उतनी नहीं है। इस प्रकार के दोनों स्थिति के व्यक्ति हो सकते हैं। अब या तो कल्चरेबल लैंड इतना हो, जिससे बंटवारा हो सके.

श्री श्रीभानसिंह : This is an urban approach to a rural problem.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Pardon आपको मालूम नहीं है, आपसे ज्यादा मैं गांव का रहने वाला हूं।

श्री श्रीभानसिंह : I can see that you are always Falling and falling and never rise.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : I have already told my view about you on more than one occasion. I always...

श्री श्रीभानसिंह : Sir, I seek the protection of the chair for direct talk.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : I am fortifying my arguments. What I Said was...

श्री अध्यक्ष : Now come to the Ceiling Report.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : (अश्रव्य)

श्री श्रीभानसिंह : There is already a Ceiling on the intellingence of the Hon'ble Member.

श्री अध्यक्ष : There should be ceiling to both the sides.

श्री श्रीभानसिंह : On whom ? I can...

श्री पी० के० चौधरी : What is the argument Sir,

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : अच्छा, आप भी बोले। अब शायद जोशी जी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : (अश्रव्य)

श्री श्रीभानसिंह : (अश्रव्य)

Page No.37

श्री बृजमोहनलालशर्मा : शायद हो सकता है कि जो विचार-धारा मैं व्यक्त कर रहा हूं, वह माननीय सदस्य को पसन्द न आती हो और जिस समय वह अपना प्रवचन करेंगे, उस समय समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। केवल दुःख इस बात का होगा कि आप जो कुछ कहेंगे, उसका उत्तर मैं न दे सकूंगा . .

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आप भी प्रवचन कह रहे हैं ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मैं तो प्रवचन नहीं कह रहा हूं। मैं तो प्रवचन आपके लिए मानता हूं। तो मैं कह रहा था कि व्यक्तिगत सम्पति का, जो समाजवादी व्यवस्था है, उसमें स्थान नहीं है और अगर इस बात की गुंजाइश भी है, तो हमारे पास इतनी अधिक कल्चरेबल लैंड है, जो कि सब में बट जाती है, तो भी हमको विधान के अनुसार, इस बात का ध्यान रखते हुए, कि हमें समाजवादी व्यवस्था को कार्यान्वित करना है, हमारे लिए यह नितान्त आवश्यक होगा कि हम कोई उच्चतम सीमा निर्धारित करें। श्रीमान्, वितरण के लिए कहा जायगा....

श्री भोलानाथ : कौन से विधान में लिखा है ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट को देखिये....

श्री भोलानाथ : रिपोर्ट में तो विधान नहीं है।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : रिपोर्ट में जिन धाराओं का रेफरेन्स दिया है, उन धाराओं को पढ़ते या आप उन्हें ध्यान से देखते, तो आपको मालूम हो जाता। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपने पढ़ा नहीं है और किसी भाई ने आपके पास काना फूसी की है, उसके आधार पर आपने विचार व्यक्त कर दिये। आप विधान को देखें, उसके अन्दर दिया है कि हम सबके लिए समाजवादी व्यवस्था रखना चाहते हैं, इसके तरीके से, इस ढंग से उसमें दिया हुआ है।

श्रीमान्, मैं कह रहा था कि समाजवादी व्यवस्था के लिए इस बात की आवश्यकता पड़ती है, तो यह कहा जा सकता है कि हम भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित करें और दूसरे सेक्टर्स के अन्दर इन्कम की सीमा निर्धारित न करें, तो एक प्रश्न पैदा हो सकता है, श्रीमान्, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम सारे सेक्टर्स के लिए, सारी इन्डस्ट्रीज़ के लिए, सारे कामों के लिए एक सीमा निर्धारित कर देंगे, तो प्रश्न यह खड़ा किया जा सकता है कि आज आप इस सेक्टर की उच्चतम सीमा निर्धारित कर रहे हैं, आप रूरल इकनामी में क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, इसलिए शुरुआत भूमि वितरण से हो। इसके लिए आवश्यकता महसूस होती है कि आज सरकार इसके लिए कम्पेन्सेशन देगी है, सरकार जमीन एक्वायर करके, उसका जो स्वामित्व का अधिकार है, वह सरकार काश्तकारों को देती है, तो यह नितान्त आवश्यक है कि जो दो मूलभूत सिद्धान्त हैं, एक तो फ्यूचर एक्वीजीशन और दूसरा रिजम्प्सन ऑफ लैंड फोर पर्सनल कल्टीवेशन, इन सिद्धान्तों के लिए आवश्यकता है कि हम उच्चतम सीमा निर्धारित करें।

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

एक प्रश्न यह भी आता है कि किन सिद्धान्तों के अनुसार हम सीमा निर्धारित कर सकते हैं। जहां तक काश्त के लिए ज़मीन जो ले ली गई है उसका प्रश्न है, मैं निवेदन करूंगा कि भूमि की सीमा निर्धारित करने के लिए राजस्थान में और अजमेर में जो इन्टरमीजियरीज अबोलीशन एक्ट बना उसमें इसका उल्लेख है, इन एक्ट्स में इस सिद्धान्त को दिया गया है। श्रीमान्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, उन्होंने सेक्शन १८ के अन्दर यह बतलाया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास ६० बीघा जमीन है, तो उससे करीब आधी जमीन ले ली जायगी, उसमें ए. बी. सी. डी. सब सेक्शन हैं, उनमें इस मूलभूत सिद्धान्त को बताया है कि अगर कोई ज़मीन का मालिक, ज़मीन को वापिस लेना चाहता है, तो इस मूलभूत सिद्धान्त के आधार पर सरकार उसको उतनी ज़मीन अलॉट कर देगी। तो यह तो ठीक है। परन्तु जब इस प्रतिवेदन को देखते हैं, तो वह इस विषय पर साईलेंस है, इसलिए मैं समझता हूं कि क्योंकि एक्ट के अन्दर इस मूलभूत सिद्धान्त को रख दिया था, इसलिए जो कमेटी की रिपोर्ट बनाने वाले सज्जन हैं, उन्होंने यह ठीक समझा होगा कि मूलभूत सिद्धान्त दे चुके हैं, इसलिए इस कमेटी की रिपोर्ट में इस विषय पर अपन क्यों रोशनी डालें। मैं समझता हूं कि यह कारण हो सकता है कि जो रिकमन्डेशन इसमें की गई है, जो सिफारिश इस प्रतिवेदन में की गई है, उसमें राजस्थान के इन्टरमीडियरीज अबालिशन एक्ट में जो रिजम्पशन ऑफ लैंड फॉर पर्सनल कल्टीवेशन और फ्यूचर एक्वीज़शन है, वह इस प्रतिवेदन का मूलभूत सिद्धान्त है। ऐसी स्थिति के अन्दर मेरी यह प्रार्थना होगी सरकार से कि जिस समय सरकार बिल लावे उस समय इन दोनों का एकीकरण होना चाहिए। दो सिद्धान्त एक ही चीज के लिये नहीं होने चाहियें, और इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि दोनों का एकीकरण हो जाय और कोई अन्तर नहीं रहे। इसलिये मेरा सुझाव होगा कि जिस समय बिल लाया जाय, तो या तो बिल के अन्दर संशोधन करायें कि दोनों का एकीकरण हो, जो आदर्श अपने सामने ले कर जा रहे हैं कि आजीविका के लिये २४०० रुपया आवश्यक है, सेक्शन १८ में इस लक्ष्य को आपने नहीं रखा है।

(पास ही में बैठे किसी माननीय सदस्य द्वारा कुछ कहने पर)

पंजाब की दूसरी बात है, मैं तो, आपने कहा है उस पर कहूंगा, नोट ऑफ डिसेंट है उस पर आपका। हर राज्य में, उत्तर प्रदेश में, हैदराबाद में, अजमेर में दूसरा स्टेन्डर्ड रखा है, मेरा सुझाव है कि जो सिद्धान्त कमेटी ने रखा है उससे एक अलग स्थिति पैदा होगी। किसान के परिवार के लिये २४०० रुपये की आजीविका का सिद्धान्त रखा है, वह ठीक है, हो सकता है कि पंजाब में ज्यादा रखा हो पर हमें अपने हिसाब से चलना है। जिन काश्तकारों के पास जमीन नहीं है। परमिसिबल जो सीमा निर्धारित कर दी उसके बाद जमीन बचती है, सरकार की तरफ से आंकड़े बताये गये हैं फिर भी संभव है वे ठीक नहीं हों सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में रखा है कि केवल सिम्पल सर्वे किया है। तमाम होल्डिंग्स का अपटूडेट सर्वे नहीं हुआ है, कुछ स्टेट्स में अपटूडेट सर्वे हुआ है, पर राजस्थान में होल्डिंग्स की जो समरी की गई है वह सिम्पल सर्वे के तौर पर है क्योंकि बहुत से ऐसे हिस्से

(श्री बृजमोहन लाल शर्मा)

हैं, जहां सेटिलमेंट पूरा नहीं हुआ है। इसलिये प्रश्न पैदा हो सकता है, इसमें सिफारिशों में इस बात को बताया है कि तहसीलों में और सर्किल बना कर यह बताया है कि यह उच्चतम सीमा भूमि की निर्धारित की है। इस रिकमन्डेशन के साथ द्वितीय पंच वर्षीय योजना में फेमिली होल्डिंग का क्राइटेरिया माना है। उसको ध्यान में रख कर उच्चतम सीमा को निर्धारित किया है। प्लानिंग कमीशन ने इसके लिये ५ तरीके बताये थे लैंड रेवेन्यू पर हम इसको निर्धारित कर सकते हैं, नेट इन्कम पर कर सकते हैं, ग्रोस इन्कम पर कर सकते हैं, इस तरह ५ तरीके बताये हैं जिनके आधार पर उच्चतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं। अन्तिम सिफारिश की है कि यह ठीक होगा कि फेमिली होल्डिंग को ही लक्ष्य मान कर, कुटुम्ब की सीमा ५ है उसको सीमा मान कर सिफारिश की है, उसी को ध्यान में रख कर राजस्थान सरकार की ओर से कमेटी मुकर्रर की थी, उसने इस प्रकार के होल्डिंग को माना है। चाही लैंड है पानी की ओर इर्रिगेशन होता है उसका रेशो और बारानी का रेशो एक, दो, तीन का रखा है। यह माना है बारानी जमीन जिसमें कुएं खुदवा दिये जांय, उनके लिये स्पेशल रिकमन्डेशन की जायगी, उनको क्या राहत दे सकते हैं इस पर विचार किया जायेगा।

मूल वैज्ञानिक तरीके से मूलभूत सिद्धान्त दो हो सकते हैं, पर इसमें हमें अन्तर करना होगा नहीं तो एक दो, तीन के रेशो की जमीन का वितरण करेंगे, तो जहां बरानी का तीन रेशो है, चाई का एक है तो वहां गड़बड़ी होगी, कठिनाई आयेगी।

मुझे खुशी है कि इस रिकमन्डेशन में कुछ फीगर्स दिये हुए हैं। जिनके आधार पर बताऊंगा कि इन चीजों को आधार भूत मान लिया तो हमारे सामने कठिनाई होगी, जमीनों का बंटवारा इन सिद्धान्तों के आधार पर करेंगे तो ऐसी स्थिति पैदा होगी जैसा कि कमेटी ने माना है। चाही की कई किस्में होती हैं चाही अव्वल, चाही दोयम, चाही सोयम, चाही चौथी है और इर्रिगेटेड लैंड है उसका भी सोइल क्लासिफिकेशन होता है, लैंड रेवेन्यू भी बेसिस रहता है, रेट रेट का फिक्सेशन जिस आधार पर होता है उससे भी मालूम होता है कि कितनी पैदावार अमुक किस्म की ज़मीन में हो सकती है, इसी को ध्यान में रख कर लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया जाता है। यद्यपि इसमें हो सकता है कि लैंड रेवेन्यू और रेट रेट फिक्स किया जाता है उसमें ज़मीन की पैदाइश का आधार होता है। फिर भी हमें देखना होगा कि लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया जाता है, लैंड रेवेन्यू इस आधार पर फिक्स किया जाता है कि उस ज़मीन की इतनी पैदावार होगी, यह आधार भूत है। जिस ज़मीन का लैंड रेवेन्यू कम फिक्स किया हुआ है तो यह माना जायगा कि उस ज़मीन की पैदावार कम है और जिस ज़मीन का लैंड रेवेन्यू ज्यादा फिक्स किया हुआ है, तो यह माना जायगा कि उस ज़मीन की पैदावार ज्यादा है। तो ज़मीन की पैदावर को मालूम करने का यह एक बैरोमीटर है। जो फिक्स किया है उसके मूल सिद्धान्त को देखेंगे तो यहां इस सिद्धान्त को मानते हैं कि इर्रिगेटेड का रेशो एक है तो अनइर्रिगेटेड का तीन है।

मैं बताऊंगा कि जो फीगर्स कमेटी ने दिये है उनको मान कर चलेंगे, तो उसका

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

परिणाम यह हो जाने वाला है कि जिस आदमी के पास चाही ज़मीन है उसका स्टेन्डर्ड कमेटी ने रिकमेंड किया है। उसके मुकाबिले कम आमदनी होगी और जिस किसान के पास बारानी ज़मीन ज्यादा रहेगी उसकी आमदनी ज्यादा बढ़ जायगी। उदाहरण के तौर पर मैं दो उदाहरण दे देना चाहता हूं! Appendix (I) Statement showing number of Assessment circles, soil classes and minimum circle rate (per Bigha) में दिया हुआ है, उसमें से मैं सिर्फ जयपुर का उदाहरण देता हूं। कमेटी ने यह मान है कि असेसमेंट सर्किल की दृष्टि से ४६ सर्किल्स है और टोटल नम्बर ऑफ सोइल क्लासेज़ ६४ है और यहां (अश्रव्य) हाइयेस्ट रेट २५ रुपया ८ आना ६ पाई है और सुने लोएस्ट रेट २ रुपया ३ आना है।

अगर इस फीगर को ५० एकड़ से गुना करेंगे, तो १ रुपया ६ आना आयेगा। बारानी रेट की हाइयेस्ट रेट इसमें ३ रुपया १२ आना रखी है और लोएस्ट रेट रखी है, बारानी की ५ आना, इस प्रकार लैंड रेवेन्यू फिक्स की है, ३ रेश्यो बढ़ जाता है इस दृष्टिकोण से १८७ रुपया ८ आना इर्रिगेटेड लैंड का आता है और अन इर्रिगेटेड लैंड का ५६२ रुपया ८ आना आता है।

तो देखेंगे कि इर्रिगेटेड चाही ज़मीन है, तो हाइयेस्ट रेट उसकी एक रुपया ६ आना ६ पाई होती है जबकि बारानी ज़मीन हो, तो उसकी आमदनी ५६२। ८ होती है। आप यह देखेंगे कि वह कितने घाटे में रहेगा जिसके पास चाही ज़मीन है घाटे में रहे और जिसके पास बारानी ज़मीन है उसके लिये आपने तिगुना रेशियो रखा है। यदि उसके अनुसार ज़मीन दे दें तो वह फायदे में रहेगा इस तरह से जिस एरिया में ५० एकड़ ज़मीन मुकर्रर की है। तो उस हिसाब से बारानी की ज़मीन का रेशियो बढ़ जावेगा और उसके पास में ५६२। १२ की आमदनी की ज़मीन होगी आप देखेंगे कि इन दोनों में आकाश और पाताल का अन्तर होगा। यदि यही एक्ट में रख दिया जाता है तो आकाश और पाताल का फर्क होगा और इसका परिणाम यह होगा कि जिस इकॉनॉमिक होल्डिंग को हम साइन्टिफिक बेसिस पर चलाने जा रहे है और चलाना चाहते है नहीं चला सकेंगे। आपने यह तो माना ही है कि २४००) तो कम से कम इनकम होनी चाहिये। नहरी ज़मीन तो ५४। १२ की ज़मीन होगी जबकि बारानी ५६२। १२ की होगी। इसी तरह से बंजर वाले को बहुत घाटा रहता है। बारानी वाले को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिये इस मूलभूत सिद्धान्त को मानते हुए मैं यही कहूंगा कि आप इस पर गम्भीरता से सोच विचार करें और प्रबल करें कि किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा लाने के लिये विचार करें। आपकी दलीलों में वेट नजर आता है और वैज्ञानिकता की झलक नजर आती है। यदि आप इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे तो किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। मैं यह नहीं कहता कि सेन्ट परसेन्ट इससे फायदा किसानों को होगा, लेकिन मैं यह कहूंगा कि सेन्ट परसेन्ट नहीं तो ६० प्रतिशत किसानों को तो फायदा पहुँचेगा ही। आपने २४००) की उच्चतम सीमा किसानों के जीवन के लिये रखी है। इसलिए मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि आपको इस रिपोर्ट को वापिस भेजने की जरूरत नहीं है। मैं यह कहूंगा कि

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

हमारे सेटलमेंट के अधिकारी हैं वे आसानी से इस सिद्धान्त को समझा देंगे और यही तरीका है कि हम उसको स्टेन्डर्ड मान लें, क्योंकि सेटलमेन्ट में आना पाई का हिसाब आपको मिल सकेगा। चाही पांच किस्म की होती है, चाही गुरहीया, चाही माली आदि। उनको सबको अलग युनिट में रखा है। उनकी अलग युनिट वेल्यू रखी है रूपया आना पाई में सेटलमेंट में मौजूद है। इसलिये हम देख सकते हैं कि अगर १६। रहती है, तो वह दूसरी कौनसी ज़मीन हो सकती है। हो सकता है कि चाही दो और बारानी एक है। एक एकड़ चाही है और तालाबी १॥ एकड़ होगी। यह सेटलमेंट के रेकॉर्ड में दर्ज होगा और सेटलमेंट के अधिकारी फौरन बता देंगे। इसी तरह से दूसरों की भी वेल्यू हमारे यहां सेटलमेंट में रहेगी। इस तरह से हर एक की वेल्यू अलग अलग ले लें, तो मैं यह कहूंगा कि जिस प्रकार की जमीन का स्टेन्डर्ड होगा आप उसी के मुताबिक सीलिंग फिक्स करेंगे। आपने मिनिमम इन्कम २४००) की मानी है। मैं इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं मगर यह बताना चाहता हूँ कि अजमेर में हमने ऐसा किया था। ऐसा हो सकता है और हमने करके बताया था। सवाल यह है कि अगर हम चाही दो और तालाबी वन क्लासीफिकेशन के दृष्टिकोण से ११: १० तालाबी होगी और इसको कुता होगा। जब सेटलमेंट इतना है तो १॥ होगा। चाही दो और तालाबी १॥ हो जावेगी। तालाबी दो इसी तरह से चाही तीन और तालाबी दो। ८ गुनी कीमत हमने मानी है। सेटलमेंट को आधार माना है और उसमें ८ गुणा मानते हैं। ८×२= १६ एकड़ हो जाती है। इसके अन्दर जमीन का रेशियो बन इज टू फोर का आधा है। यह एक साइन्टीफिक तरीका है और इसमें खर्चा करने की जरूरत नहीं होगी। मैं मानता हूँ कि अधिकारी लोग फौरन रूपये आने पाई का हिसाब दो चार या पांच रोज में बना कर स्टेन्डर्ड एकड़ बना दें, ऐसी बात नहीं है। समय तो इसमें लगेगा। इसके अतिरिक्त एपेन्डिक्स 'आई' में दी गई रेटों को देखेंगे, तो आपको मालूम होगा कि चाही जमीन है उसकी लैन्ड रेवेन्यू बहुत कम है। बारानी जमीन है उसका तिगुना रेशियो बन जावेगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको कोई न कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। और ज़मीन की सीमा निर्धारित करने में आपको कठिनायें आने वाली हैं, क्योंकि किसानों की पैदावार होगी वह नोरमल नहीं होगी और मेरी यह राय है कि जो सीमा किसानों के परिवार के लिये मुकर्रर की जावेगी, वह यदि उसी सिद्धान्त पर जो इस कमेटी की रिपोर्ट में है, जैसे के तैसे लागू किये गये तो इसका कोई असर नहीं होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से, मैं समझता हूँ कि दूसरे राज्यों में और खास कर अजमेर में जिस प्रकार काम में लिये और मैंने प्लानिंग के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में बात चीत की थी और उन्होंने इस बात को माना और मैं समझता हूं आप भी, उसको यहां पर जरूर अपनावेंगे। मैं इस बात को मानता हूं कि इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आने वाली हैं मगर मैं यह कहूंगा कि हमारे दूसरे साथी हैं जो इसका विरोध करने वाले हैं उनको भी इस वितरण से कम से कम लाभ पहुँचेगा और संतोष होगा ऐसा मेरा विश्वास है।

माननीय सभापति महोदय, एक बात

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

और मुझे कहनी है । इस रिपोर्ट में जमीन के मामलों में किसान की फेमिली के सम्बन्ध में डिफाइन नहीं किया गया है । यह तो उन्होंने माना है कि फेमिली का अधिकार होगा । मगर वह नहीं बताया है कि उसमें कितने व्यक्ति होंगे । आपने कोई सीमा निर्धारित नहीं की है । आप यह बता दें कि फेमिली में ५ व्यक्तियों की सीमा होगी । ९ व्यक्ति हो तो या १० से ज्यादा हो तो उसका क्या होगा ?

श्री सज्जनसिंह : आपके यही पॉइन्ट है ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : प्रैजन्ट की बात है । आज हर किसान कहेगा कि मेरे चार भतीजे हैं मेरे तीन या ४ भाई हैं और इतनी औलाद हैं । इसका कुछ पता भी हो । उसको भी कुछ दिया जावेगा या नहीं । इसके अलावा वह यह भी कहेगा कि नानेरा का भी रिश्ता है उसको भी लिया जावे । इसलिये अच्छा तो यह हो कि फेमिली की कोई डेफिनिशन कर दी जावे कि उसमें ५ या ७ या १० व्यक्ति होंगे । आप कुछ भी रखना चाहें ले लीजिये । मैं इसकी बहस में नहीं पड़ना चाहता कि आप किन किन को फेमिली की डेफिनिशन में रखें । लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि ५ या ७ व्यक्ति जो भी आप मुकर्रर करेंगे, उनमें कौन कौन से व्यक्ति फेमिली में शुमार होंगे । यदि ऐसा नहीं होगा, तो हर किसान को यह कहने का अधिकार रहेगा कि मेरे फलां फलां रिश्तेदार हैं और जब कोई इसके लिये स्टेन्डर्ड नहीं होगा, तो बड़ी दिक्कत होगी । परन्तु यह बात तो थी कि प्लानिंग कमीशन की जो योजना है, उन्होंने उसमें बताया है कि "The ceiling should apply to the total area held by the family. The expression family being deemed to include husband, wife and depandent son and daughter and grand children. When the number of members of the family is larger than five, the ceiling of the family holding may be raised to a six family holdings."

श्री सज्जनसिंह : उन्होंने तो बताया है....

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मैं यह बता रहा हूं कि उन्होंने डेफिनिशन दी है । आप उसको अच्छी तरह से डिफाइन कर दीजिये । आप इस चीज को ऑफिसरों की मर्जी पर मत छोड़िये । क्योंकि यदि आप अफसरों की मर्जी पर इसको छोड़ेंगे तो एस० डी० ओ० या जो भी अधिकारी होगा, इसका निर्णय करेगा उसकी अपीलें होंगी और काफी दिक्कतें किसान की होंगी और सरकार को भी होंगी । क्योंकि हर तहसील हैडक्वार्टर में यह चीज डिसाइड होगी और हर दम आपस में झगड़े होते रहेंगे । आप इस चीज़ को उठाइये । इस चीज़ में वज़न है । आप फेमिली को डिफाइन कर दीजिये । आप यह तय कर दीजिये कि कुटुम्ब में ये ये व्यक्ति माने जावेंगे । यह नहीं हो कि हर एक कलेक्टर की अलग अलग राय हो । कलेक्टर ही इस प्रश्न को तय करें और अपना अपना निर्णय दें, और हर एक के फैसले में बाद में उच्च अदालतों में तब्दीली हो, इसलिए मेरा निवेदन है कि किस किस को फेमिली में रखें, इस बात को आप तय कर दें । फेमिली का जो ढांचा है, संगठन है उसमें किन किन को आप मानते हैं उनकी सीमा निर्धारित कर दीजिये, सरकार से मेरी यही प्रार्थना है ।

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

एक बात और है। कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने १२) रखा है। माना कि इसमें वे इस बात को ध्यान में रखते हुए इस नतीजे पर पहुँचे और रखा है कि तीन वर्ष की क्रॉप कटिंग एक्सपीरियेन्स किया हो और लैण्ड रेवेन्यू को भी देखा हो और इन चीजों को ध्यान में रख कर इस नतीजे पर पहुँचे कि १९५१-५२, ५२-५३, ५३-५४ इन तीनों सालों का एक्सपीरियेन्स उन्होंने किया। इसको ध्यान में रख कर १२।=के हिसाब से कीमत आंकी और उसी को उन्होंने आधार मानकर बाजरा, जौ, की क्या कीमत होनी चाहिये? उन परिस्थितियों में उन्होंने उसको माना। मैं मानता हूं कि कई कठिनाइयें कमेटी के सामने आई होंगी और उसका दिग्दर्शन भी उन्होंने किया परन्तु इसके अलावा फिर भी १२।— की कीमत है मेरी दृष्टिकोण से ठीक नहीं। क्योंकि जिस समय सेटलमेंट किया जाता है उस समय सरकार की तरफ से कुछ इन्स्ट्रक्शन दिये जाते हैं कि किस तरह से लैण्ड रेवेन्यू फिक्स करेंगे। तो अगर आप फिक्सेशन करते हैं, तीन वर्ष का कोई कमेटी यह बताती कि उन्होंने तीन वर्ष यानी ५२-५३, ५३-५४, ५४-५५ को क्राप कटिंग के लिए आधार माना है, तो मैं समझता हूं कि मैं शायद इस चीज को समझने की कोशिश करता, परन्तु यह नहीं बताया गया कि किन सिद्धान्तों को माना। पैदावार होती है उसको उन्होंने, २० वर्ष का मानते हैं उसके अन्दर किन किन चीजों की बकाया को राइट ऑफ किया जाता है। मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। परन्तु अगर आप बता देते तो उचित होता। मुझे याद है कि हमने अजमेर में गेहूं की कीमत निकाली थी तो वह ७।६ निकली और यह समझे कि स्थिर रहने वाला है। हमारा मूलभूत सिद्धान्त यही है कि इस कास्ट आफ लिविंग इण्डिया की १९३९ को आप भी बेस मान कर निकालते हैं। सरकार भी डीयरनेस १९३९ को बेस मान कर मंहगाई देती है। उसी सिद्धान्त को ध्यान में रख कर खर्चा करती है। यदि आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, तो आपने यह जो किया है यह ज्यादा है और अगर इसको कम करेंगे, तो उन सिद्धान्तों पर जिस पर इन्सट्रक्शन टु सेटलमेंट आफिसर को दिया करेंगे, तो मेरा नम्र निवेदन है कि आप दूसरे नतीजे पर पहुंचेंगे। हो सकता है ५१-५२ में कुछ स्थानों पर अकाल पड़ा हो और कहीं दूसरे फेक्टर भी हो सकते हैं। स्टॉक घरों में रखा जा सकता है। इन फेक्टरों को ध्यान में नहीं रखा गया है। सेटलमेंट के सम्बन्ध में जैसा मैंने आपको अभी पढ़ कर सुनाया। उस रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है कि टोटली क्या है? मैं यह कहूंगा कि कमेटी ने जो क्रोप कटिंग एक्सपीरियेन्स किया है वह ठीक नहीं किया है। उनको ठीक नतीजे पर पहुँचना चाहिये। मगर मेरी यह प्रार्थना है कि अगर आप इस संबंध में एक्ट बनावें तो आपको इस विषय पर ध्यान रखना चाहिये।

मैं इस पर इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मैंने दो सुझाव दिये हैं उनको यदि आप ठीक समझें तो अवश्य ग्रहण करें।

श्री माणेसिंह (भैंसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के अन्दर सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट पर विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया है। सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट पर ज्यादा मैं अर्ज नहीं करके ५, ७ खास खास

(श्री माधोसिंह)

मसलों पर कुछ अर्ज करूंगा ।

सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर पैरा ६६ के अन्दर कमेटी वालों ने यह नोट दिया है : This note was considered by the Committee and it was decided that, even though the area to be obtained by the imposition of ceiling may not be very large, ceilings havo to be imposed as a matter of social justice.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो सोशल जस्टिस के नाम पर रिपोर्ट तैयार की गई है सोशल जस्टिस के नाम पर सीलिंग लगाने का विचार किया गया, उसके बारे में २, ३, शब्द अर्ज करूंगा । सोशल जस्टिस को हम मानते हैं और उसी हिसाब से २४००) रु० पर उनकी इन्कम का सीलिंग सोशल जस्टिस के मुताबिक होता है, तो कमेटी के जो चेयरमैन हैं जिनकी तनख्वाह १ हज़ार रुपये माहवार है तो वहां २४००) रु० के बजाय १२,०००) रु० होते हैं । कमेटी के सदस्य राजस्व मंत्री की इन्कम की तरफ देखें, तो हम विचार ही नहीं सकते कि उनके वकालतनामे की इन्कम क्या थी और अब भी उनको १०००) रु० तनख्वाह मिलती है । इस कमेटी के और भी सदस्य हैं । उनकी इन्कम को देखें तो २, ३ सदस्य तो पार्लियामेंट के हैं जिनको कि तनख्वाह ही ४००) रु० माहवार मिलती है, तो वहां पर भी सोशल जस्टिस नहीं होता है । इसके अलावा इस कमेटी के २, ३ सदस्य पार्लियामेंट के सदस्य होते हुए भी वकील हैं । अगर उनकी इन्कम को देखें तो समझ में नहीं आता कि सीलिंग का प्रश्न यहां खड़ा होता है ? या यहां पर सोशल जस्टिस करने वाले पहले अपनी इन्कम पर सीलिंग करें, पहले अपनी इन्कम को ठिकाने लगावें बनिस्बत देहात के रहने वालों पर सीलिंग लगाने के । इस सीलिंग के बारे में एक राय दी है राजस्थान को देखते हुए राजस्थान के एक राजस्व एक्सपर्ट श्री खेरी ने, वह इस प्रकार है :

Finally Shri Kheri invited attention to para 37 of the Chapter IX of Second Five Year Plan in which the planning Commission have said that in those parts of the country where culturable waste lands are available and a sufficient number of cultivators was not easy to obtain, ceilings may not be necessary at this stage or may be set at a higher level than that envisaged in the plan. For these reasons Kerie expressed the view that it was not necessary to impose ceilings on all agricultural holdings in Rajasthan. इस रिपोर्ट के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, सीलिंग कमेटी ने राजस्थान के बारे में कुछ फीगर्स दिये हैं । उन फीगर्स के मुताबिक १,३७,२७,२७४ एकड़ जमीन उनके पास है बसाने के लिए जिसमें ३,७६,३६० लैण्डलेस लेबर को बसाया है । उस हालत के अन्दर खेरी की रिपोर्ट गवर्नमेंट के डेटाज़ से सपोर्ट होती है । क्योंकि सोशल जस्टिस करना है इसलिए सीलिंग लगा रहे हैं । पोलिटिकल रीजन्स के लिए सीलिंग लागू कर रहे हैं । सदस्यों की राय जब तक एक नहीं बनती है, जिस कमेटी की एक राय नहीं मिलती है और राजस्थान सरकार कानून बना सकती है, तो वह कहां तक न्यायसंगत होगा । मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की

Page No.45

(श्री माधोसिंह)

लेबर कमेटी की रिपोर्ट को आप देखेंगे, तो राजस्थान के अन्दर १० परसेन्ट से कम लेबर है। आन्ध्र के अन्दर ३७ परसेन्ट लेबर है जब कि राजस्थान के अन्दर २४०० पर सीलिंग रखा है और आन्ध्र के अन्दर ५४००) रु० पर है। इसके अगाड़ी, अध्यक्ष महोदय, सोचेंगे तो एग्रीकल्चरल लेबर की इन्कम पर ईयर क्या है। राम मूर्ति रिपोर्ट से मालूम होता है कि एग्रीकल्चर लेबर की ५०८) रु० पर इयर राजस्थान में है और ३००) रु० हैदराबाद के अन्दर है। इससे मालूम होता है कि राजस्थान के अन्दर सीलिंग की क्या जरूरत रहती है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा। राजस्थान के अन्दर जो सेटिलमेंट विभाग है तो सेटिलमेंट विभाग की अगर एन्क्वायरी करायेंगे तो सेटिलमेंट विभाग ने जहां लैंड रेवेन्यू १।६ के रेश्यो से फिक्स की है उस हिसाब से १५०० बीघे पर १०००) रु० लैंड रेवेन्यू होती है। वह १।६ के आधार पर लगाते हैं, लेकिन इस कमेटी के माननीय सदस्य जो वहां (जालौर) में आये तो उनके सामने किसानों ने रो रो कर कहा कि जालोर में १८० बीघा बारानी ज़मीन पर सीलिंग मानते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, यह कहां तक सोशल जस्टिस की बात है! गवर्नमेंट का सेटिलमेंट विभाग १।६ लैण्ड रेवेन्यू के हिसाबसे १५०० बीघा ज़मीन पर मानती है कि १०००) रु० मानती है, तो यहां पर २४००) रु० की इन्कम मानते हैं तो वह हमारी समझ में नहीं आता है कि सोशल जस्टिस किस तरह से कर रहे हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहूँगा कि राजस्थान में सीलिंग नहीं लगे। सीलिंग लगाने की जरूरत है, तो पहले देखना होगा कि राजस्थान के अन्दर सीलिंग लगाने के लिए कहां तक इसकी जरूरत है और आज यह मालूम करना होगा कि राजस्थान के अन्दर जिनके पास बहुत ज़मीन है, वितरित करदें उसके बाद में जो लैण्ड लैस लेबर रह जाते हैं तो अवश्य सीलिंग लगाई जाय। इसके पहले यह देखें कि जिनके पास ज्यादा ज़मीन है। उनसे पहले लें उसके बाद बड़े स्केल पर सीलिंग लागू किया जाय, तो न्यायसंगत होगा। इस तरह से सीलिंग लगा दें कि रिपोर्ट आ गई, कानून बन गया और सोशल जस्टिस करके केरल से भी ज्यादा प्रगतिशील दिखाना यह दुनिया की आंखों को धोखा देना है। यह न्यायसंगत नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं अर्ज करूंगा कि सीलिंग लगाने के बहाने से उस इन्कम पर सीलिंग करना चाहते हैं, जो लोग झौंपड़ों से आये हैं, उन लोगों की आमदनी पर रोक लगाई जाती है। अध्यक्ष महोदय, आप भली भांति जानते हैं कि जो किसान बड़ी ज़मीन खेता है, वही किसान ऊपर उठ सकता है, वही किसान इस सदन में आकर बैठ सकता है। उसी किसान के रिश्तेदार सदन की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर आसीन हो सकते हैं, जब कि एक किसान की ज़मीन की आमदनी पर सीलिंग लगाया जाता है। तो बिरला पर क्यों नहीं सीलिंग लगाया जाता है। बिरलाजी जब लाखों रुपये कमा सकते हैं तो ५ हज़ार बीघे पर किसान क्यों नहीं कमा सकता है। हाथ से खेती करने वाला ४ लेबर नहीं रख सकता है, तो बिरलाजी ५० नौकर क्यों रख सकते हैं? सीलिंग, वकीलों की इन्कम पर क्यों नहीं लगाते हैं कि २०० से ज्यादा नहीं हो, ताकि करीकेन तो आराम पायें। जब

Page No.46

(श्री माधोसिंह)

उनके अन्दर सीलिंग नहीं लगाई जाती है तो यहां पर क्यों लगाया जाता है। इसके बहुत से माननीय सदस्य किसानों के लड़के हैं वे गांवों से यहां आकर बैठ गये, गांवों के प्रतिनिधि यहां आकर बैठ गये, तो वे भी शहरी बन गये और उनकी हां में हां मिलाने लगे। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि उन लोगों पर सीलिंग लगाना क्यों जरूरी हो गया।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान सीलिंग कमेटी के प्रति एक दफा और आकर्षित करूंगा कि सीलिंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनमें काश्तकार कितने हैं ? खेती का काम कितने माननीय सदस्य करते हैं ? यह केवल उन आदमियों के द्वारा रिपोर्ट बनाई गई है जो आदमी वैमनस्यता एक वर्ग के खिलाफ रखते हैं, जो अपने मन में ज़हर रखते हैं। उनके द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई है। उस रिपोर्ट पर आज हम विचार कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा राजस्थान के मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि एक दूसरी कमेटी बिठाई जाय जिसके अन्दर ज्यादातर वे लोग हों जो काश्तकारी को समझते हों, जिनके पास ज़मीन हो। वे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है। उन आदमियों की रिपोर्ट हमें नहीं चाहिए जिसके कई बंगले हैं, जिसके लाखों रुपये की वकालतनामे की आमदनी है। लाखों रुपये की वकालत से आमदनी होती है। अध्यक्ष महोदय, यह जस्टिस नहीं होगा कि उन लोगों पर एब्सोल्यूटली सीलिंग लगाया जाय जिनकी इन्कम सिर्फ ज़मीन के द्वारा होती है।

एक बात और रखूंगा कि राजस्थान के अन्दर ज़ागीरदारी प्रथा खत्म की गई, जमींदारी खत्म की गई, केस ज़ागीर खत्म कर रहे हैं। इस तरह से नये नये प्रस्ताव राजस्थान के अन्दर आते जाते हैं। एक एग्रेरियन कानून की स्याही नहीं सूख पाती है कि उस अर्से में दूसरा रिफार्म रखने की चेष्टा करना कहां तक न्यायसंगत होगा। अध्यक्ष महोदय, इस वक्त राजस्थान में पिछली ज़ागीरदारियां खत्म नहीं हुई, उनको अभी पूरे बोन्ड नहीं दिये गये, कम्पेन्सेशन पूरा नहीं दिया गया है। खेती उन्होंने चालू कर दी है, तो उनकी आमदनी पर सीलिंग लगाने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों को कहां आप धकेलना चाहते हैं। सीलिंग के अलावा अगर सरकार को अपनी इन्कम बढ़ानी है, तो ज़ागीरदारों को कम्पेन्सेशन कम कर दे, टैक्स लगादें, ऐसे कई धन्धे कर सकती है, फिर ऐसा काम क्यों कराया जा रहा है सरकार के द्वारा राजस्थान के अन्दर कि जिससे कि ज़ागीरदारों का ही नहीं हरेक किसान का नुकसान होगा। गांव के अन्दर अच्छे मकान कुछ बस सकते हैं। वहां इससे किसान गांव में खड़ा नहीं रह सकेगा। उसको खेती बन्द करनी पड़ेगी। वह कल्टीवेशन नहीं कर सकता है। उसको दूसरी इन्डस्ट्री, दूसरा धन्धा खोलना पड़ेगा। आने वाले राजनैतिक जीवन में इस राजस्थान में केवल शहरी ही राजनीति को खेलेंगे। गांवों में केवल वोट देने का अधिकार रखें और खड़े होने का अधिकार नहीं रखें। आप चाहते हैं कि गांव के लोग मालदार नहीं बनें। मालदार वे बनें जो नौकरी कर सकते हैं। मालदार वे बनें जो वकालत कर सकते हैं, मालदार वे बनें जो मिलें खोल सकते हैं..

अध्यक्ष महोदय, यह कहां तक न्याय संगत होगा, इस वक्त जब कि राजस्थान में

(श्री माधोसिंह)

ज़मीन ज्यादा है और ज़मीन की कोई कमी नहीं है और यदि लैंड लैस टिनेन्टस को बसाना है, तो उनको आप कंपेनसेशन दे सकते हैं। उनको बसाने की पहले ट्राई करें और उसके बाद में यदि कोई लैंड लैस रहते हैं तो फिर और दूसरी बात सोच सकते हैं। सोशियल जस्टिस की बात कहना आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल रूप में लाना मुश्किल है। पहले सरकार अपने मन्त्रियों के ऊपर सीलिंग लागू करें फिर सीलिंग कमेटी के सदस्य अपनी इन्कम को सील करें, वकालत की इन्कम को छोड़े। राजस्थान में जब उनकी राय में २४०० की सालाना आमदनी पर गुजारा अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो उनको पहले अपने आप पर सीलिंग लगाना चाहिये फिर सीलिंग दूसरा पर लाते तो ज्यादा अच्छा होता....

श्री बृजमोहनलाल : (अश्रव्य)

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा : एक माननीय सदस्य बीच में बोल रहे हैं मुझे मालूम है पहले उनकी इन्कम बहुत रही हुई है। मैं इस पर ज्यादा न कहकर अपना भाषण आरम्भ करूंगा....

श्री अध्यक्ष : आरम्भ क्या अब तो समाप्त करिये।

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा : One minute राजस्थान में सीलिंग के लिये कानून बनाने का प्रस्ताव आने से पहले एक और सीलिंग कमेटी अपॉइन्ट की जावे, जिसमें ऐसे सदस्य लिये जावें जिनको काश्तकारों की हालत का अनुभव हो और राजस्थान में खेरी साहब जैसे एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दी है वैसे ही बाहर से एक दो एक्सपर्ट आदमी आवें और वे राजस्थान की हालत को पहचानें और फिर रिपोर्ट दें। मुझे मालूम है कि इस सीलिंग कमेटी के मेम्बर्स मोटरों में बैठकर ज़िला हैड क्वार्टर्स पर गये और वहीं कुछ लोगों से बातचीत की, वे वकील साहब अदालत का काम तो जानते थे, लेकिन काश्तकारों के बारे में क्या जानते थे ? अगर कोई काश्तकार आते तो कहते कि आप क्या बतायेंगे आपको तो गुमराह किया गया है। इस तरह से कमेटी ने रिपोर्ट बनाई और वह हमारे सामने प्रस्तुत हुई। उसमें २४०० रु० पर सीलिंग का आंकड़ा रखा है। इस पर आप विचार करें। आज अगर आप इसको स्वीकार करलें तो अगले ही सेशन में राजस्व मन्त्रीजी सीलिंग एक्ट बनाकर सदन में पेश कर देंगे। सदन में उनका बहुमत है, जैसा चाहेंगे वैसा एक्ट पास हो जायगा, लेकिन इससे सोशियल जस्टिस नहीं होगी। जब तक हर व्यक्ति की आमदनी पर सीलिंग नहीं होगा, तब तक सोशियल जस्टिस नहीं होगी और यही कहा जा सकता है कि गाव वालों पर नया कानून ठोकना चाहते हैं और शहर वाले मौज करते हैं, तो यह बुरी बात है। अध्यक्ष महोदय, किसान कैसे बनते हैं इसका अनुभव जितना आपको है उतना दूसरों को कम होगा। आप गाव वालों और किसानों के साथ अन्याय करें उससे पहले खुद का घर टटोलें। यदि सीलिंग हर चीज़ पर आता है तो मैं इसका भी स्वागत करूंगा। हर आमदनी पर सीलिंग लावें और सामुहिक कानून बनावें। पहले आपने जागीरदारों और ज़मींदारों को खत्म किया, अब किसानों को तंग करना चाहते हैं यह बात न्यायसंगत नहीं है।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता

Page No.48

(श्री माधोसिंह)

हूं कि आप हज़ारों आदमियों को रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट देकर बसा सकते हैं। इसके लिये प्रयत्न करने के बाद में यदि सीलिंग लगाना आवश्यक समझते हैं, तो दूसरी कमेटी नियुक्त करें, जिसमें वे लोग सदस्य हों जो खेती बाड़ी का काम करते हों, हम उन सदस्यों को नहीं चाहते जो वकालत करते, हैं जिनकी बड़ी आमदनी है, जिनके पास शहरों में इमारतें हैं, हम उनको चाहते हैं जो काश्तकार हैं और जिनके पास ज़मीन नही है, ऐसे व्यक्तियों की समिति कायम करके उनसे रिपोर्ट तैयार करानी चाहिये। फिर सदन के सामने प्रस्तुत करनी चाहिये और फिर जो राय हो उसके आधार पर सीलिंग फिक्स करेंगे तो न्यायसंगत होगा। यदि आप मौजूदा तरीके से कानून बनाने की कोशिश करेंगे, तो किसानों के साथ न्याय नहीं किया जायेगा और लोगों के साथ सोशियल जस्टिस नहीं की जायगी और किसान वर्ग के साथ में घोर अन्याय किया जायगा और आने वाली पीढ़ी कहेगी कि राजस्थान में कानून सोशियल जस्टिस के आधार पर नहीं बनाये जाते थे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक दूसरी सीलिंग कमेटी बैठाई जाय जिसमें सदन के वे सदस्य लिये जांय, जो खुद ज़मीन खड़ते हैं और दूसरे जो एक्सपर्टस लोग हैं उनको लिया जाय वे पूरी जांच करके फिर रिपोर्ट पेश करें। मैं सदन के सभी सदस्यों से अपील करूंगा कि वे अनुरोध करें कि दूसरी समिति बनाई जाकर रिपोर्ट लाई जाय।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मन्त्री महोदय को अपना इतिहास बनाने की और भूमि सुधार के कानून बनाकर एक इतिहास बनाने की बड़ी चिन्ता है। वैसे ही माननीय राजस्व मन्त्रीजी को भी इस बात का गर्व है कि राजस्थान में होने वाले जितने भी भूमि सुधार की नीति है उसका प्रतिपादन मेरे विभाग के द्वारा होता है इसलिये वे इस बात का बड़ा गर्व अनुभव करते हैं। लेकिन मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया है, विशेषतया सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद, कि जिन लोगों के हाथ में आज भाग्य बना है, वे या तो जान बूझ कर शोषण करते हैं, या उन्होंने राजस्थान की ग्रामीण स्थिति का व्यवहारिक रूप से अध्ययन नहीं किया है। मैं निवेदन करूं कि एक समय था जब मनुष्य यह सोचता था कि वह थोड़े में ही अपना निर्वाह कर सके। लेकिन जब आवश्यकताएं बढ़ीं, साधनों की कमी हुई तब उसने एक रास्ता निकाला और वह यह कि जो आगे बढ़ रहा है उसका गला दबोचा जाय और जो पीछे आ रहा है उसको लात मारी जाय और इस प्रकार वह आगे बढ़ जाय। इस प्रकार की जब स्थिति हुई तब भारतवर्ष में दूसरी स्थिति बनी, वह अध्यात्मिकता की ओर बढ़ा। सारे सुखों का त्याग करने और अपनी आवश्यकताओं में कमी करनी शुरू करदी। लेकिन जो लोग इससे प्रभावित नहीं हुए वे भौतिकवाद की ओर बढ़े और उसके परिणामस्वरूप फ्रान्स और रूस में क्रान्तियां हुई। आगे बढ़ने वाले का गला दबोचा गया और पीछे आने वाले के लात मारी गई। हिन्दुस्तान में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अनुभव किया कि ऐसी बला यहां भी आने वाली है इसलिये उन्होंने पहले ही सतर्क होकर इस दिशा की ओर काम करना शुरू कर दिया। हमारे यहां भारतवर्ष में भी वे नरमदली जागरूक थे, उन्होंने आने वाली बला को महसूस किया और कांग्रेस जैसी संस्था को मदद दी जाय, यह सोचा।

[श्री तनसिंह]

नरभक्षी केवल मनुष्य का रक्त पीने के लिये ही किसी को सुविधा देता है, वह अपना भवन उस पर निर्माण करना चाहता है। ऐसे वर्ग ने देखा कि मुझ पर कोई आपत्ति आने वाली है, तो उसने आपस में एक गुप्त समझौता किया और उसके आधार पर आप देखिये जितने कानून पेश किये जाते हैं, जितने प्रगतिशील सोशियल जस्टिस के नाम पर या कल्याणकारी राज्य बनाने के नाम पर होते हैं, वे सब इसी भावना से ओतप्रोत होते हैं। जितने कानून साधारण जनता के उत्थान के लिए हैं वे सब ताक पर रख दिये हैं। पिछली एसेम्बली में मनी लेन्डर्स बिल पास हुआ था वह पास रहा, मंत्रीजी को उसे लागू करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि उसको यहां लागू करके नर भक्षी नाम से उन मनुष्यों को बचाया जाय। एग्रीकल्चरल रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनेस बिल पिछले साल पास किया, लेकिन आज तक उसको लागू करने का मौका नहीं मिला। यह आपकी इतिहास बनाने की कारगुजारी है। यह सब एक ताक पर पड़े हैं। इसके अतिरिक्त मैं नहीं समझ सका सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट से किस प्रकार ग्रामीण जनता का लाभ किया जायगा। जहां एक ओर सोशियल जस्टिस का नाम लिया जा रहा है वहां दूसरी ओर विशाल पैमाने पर शोषण किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक आज के सत्ताधारियों का संबंध है, मैं यह कह सकता हूं कि शोषण करने वाले हैं। मेरी मान्यता निश्चित तौर से यह है कि जो सतरंज के खिलाड़ी हैं उनको फायदा है, जो लोग परदे की ओट में बढ़ रहे हैं, वे केपिटलिस्ट चाहे बिड़ला हों, चाहे टाटा हों या चाहे डालमियां हों, वास्तव में उनके हित के लिए ही काम हो रहा है। राजस्थान की जनता ने विशेषरूप से आग्रह किया था कि वनस्पति घी को रोका जाय, उसमें रंग डाल दिया जाय और उसमें डिस्टिंक्शन किया जाय, ताकि लोगों को धोखे से बचाया जा सके। यहां तो लोगों को दोष देना सीख लिया है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उसके लिए कोई बात नहीं हो रही है और दूसरी ओर यह बात हो रही है कि जो नीति स्टेट के वक्त में थी, उसको छोड़ दिया है और उसमें भी छूट कर दी गई है। मैं निवेदन करूं जहां तक केपिटलिस्ट के प्रति हमदर्दी की बात है, उसमें सरकार आगे बढ़ रही है और उसके साथ ही कहते हैं कि हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, सोशियल जस्टिस करना चाहते हैं। लेकिन यह कैसे हो, क्यों हो, जब एक मिल का मालिक ५० मिल रख लेता है, तो कोई बात नहीं है, उसे सिर्फ इन्कम टैक्स देना पड़ेगा। अगर एक साधारण ग्रामीण की आमदनी भी सीमा से बढ़ जाती है, तो उसको भी इन्कम टैक्स देना पड़ेगा, इतना ही नहीं उसको लैंड रेवेन्यू भी देना पड़ेगा, किराया भी देना पड़ेगा। अगर किसी ज़मीन पर मिल बनी है, तो उस जमीन का किराया नहीं देना पड़ता, इन्कम टैक्स देना पड़ता है। आज आप सीलिंग इम्पोज़ कर रहे हैं, सीलिंग इन्कम पर की जा रही है, यह मिसनोमर है। सीलिंग साधनों पर लगाई जाती है, तो यह कहां तक सोशियल जस्टिस की बात होगी। सोशियल जस्टिस की बात तब होती जब इस तरह का कानून पास करके निर्णय देते कि कोई व्यक्ति हमारे यहां १० से ज्यादा मकान नहीं रख सकता, पांच मिल से ज्यादा नहीं रख सकता, तब कुछ बात होती। आप यह

(श्री तनसिंह)

कहते कि १५० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, लेकिन आप इन्कम के ऊपर सीलिंग लगाने की बात कहते हैं, यह इन्कम पर सीलिंग नहीं है, साधनों पर सीलिंग लगा रहे हैं और सीलिंग साधनों पर लगाने का अभिप्राय यह हुआ कि विकास होना असम्भव है। आप सोचते हैं, अध्यक्ष महोदय, जब इस नर-भक्षक ने देखा कि मेरा शिकार होने वाला है, इसलिए उसने, जो लोग शिकार करने वाले हैं, उनकी बन्दूक का निशाना अपने ऊपर से टाल कर दूसरे लोगों के ऊपर डाल दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले जागीरदार और किसानों में संघर्ष पैदा किया, जब वह समाप्त हुआ, तो जाटों और राजपूतों में संघर्ष बनाये रखे जाने की कोशिश की। यानि सांप चला गया, अब उसकी लकीर को पीटने की कोशिश की जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि इतना सब होने के बावजूद इसका परिणाम क्या होगा? इसका अभिप्राय क्या है? यह स्पष्ट है कि इस नर भक्षक के लिए दूसरे लोगों के सामने इस असेम्बली में आने में शुरू से असमर्थ हैं, वह लोगों को शुरू से दबा रहा है, कैसे न कैसे, लेकिन अब हेव और हेव नोट; लेकिन फिर भी धीरे धीरे वे राजनीति में प्रवेश करने लग गये, उनको जनता का प्रतिनिधित्व प्राप्त होने लग गया। इसलिए वे अपना जीवन निर्वाह न कर सके इसलिए छोटे छोटे सेक्शन्स को निर्बल बना दिया। जिससे वे भविष्य में कोई कार्यवाही नहीं कर सकें। उसका एक साधन सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट है कि सीलिंग लागू की जाय। अध्यक्ष महोदय, कन्टेम्प्लेट करते हैं कि २४०० रुपये से ज्यादा आमदनी होगी, उसी पर सीलिंग लगाई जायेगी, जिस फेमिली की २४०० रु० की आमदनी होगी, उसमें फेमिली के मेन्टिनेन्स का खर्चा भी होगा और जो खर्चा होगा, उसके बाद उसके पास क्या बच सकेगा, जिससे वह चुनाव लड़े और नरभक्षक का मुकाबला कर सके?

मैं समझता हूँ कि किसान के वे स्वप्न कि इतनी सुविधा गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली है, इतने वायदे किये हैं कांग्रेसी गवर्नमेंट ने कि यहां के किसान इतने प्रगतिशील होंगे कि अमेरिका के किसानों की भांति उनके पास मोटर होगी, उनकी पत्नि भी क्लब में फिरेंगी, वे भी जागृति के मैदान में आकर बराबर कदम उठायेंगे, वे स्वप्न आज हवा हो गये हैं। आज समस्या दूसरी हो गई है। आज आप यह चाहते हैं कि देश को ऊंचा उठायें, सोशियल जस्टिस करना चाहते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप यह कर लीजिये कि चुनाव के अन्दर इससे ज्यादा खर्च न किया जाय, उससे ज्यादा खर्चा करने वाला व्यक्ति होगा, उसको डिबार कर दिया जाय। इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है, इस प्रकार का कानून बनाया जाता है, तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि संभवतः वहां गांव वाले आयें। लेकिन आप जो खर्चा रखना चाहते हैं, वह ६ हजार का रखा जाता है। मैं निश्चय के साथ कह सकता हूं कि जिस किसान की वार्षिक आय २,४०० रुपये की हो, और उसके परिवार में पांच, छः आदमी हों, तो वह १० वर्ष में भी ६ हजार रुपया इकट्ठा नहीं कर सकता और चुनाव में लड़ कर अपनी आवाज को इस असेम्बली तक नहीं पहुँचा सकता कि हम नरभक्षक व्यक्ति को समाप्त करेंगे और उसके छोड़े हुये कानून को खत्म करेंगे। माननीय

(श्री रामसिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि यह सब कुछ हो रहा है यह परदे के पीछे से किये गये इशारे के आधार पर हो रहा है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब क्यों हो रहा है? जब आप सोशियल जस्टिस की बात कह रहे हैं, सोशियल जस्टिस की बात तो होनी चाहिये, जब आप सीलिंग लगा रहे हैं, तो उसके पहले फ्लोरिंग होना जरूरी है। आप कहते हैं कि हम कल्याणकारी राज्य बनाने जा रहे हैं, हम सोशलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं। यह कैसी सोशिलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी हुई कि जिसका सिर ऊंचा आया, उसको रूट दिया जाय, जिससे वह चढ़ता नहीं, उसका विकास नहीं हो सकता क्योंकि आज अव्यवस्था का रास्ता है। न तो कमेटी ने सुझाव दिये हैं और न राष्ट्र के पास योजना है, सरकार कहती है कि हम दूसरी जगह जो देख रहे हैं, उनको यहां पर लगायेंगे, देश का विकास करेंगे। मैं नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि यह तो भुलाने की बात है। हम देखते यह हैं कि आज ११ वर्ष से खर्चा ज्यादा हो रहा है, लेकिन उतना काम नहीं हो रहा है। आज बेकारी इस प्रकार से बढ़ती जा रही है, यह केवल इस कारण से नहीं है कि आज कोई साधन नहीं हैं। मिस्टर खेरी की रिपोर्ट है, उससे स्पष्ट है कि हमारे देश में इतने बीघा जमीन पड़ी हुई है कि जितने लैंड लैस लेबर्स हैं, उनकी तादाद इतनी है, उन सबको जमीन बांट दी जाय, तो १८३ एकड़ एक व्यक्ति के पास जाती है, जो कि जो सीलिंग आज अलॉट हो रही है, उस सीलिंग से ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि हमारी सरकार कागज पर बेकारी मिटाना चाहती है, अगर बेकारी मिटाने में आस्था होती, इसकी चिन्ता होती, तो इतनी जमीन बिना एलॉट किये हुए पड़ी है, जो कल्टीवेट नहीं हो रही है, क्या कारण है कि उसको अलॉट करते हैं तो हर व्यक्ति को ४० बीघा जमीन अलॉट की जा सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ सका कि यह कैसा सोशियल जस्टिस है। जब आपका किया हुआ काम अच्छा नहीं है, बुरा काम है, तो दूसरों पर दोषारोपण कैसे किया जा सकता है। आपके पास जो जमीन है, उसको अलॉट नहीं कर सकते और आप कहते हैं कि बेकारी फैल रही है, सोशियल जस्टिस करना चाहते हैं, यह दलील बैठने वाली नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि सीलिंग लगाने के बाद भी यहां जो मेनेज्ड मेकेनाइज्ड फार्म हैं, उनके लिए एक्जेम्प्शन रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक ओर कह रहे हैं कि हम सोशियल जस्टिस कर रहे हैं और दूसरी ओर कह रहे हैं कि हम अधिकतम सीमा निर्धारित करना चाहते हैं, लेकिन जो मेकेनाइज्ड फार्म हैं, उन पर सीलिंग लागू नहीं करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि यहां दूसरा सिद्धांत लागू करना चाहते हैं और वह यह है कि राष्ट्रीय धन का विकास होना चाहिये। इस प्रकार जो एक नया सिद्धान्त है, उसे छोड़ रहे हैं। इस तरह आप राष्ट्रीय विकास की बात को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको इस बात की चिन्ता है कि जिन्होंने ट्रैक्टर खरीद लिये हैं, फार्म मेकेनाइज्ड कर लिये हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप उन सब चीजों को खरीद लीजिये और खरीद कर अपने पास फार्म को रखिये। लेकिन इस प्रकार सोशियल जस्टिस नहीं हो सकती, यदि एक आदमी के पास ट्रैक्टर्स हैं और दूसरे साधन हैं, इसलिए उसके पास से जमीन न ली जाय, जिसके पास साधन

(श्री तनसिंह)

नहीं हैं, उस पर साधनों को जुटाने की रोक लगा दी जाय जिससे वह आगे न बढ़ सके। यह सोशियल जस्टिस न होकर मिस-नोमर है। इसे आप सोशियल जस्टिस नहीं कह सकते। यह तो इस तरह की बात हुई कि एक आदमी के पास साधन उपलब्ध हैं, उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो यह तो मैन इटर जैसी बात हो रही है और जो यह पोलिसी चल रही है, उसे परदे के पीछे छिपा हुआ व्यक्ति डिक्टेट कर रहा है। अब आप सोशियल जस्टिस की बात एक ओर देखें और दूसरी ओर राष्ट्रीय धन के विकास की बात देखें, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने अपने आपको कन्फ्यूज्ड कर दिया। हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर फार्म्स हैं, जो गाय के लिए हैं, जो भेड़ों के लिए हैं, उनके लिए इस बात का निर्णय स्पष्ट रूप से नहीं है कि कितनी भूमि होगी, क्या होगा, उसको कैसे डिसाइड किया जायेगा और इसे कौन डिसाइड करेगा, सरकार करेगी या कौन करेगा इस कमेटी ने क्या किया है कि सरकार का जो निश्चित मत था, उसकी पुष्टि की है।

अध्यक्ष महोदय, हम इस बात के आदी नहीं हैं कि सरकार का उचित या अनुचित मत हो उसकी पुष्टि करते रहें। हम अनुभव करते रहे हैं कि इस सीलिंग के द्वारा नारा लगाया जा रहा है कि सैकड़ों का भला होगा, जिनके पास जमीनें नहीं होंगी उनको ज़मीनें मिलेंगी। पर यह दर असल उनको उभाड़ कर सरकार एक चीज़ से दूसरी चीज़ को खत्म करना चाहती है, यह दो बिल्लियों का झगड़ा है जिसमें बन्दर दोनों बिल्लियों को लूटना चाहता है, यह तो उस बन्दर की चतुराई है जो दोनों बिल्लियों के झगड़े से लाभ उठाना चाहता है। यहां ग्रामीण जनता का कुछ भी प्रतिनिधित्व नहीं है, न सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में है और न वहां है जहां होना चाहिये। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस कल्याणकारी राज्य की यही हालत रही, तो वह दिन आयेगा कि यह शतरंज की बाजी चल नहीं सकेगी। ग्रामीणों के हाथ में वह ताकत है कि एक मुक्का मार कर इस शतरंज की बाजी को बिखेर सकते हैं। जब लोगों के पास खाने को नहीं होगा और बिड़ला, टाटा लाखों की सम्पत्ति रख सकते हैं और दूसरी तरफ एक आदमी होगा जो २४०० रुपयों में सात आठ आदमियों का खर्चा चलायेगा और थोड़ी सी उसकी आमदनी रहेगी उससे वह अपने सारे अरमानों को लेकर चलेगा। तो वह दिन दूर नहीं कि मिल ओनर्स द्वारा संचालित राज्य नीति का जिस पर कि समाजवादी समाज और कल्याणकारी राज्य का बुर्का डाल रखा है ग्रामीण लोग उस बुर्के का पर्दा फाश करेंगे। तो जो भी बिल यहां पेश किये जाते हैं उनकी वास्तविकता को हमें देखना चाहिये कि उनसे किन को क्या लाभ होगा। जहां तक मैं इस सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट के मेरिट्स की ओर ध्यान आकर्षित करूं, जो टर्म्स आफ रेफरेंस दिये हैं उसमें कमेटी ने अपने आपको अटर फेल्योर साबित किया है। जो टर्म्स दिये हैं उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि एक भी टर्म ऐसा नहीं है जिसे फुल्ली डिस्कस किया हो। पहला तो टर्म्स ऑफ रेफेरेंस यह था : "To study the laws proposed or enacted in other States for fixing a ceiling on agricultural holdings and to recommend how far it would be advisable to adopt similar pro-

Page No.53

(श्री तनसिंह)

vision in Rajasthan."

अब इस कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर एक हैदराबाद की चीज़ को लिया गया है, हैदराबाद में सीलिंग लगाई उसको डिस्कस किया है, पर वहां इन्कम क्या है यह नहीं बताया गया है, नोट आॅफ डिसेंट है उसमें दिया है ३६०० रुपयों की आमदनी मानी गई है, इसके बाद सीलिंग लागू करने की बात है। वहां पेप्सू में ४५०० रुपयों की बात है। पर मुझे निवेदन करना है कि यह रखा है वह हैदराबाद और पेप्सू को डिस्कस कर के नहीं रखा है, वह नोट आॅफ डिसेंट में है। जब यह टर्म्स आॅफ रेफरेंस है कि और स्टेट्स को डिस्कस करना चाहिये था। सरकार की मंशा यह है कि वह इस प्रकार के कानून को लगावे ही। मुझे मालूम है, यू. पी. असेम्बली में निश्चित रूप से तय हो चुका है, माल मंत्री श्री करणसिंह ने ५४ में भाषण दिया है। शायद अगस्त के महीने में, वह वहां की असेम्बली की प्रोसिडिंग्स में दिया हुआ है, वह राजस्व मंत्री महोदय पढ़ें तो पता लगेगा कि वहां इस प्रश्न का हल किस बेसिस पर किया गया है, उनकी दलीलों को देखें तो प्रतीत होगा कि वहां एक स्थान पर लागू नहीं करने के क्या कारण हैं? कमेटी के सामने जो तथ्य आये हैं वे यह हैं कि पुराने ज़माने में कहते थे कि 'सत्यं वद' 'धर्म चर' सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, माता पिता और गुरू जनों की सेवा करो, यहां शिक्षा दे दी गई कि सामाजिक हित के लिये यह कानून पास करना चाहते हैं, पर नहीं बताया है कि क्या करना चाहते हैं, पहली टर्म्स आॅफ रेफरेंस है उसको डिस्कस नहीं किया है, केवल हैदराबाद को डिस्कस किया है, वह भी हैदराबाद में ३६०० है और हमारे यहां २४०० रखा गया है, कोई फैक्ट्स, कोई तथ्य हमारे सामने नहीं रखे हैं, तो हम क्या डिस्कस करें।

दूसरी टर्म्स आॅफ रेफरेंस यह है: To study the agrarian conditions and the extent of unemployment prevailing in different parts of Rajasthan in relation to the fixation of ceilings on holdings.

माननीय अध्यक्ष, यह सीलिंग कमेटी कई जगहों पर घूमी है, आप यहां देखेंगे कि इसने किन्हीं ज़िलों में अपने हृदय में सोफ्ट कोर्नर रखा है, खास तौर से नागौर में डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर, तहसील हैड क्वार्टर और आगे इन्टीरियर तक में जाने की कोशिश की है, जहां बाड़मेर में डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से ही लौट आई। नागौर में जहां इतनी फरटाइल लैंड है कि जिसके मुकाबले में बाड़मेर की लैंड कहीं खड़ी नहीं हो सकती, नागौर में सीमा १५० एकड़ रखी है और बाड़मेर की २०० एकड़ है।

१०.३७ म. पू.

(श्री सज्जनसिंह, सभापति, पदासीन)

मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, कि २०० एकड़ से तो क्या इससे अधिक भूमि से भी कोई बाड़मेर में २४०० की आमदनी प्राप्त नहीं कर सकता। सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में देखें तो बताया गया है कि यहां सात तो काल पड़ते हैं इनको ध्यान में नहीं रखते हुए नैट इन्कम निकाली है। दूसरे प्रान्तों में जो सुविधाएं हैं, जो

(श्री तनसिंह)

परिस्थितियां है । वह यहां नहीं है, अगर आप यहां नहर लाते हैं और सुविधाएं देते हैं तो वहां सीलिंग लाना उचित है, वहां सीलिंग लाने के बाद भी निश्चित आमदनी हो जायेगी पर अभी तक आप कोई सान्त्वना, संरक्षण नहीं दे सकते, तो वैसी सूरत में सीलिंग लाना कहां तक न्याय संगत हो सकता है । जो कुछ भी हमारे पास है उसको लेकर हम आप हमारे भाग्य के सुपुर्द कर देना चाहते हैं । आप सीलिंग करना चाहते हैं, नागौर के लिये १५० बीघा और बाड़मेर के लिये २०० बीघा, यह सरासर पक्षपात है । मैं वहां साथ चल कर सीलिंग कमेटी के मेम्बर्स को बताने को तैयार हूं कि बाड़मेर में २०० एकड़ ज़मीन से कभी उनका गुजर बसर नहीं हो सकता, हर बार ऐसा होता है कि वहां काश्त की एक लाइन भी नहीं निकल सकती, कई बार ऐसा होता है कि बरसात देर से होती है और उसके बाद दूसरी बरसात इतनी देर बाद होती है कि वहां काश्त जमती नहीं है या वहां बहुत सारे टुकड़े फ्रेगमेंन्टेशन होते हैं, एक में बरसात हो जाती है और दूसरे टुकड़े में बरसात नहीं होती, कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही गांव में एक जमीन का टुकड़ा ऐसा है, कि वहां बरसात हो जाती है और उसी गांव में दूसरे टुकड़े में बरसात नहीं होती कभी कहीं बारिश हो गई, तो दूसरी बारिश होती ही नहीं या बड़ा लम्बा टाइम निकाल कर होती है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इतनी भिन्न हालत है वहां की जिसके मुकाबिले में नागौर की हालत कहीं अधिक अच्छी है, पर नागौर के लिये सोफ्ट कोर्नर रखा गया है, नागौर के लिये सोफ्ट कोर्नर होना आवश्यक है, दूसरे ज़िलों की बनिस्पत नागौर के प्रति उदारता रखी जाय, सोफ्ट कोर्नर रखा जाय, कोई चीज़ नहीं समझ में आये ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । मामे का ब्याह हो और मां परोसने वाली हो, तो इससे बढ़ कर आनन्द की बात और क्या हो सकती है, पर और परिस्थितियों में कैसे हो सकता है । एग्रेरियन कन्डीशन्स की स्टडी करने की बात है वह भी स्पष्ट रूप से नहीं आई है ।

इस सीलिंग कमेटी ने शुरू से आखिर तक अपने दिमाग में एक बात को सामान्यत: स्वीकार करके चलना ठीक समझा । वह यह कि सीलिंग उन्हें लगाना है । यही दृष्टिकोण जो था वह दूषित दृष्टिकोण मैं मानता हूं यह सारा का सारा दृष्टिकोण ही प्रीज्युडिस्ड दृष्टिकोण है । कभी इस बात को सोचा नहीं कि सीलिंग अपोइन्ट करने का है या नहीं । जितने भी रिप्रेज़ेन्टेशन ज़िला हैडक्वार्टर पर दिये गये उनका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया । जालौर के अन्दर किसानों ने आकर यह कहा था कि सीलिंग लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने वहां के एक माननीय सदस्य को यह कहा था कि हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी आप ही की तरह मोटरों में बैठकर घूमें । मोटरों में बैठने से वे घृणा करते हों यह बात नहीं, वे भी मोटरों में बैठने के लिये अपने को किसी से कम बहादुर नहीं मानते, लेकिन वे चाहते हुए भी नहीं बैठ सकते । अगर हमें उनका स्टेंडर्ड मोटरों तक लाना है और हम यह भी चाहते हैं कि वे भी आप और हमारी तरह सफेद कपड़े पहनें, अपना जीवन स्तर ऊंचा उठावें, तो हमें चाहिये कि उनको ऐसे रास्ते बतावें कि जिससे वे आमदनी प्राप्त कर सकें । आज उनके पास ज़मीन के अलावा और कोई साधन नहीं

(श्री तनसिंह)

जिससे वे अपनी आमदनी कर सकते हैं। आज उस पर भी सीलिंग कायम करके उस ज़रिये को भी खत्म कर देना चाहते हैं। अगर वे शहरों में आते हैं इस आशा पर कि उन्हें कहीं चपरासी या मिल में काम करने की जगह मिल जायेगी और बरसात के दिनों में वे अपने खेतों पर काम कर सकेंगे, और इस तरह से आसानी से गुजर बसर कर सकेंगे, यह भी बात नहीं हो सकती। और यह भी स्थिति हमारे हिन्दुस्तान में तो आनी वाली नहीं कि यहां के मील का मज़दूर मोटर लेकर आवे, यह कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जिन लोगों को आपने अनेक प्रकार के आश्वासन दिये, जिनके बल बूते पर देश आजाद हुआ उनसे प्रत्येक प्रकार के वादे किये उन सब वादों को ताक पर रख दिया गया। सभापति महोदय, जिन लोगों ने इस कमेटी के सामने विरोधी राय दी उनकी राय को डिस्कस नहीं किया गया। इसलिये हम कह नहीं सकते कि यह जो दृष्टिकोण रखा गया है वह एकांगी है खुद का है। इसलिये इस पर ज्यादा बहस नहीं की जा सकती।

तीसरी बात है : "To examine the different sizes of holdings ranging from highest to lowest in each district and to propose a ceiling for each area. The proposed ceiling should be related to the average size of holdings and the economic need of an average family"

अब प्रश्न यह आया कि इकॉनोमिक नीड क्या है? एवरेज कमेटी ने इस विषय में जो निर्धारित किया है, जो तरीका इस सीलिंग कमेटी ने अपनाया है, मैं समझता हूं यह तरीका बिल्कुल अव्यवहारिक है। इस विषय में जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। जो इस कमेटी के मेम्बर थे। वे किसी ग्रामीण वर्ग के न होकर ऊंचे तबके के लोग हैं उनको ग्रामीण जनता का और उनकी साधारण आमदनी का कतई ज्ञान नहीं है, उन ग्रामीण लोगों की कितनी आवश्यकता है यह उन लोगों के दृष्टिकोण में नहीं है। मैं समझता हूं जो २४०० रुपया सालाना की आमदनी बतायी गयी है वह इतनी अपर्याप्त है कि वह किसी भी एक कुटुम्ब के पालन पोषण के लिये कभी भी उपयुक्त और उचित नहीं कही जा सकती। मैं इस विषय में निवेदन करूं ऐसे भी कई किसान हैं जो वर्ष में इससे भी कहीं ज्यादा खर्च करते हैं। जिनके रहन सहन का स्तर हम लोगों से भी कहीं अधिक ऊंचा है। इस प्रकार से जो विकास इस वर्ग में हो रहा है वह विकास हम सीलिंग कायम करके अवरुद्ध कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हजारों लाखों मजदूरों की कसौटी पर टाटा, बिड़ला और डालमिया का विकास हो रहा है। उसकी तरफ आप लोग आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं करते। आज आप गरीबों को ही क्यों पकड़ते हैं जिनकी संख्या लाखों है। उन पर ऐसे कानून लगाने की हिम्मत क्यों होती है? आपका दृष्टिकोण दूसरी ओर उन्मुख क्यों नहीं होता? इसलिये जहां तक इस कमेटी के थर्ड रेफरेन्स का सवाल है इस कमेटी की रिपोर्ट इनकम्पलीट है।

चौथा टर्म ऑफ रेफरेन्स है : "To examine the question of payment of compensation to persons from whom land above the ceiling fixed on holdings is to be acquired and to make

Page No.56

(श्री तनसिंह)

recommendations in respect of each sub-division."

सभापति महोदय, यह क्वश्चन तो एग्ज़ामिन किया ही नहीं गया। यहां पहले जो एक्ट हमने पास किया है उसकी धारा को गोलमाल करके यहां रख दी है। गोलमाल करना इस विभाग की एक प्रकार से विशेष रूप से आदत बन गई है, इसलिये सभापति महोदय, यह जो चौथा रेफरेंस है उसके बारे में जो चीज हमारे सामने रखी है वह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रावधान है, इसका व्यवहारिक रूप से क्या असर होगा उसको यदि डिस्कस करते तो मालूम होता क्या चीज है। कम्पेनसेशन किस प्रकार किया जावेगा। पहले से जो चीज थी उसी को उसी तरह यहां लगा दिया गया है तो इस प्रकार से इस कमेटी के बनाने का अभिप्राय ही क्या था।

सिक्स्थ टर्म ऑफ रेफरेन्स है: "To make recommendations for the distribution of land to landless persons and other deserving persons."

इस टर्म ऑफ रेफरेन्स के सिलसिले में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, उसके लिये खेद के साथ कहना पड़ता है कि वे इस चीज को नहीं बना सके इसके बारे कोई रिकमन्डेशन्स नहीं दे सके। मुझे समझ में नहीं आता जब कि यह कमेटी सन् ५३ के नवम्बर में मुकर्रर हुई थी और पांच वर्ष के समय में भी वह इस रिपोर्ट को कम्पलीट बनाकर नहीं दे सकी ? आखिर उसके सामने क्या बाधायें थीं। उस कमेटी के साथ एक्सपर्टस लगे हुए थे, फिर भी इस प्रकार से अधूरी रिपोर्ट दी है, तो फिर इस अधूरी रिकमन्डेशन्स पर क्या विचार किया जा सकता है और क्या निर्णय लिया जा सकता है ? माननीय राजस्व मंत्री जिनको इस बात का गर्व है कि राजस्थान के भूमि सुधारों में उनका बहुत बड़ा हाथ है और उन्ही के नीचे काम करने वाली कमेटी के यह हाल हैं।

छटा टर्म ऑफ रेफरेंस है "To examine and report on all matters relevant to the question of ceilings on agricultural holdings, सभापति महोदय, इस संबन्ध में कोई सवाल पैदा नहीं होता। जितनी भी साइड एग्ज़ामिन की हैं, उन सब का इतिहास लिख दिया है। इस रिपोर्ट के अधिकांश पैरे ऐसे हैं जिसके बारे में एक सामान्य व्यक्ति भी जानकारी रखता है सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य जानता है; उसके बाद भी इस कमेटी ने सोशियल जस्टिस को आधार मानकर कुछ बातें इसमें लिख दी है। उन सब बातों पर हम निर्णय लें, तो हम इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकते कि क्या सीलिंग लगाना है या नहीं। यह तो आप मान कर चलिये इस इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से निर्णय ले लिया गया है क्योंकि इसका आभास हमें कई दफा मुख्य मंत्री महोदय के भाषण से और राजस्व मंत्री महोदय के भाषण से मिल चुका है कि वे सीलिंग जरूर कायम करेंगे, सीलिंग लगाकर रहेंगे, वे इस बारे में पहले से ही प्रेजुडिस्ड हैं। हमारे सामने तो केवल नाटक रचने के लिये हमारी राय केवल दिखावे के रूप में लेने के लिये यह रिपोर्ट रखी जा रही है। इस संबन्ध में जो बिल आना है, वह तो ड्राफ्ट हो गया होगा अगर नहीं हुआ, तो उनके दिमाग में तो एक प्रकार से ड्राफ्टेड है ही। यहां केवल दिखावे के लिये राय जानने के लिये इसको रखा गया है। इतना सब होते

(श्री तनसिंह)

हुए भी मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि इन मंत्रियों से और सरकार की इस प्रकार की नीति से राजस्थान की जनता का भला होने वाला नहीं। वह दिन मैं समझता हूं अब ज्यादा दूर नहीं जब हम इन कुर्सियों पर जनता के वास्तविक प्रतिनिधी पायेंगे। अभी से आप अनुभव कर लें, इससे ग्रामीण जनता का हित साधन होने वाला नहीं है, हम यदि उनका विकास करना चाहते हैं, दोस्ती का व्यवहार करना चाहते हैं, तो ऐसे कानून न लागू करें। लेकिन आप इन ग्रामीण बन्धुओं से दोस्ती न कर बिड़ला, टाटा और डालमिया आदि नरभक्षियों से हाथ मिला रहे हैं जिनको मनुष्य का खून चूसने का चस्का लगा हुआ है, जिनको गरीब का खून चूसने की आदत पड़ गई है। आप यदि वास्तव में ही ग्रामीण जनता के हित की बातें करते हैं, तो एग्रीकलचर इन्डेटेडनेस बिल लागू करिये हम कानून तो पास कर देते हैं, लेकिन उनको लागू नहीं करते। कुछ सरकारी जाग रुकता के अभाव के कारण लैप्स हो जाते हैं। उनको दूसरी असेम्बली में लाकर पास करते नहीं।

यहां आप मुनाफाखोरी के सम्बन्ध में सूद खोरी के सम्बन्ध में कोई कानून लाने की हिम्मत नहीं करते जिनसे हम पूरी तरह से सहमत है। उन कानूनों को आप लाते नहीं इनको निरन्तर टाल रहे हैं, इसमें आपका क्या हित है। इससे साफ यह मालूम होता है कि आपका हाथ उनसे मिला हुआ है। तो हम यह कैसे भरोसा करलें, कि आप इस प्रकार के काम करा लेंगे।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि वैसे तो यह रिपोर्ट अधूरी है, इसलिये इस पर डिस्कशन हो नहीं सकता, इस संबन्ध में माननीय सदस्य की राय से सहमत हूं कि इसको वापिस दूसरी कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय, जो खास तौर से ग्रामीण जनता के प्रतिनिधि हों। गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, यह बात नहीं है वे समझते नहीं हों यह भी बात नहीं कि वे लोग खूब अच्छी तरह से समझते हैं और कई बार तो हमसे भी ज्यादा समझते हैं, यहां के बड़े बड़े विद्वन जितना नहीं समझते, वे अपने विषय के अन्दर उनसे भी ज्यादा समझदारी रखते हैं।

अर्थमैटिक की थ्योरी या राजनैतिक थ्योरी भले ही वे न जानते हों, लेकिन अगर मुकाबला किया जाय ज़मीन के मामलों में में उनकी जमीन की कितनी आमदनी होगी इस बारे में सेटलमेंट ऑफिसर जितना सही केलकुलेशन नहीं कर सकता उतना आसानी से वे बतला देंगे, कि उनकी ज़मीन की कितनी आमदनी होगी। वे अपनी जमीन के बारे में इसलिये एक्सपर्ट हैं कि वे अपने हाथ से खेती करते हैं और उसीसे अपना निर्वाह करते हैं। इस कमेटी की जो रिपोर्ट है, इसकी जो रिकमन्डेशन्स हैं, वे सारी की सारी उन लोगों ने की हैं जिनको ग्रामीण जनता का व्यवहारिक ज्ञान नहीं। २४०० रुपये की जो इन्कम रखी गई वह भी बड़ा अन्याय किया गया है। आज जब कि दूसरे देशों के आधार पर हमें कृषि का विकास करना है, चाहे हम नेशनल इन्कम के रूप में लें, चाहे स्टेन्डर्ड ऑफ लीविंग के तौर पर लें अगर हम इतनी मामूली आमदनी पर सीलिंग लगाते हैं, तो उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। दूसरे देशों के किसानों के साथ हमारे देश के किसान की तुलना करें

(श्री तनसिंह)

तो हम बहुत फर्क पायेंगे। हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों के किसान से और राजस्थान के किसान से मुकाबला किया जाय, तो आपको मालूम होगा कि सब से गरीब राजस्थान का किसान है। आज उस पर भी सीलिंग लगाना चाहते हैं। तो आपकी कम से कम यह भी ड्यूटी है कि उनके दूसरे इन्कम के सोर्सेस पैदा करें, उनको विकास के लिए अवसर दें, इसके लिए यह तो कीजिये कि जो अन इकॉनोमिक होल्डिंग हैं, उस पर लगान माफ कर दीजिये। १०० रुपये तक आमदनी पर लगान मत लीजिये। जब आप फ्लोरिंग लगाना नहीं चाहते, मनमानी लिमिट नहीं लगाना चाहते, तो हम यह जानते हैं कि शहरों में जो बेकारी बढ़ रही है। बेकार लोग शहरों से गांव की ओर भागने लगे हैं। जिन लोगों को कोशिश करने के बाद भी चपरासी की जगह नहीं मिलती; वे आसानी से इस सरकार के हाथ से जब शोषण हो रहा है, ग्रामीणों को जमीन मिल रही है। जब इतने आराम से आजीविका के साधन प्राप्त हो रहे हैं, तो शहरों के ये बेकार जमीन पर काश्त करने के लिये गांवों की ओर आ जाते हैं। अगर आप वास्तव में ही ग्रामीण जनता का विकास करना चाहते हैं, तो आपको इस बात पर रोक लगानी चाहिये कि जो बेकार लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं उनकी बेकारी दूर करने के लिये उनको मजदूरी दीजिये, अन्य काम दीजिये, लेकिन उनको खेती के लिये जमीन मत दीजिये. क्योंकि वे खेती में माहिर तो होते नहीं, वे किस प्रकार से उस जमीन का उपयोग कर पायेंगे। आज हम देखते हैं जो कृषि को जानते नहीं, फिर भी उनके नाम ज़मीन अलोटेड है। हमारे प्लानिंग कमीशन ने एक नीति निर्धारित कर दी है, पर्सनल कल्टीवेशन जो करता है, उसी के पास ज़मीन रहनी चाहिये। इस आधार पर कानून को लागू करें, प्लानिंग कमिशन ने जिस प्रकार का सुझाव दिया है उसके बारे में सौ बार आश्वासन दे दिया गया होगा कि हम उसी आधार पर कानून ला रहे हैं, किन्तु आज तक उस कानून का पता नहीं। चाहे वह किसान जागीरदार हो अगर आप खुद काश्त का दृष्टिकोण लागू करना चाहते हैं, तो यह बड़ा अन्याय होगा। कई किसान ऐसे हैं जो हाथों से काश्त नहीं करते, जिनके फेमिली मेम्बर्स काश्त नहीं करते जो हायर्ड लेबर से काम करवाते हैं। उन किसानों के पास भी ज़मीन नहीं रहनी चाहिये, यह प्लानिंग कमीशन का सिद्धान्त हैं लेकिन इस सिद्धान्त को सरकार काम में नहीं ले रही है। जो फ्लड शहरों से गांवों की ओर बढ़ रहा है। जिसको काम देने में सरकार नाकामयाब हो रही है। उनको कितने गांवों में खपा सकने की हिम्मत है। ज्यादा समय न लेता हुआ इतना निवेदन अवश्य करूंगा, हमें इस रिपोर्ट पर खूब गौर से विचार करने की आवश्यकता है। इस सयम सीलिंग लागू न करके इसे दूसरी कमेटी बनाकर उसे फिर से यह काम सौंपा जाय, वे एग्रेरेरियन कन्डीन्शन पर भी गौर करें। राजस्थान के गांवों का विकास इसी से हो सकता है कि हम इस कमेटी की रिकमेंन्डेशन्स को अभी लागू न करें ऐसी आवश्यकता भी अभी प्रतीत नहीं होती।

श्री सभापति : श्री राजाराम।

श्री राजाराम (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के व अन्य

(श्री राजाराम)

प्रान्तों में सीलिंग का सिलसिला चल रहा है जो रिपोर्ट हमारे सामने है उसको देखने से यह पता चलता है कि राजस्थान प्रान्त की जमीन को अन्य प्रान्तों की ज़मीन से स्थिति भिन्न है।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : जरा जोर से बोलिये।

एक माननीय सदस्य : ये तो लिखित भाषण पढ़ रहे हैं।

श्री सभापति : नहीं नोट्स देख रहे हैं।

श्री राजाराम (जारी रखते हुए) : राजस्थान प्रान्त में जो ज़मीन की स्थिति है वह भिन्न है, यहां कि स्थिति के मुकाबले।

श्री सभापति : माननीय सदस्य लिखित भाषण न पढ़ें नोट्स हों, तो उनके आधार पर जबानी कह सकते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : नोट्स देख कर ही बोल रहे हैं।

श्री राजाराम : जो बातें मैंने इस रिपोर्ट से नोट की हैं उसी को देखकर बोल रहा हूं। हमारे यहां पर जो भूमि का वितरण हुआ है उसमें किसानों की स्थिति ठीक नहीं है। हमारे प्रान्त में इतनी जमीन पड़ी हुई है कि यहां सीलिंग कायम करने की आवश्यकता नहीं है भारत के अन्य प्रान्तों में जैसे केरल प्रान्त से कम है, डबल क्रोप एरिया में जहां आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिये, वहां इस प्रकार सीलिंग कायम किया गया है। राजस्थान के लिये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें राजस्थान की स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य नोट्स को देखकर के मौखिक भाषण दें।

श्री राजाराम : इसलिए वर्तमान परिस्थिति के अन्दर सीलिंग लागू नहीं होना चाहिये। इसके अलावा सरकार से एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार नौकरों, कल कारखानों या मालिक मकान हो उनकी आमदनी पर भी सीलिंग होना चाहिये। कृषि आय पर सीलिंग लागू नहीं होना चाहिये। जैसा कि सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट मे बताया गया है हमारे यहां कुल ज़मीन १,३७,२७,२७४ एकड़ है और यह सारी भूमि कृषि करने योग्य है और इसके अलावा भूमिहीन किसान की संख्या ३,७६,३९० है। यदि हम इस समस्त भूमि का वितरण इन भूमिहीन किसान में करें, तो प्रत्येक परिवार को १९३ एकड़ भूमि प्राप्त हो सकती है। तो ऐसी हालत के अन्दर सीलिंग का प्रश्न लागू नहीं होता। एक बात यह है कि गंगानगर के इलाके के सीलिंग का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वहां जो ज़मीन खरीदी गई है वहां एक एक मुरब्बे के बीस बीस और तीस तीस हजार रूपये देकर खरीदा है, इसलिये वहां पर सीलिंग का प्रश्न ही नहीं उठता। सूरतगढ़ में हम देख रहे हैं मशीन द्वारा खेती करने के लिए ५० हजार बीघा का फार्म खोला गया है, जिससे तीस गांव उजड़ गये हैं। उनको बसाने का कोई जरिया नहीं, न उनको मुआवजा ही दिया गया अब

Page No.60

(श्री राजाराम)

न उनको जमीन का अलोटमेन्ट ठीक हुआ, तो फिर आप सीलिंग किस बात के लिये कर रहे हैं और इस सीलिंग की सीमा ऊंची रखी जाय, जैसी कि आंध्र में ५४०० रखी है जब कि यहां २४०० रखी गई है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सीलिंग की सीमा ऊंची होनी चाहिए।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : सभापति महोदय,....

श्री गिरधारीलाल : ओन ए प्वॉइन्ट ऑफ इनफार्मेशन, सर, सभापति महोदय, टाइम की कुछ लिमिट रखी गई है या नहीं, क्योंकि काफी सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री नारायणसिंह : I don't think Sir, there is any time fixed.

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : यह बहुत अहम मसला है और इस पर पूर्ण गम्भीरतापूर्वक विचार करने की बात है। इस वास्ते जो भी माननीय सदस्य अपने विचारों को व्यक्त करना चाहें उनको पूरा समय दिया जाना चाहिए। इस विचार से कोई समय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

श्री गिरधारीलाल : आपने दो दिन का टाइम रखा है। इसमें कई सदस्य बोलने वाले होंगे तो टाइम बढ़ाना चाहिए।

श्री सभापति : यह मेरी सूचना ठीक है, तो मेरे ख्याल से १ दिन का समय और बढ़ा दिया गया है।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : सभापति महोदय, आज के युग में सामाजिक न्याय के प्रति हम और हमारी सरकार इस बात के लिए तैयार है कि जमीन और धन का बराबर बंटवारा इस प्रकार से समाज में किया जाय कि समाज की विषमताएं दूर हों और इस दिशा में हमने जमीन के कानूनों में और जमीन की व्यवस्था में इसी दृष्टि से काफी कदम उठाये हैं और संशोधन पेश किये हैं और जो हमारे सामने भूमि क्षेत्र की अधिकतम सीमा निर्धारण करने का प्रतिवेदन मौजूद है। वह उसी भावना का प्रतीक है। आज जो मूल भावना इसमें है वह यह है कि जो जमीन का जोतने वाला है वही जमीन का उपभोग करें, वही जमीन को खावे और जो जमीन जुतवाता है वह ऐसा दृष्टिकोण रखें कि जो भूमिहीन है और फिर भी जमीन खड़ करके उनका जीवन निर्वाह करते हैं, उनको जमीन मिल सके इस प्रकार की उदारता ग्रहण करें। यदि वे उदारता ग्रहण नहीं करते हैं तो उनको बाध्य करनेको अग्रसर होना पड़ता है। आज जो हम अधिकतम भूमि के मूल्यांकन पर सीमा लगाना चाहते हैं उसमें तीन मूलाधार हैं। उसमें तीन विचारणीय तथ्य हैं। एक तो यह है कि कितनी जमीन हमारे पास राजस्थान में उपलब्ध हो सकेगी। दूसरा यह है कि हमारी इकॉनामिक होल्डिंग क्या हो? तीसरा यह है कि हमारी एग्रो इकॉनामी पर इन बातों का क्या असर पड़ता है। मैं इनमें से सबसे पहली चीज पर ही आपके मार्फत सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। राजस्थान में कुल जमीन ८ करोड़ एकड़ है। जिसमें काश्त होती है वह है २,८६००,००० एकड़ भूमि काश्तशुदा है और सिंचाई होती है उसमें से २६ लाख एकड़ पर। बाकी फोरेस्ट आदि सहित करीब ४,१५,००० एकड़ रह जाती है। जिसमें

(श्री नारायणसिंह)

मारर्जीनल लैंड भी आ जाती है । कुल जमीन में से ५ से १५ एकड़ जमीन वाले जो हैं वह ८० प्रतिशत हैं, और सबके पास, फिर मैं यहां इतना और कह दूँ कि एक चाही पूरी ही या अंश में नहीं है । इसके अलावा ५० एकड़ से ऊपर वाले हैं, वह करीब ५ हजार हैं । इनके पास जमीन कुल ३,६७००० एकड़ है और इनसे जो उपलब्धी होगी, अगर हम ३० एकड़ की सीमा निर्धारित करते हैं, तो ५० एकड़ से ऊपर इस तरह से उपलब्ध जो जमीन हो सकती है हमारे को वह १,१५,००० एकड़ से अधिक नहीं होगी और जो मार्जीनल लैण्ड है उन सबको संयुक्त करते हैं तो २ करोड़ ४० लाख भूमि सारी ऐसी उपलब्ध होगी। जिसमें हर प्रकार की हल्की ही जमीन होगी। मार्जीनल लैण्ड इत्यादि अधिकांश जिनके पास जमीन नहीं है उनमें वितरित करने का इसी जमीन का सवाल रहेगा । अब जो भूमिहीन कहला सकते हैं, वे ५ लाख हैं इसमें वे भी सम्मिलित हैं जो कुछ तो भूमि के मालिक हैं, उनके रिश्तेदार हैं उनके साथ संयुक्त हैं वे भी ५ लाख में सम्मिलित हैं और कुछ ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर लेबर के रूप में से कहे जा सकते हैं । ये सब आंकड़े मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वह हमारी क्वार्टरली रिपोर्ट्स है । स्टेटिसटिक्स की उनके आधार हैं । इस हिसाब से मैं हिसाब लगाता हूं कि एक व्यक्ति को ७० एकड़ जमीन मिलेगी और वह ७० एकड़ भी बहुत ही मामूली किस्म की जमीन होगी । बारानी प्रकार की अथवा उससे कम प्रकार की होगी। और बारानी भूमि जिस प्रकार की हमारे यहां पर है उसका इस रिपोर्ट में भी कुछ विश्लेषण किया गया है और हमारे जो रेवेन्यू के रेकॉर्ड इत्यादि है, उनमें विश्लेषण किया गया है । मामूली अनुमान लगायें तो ७० एकड़ मामूली किस्म की जमीन ७ एकड़ अच्छी से अच्छी जमीन के बराबर मालियत की होती है । तो इस प्रकार से आप यों समझिये कि ५ लाख व्यक्तियों को हम एक अच्छी से अच्छी शायद ७ एकड़ जमीन देकर संतोष मानने के प्रयास में हैं ।

अब दूसरा सवाल यह आता है कि हमारा क्या इकॉनामिक होल्डिंग हो ? प्रत्येक जो काश्तकार है उसके प्रोडक्शन कोस्ट इत्यादि क्या हो सकता है, जिसका आधार लेकर, हम इकॉनामिक होल्डिंग का स्वरूप बनावें । जो प्रत्येक काश्तकार की आमदनी हो सकती है उनके आंकड़े अजमेर राज्य में मिनिमम वेज़ कमेटी एग्रीकल्चर लेबर के लिए नियुक्त हुई थी, उसके आधार पर इकट्ठे किये हैं और उसके अनुसार जो मैंने हिसाब लगाया है उसमें करीब ५ एकड़ जमीन जो मामूली किस्म की होगी उसकी सालाना आमदनी ६२५ रुपए से अधिक नहीं होगी । जैसा कि मैंने मामूली जमीन के लिए कहा वैसी में दो मन प्रति एकड़ के हिसाब से कपास पैदा हो सकती है अथवा मक्का ६ मन प्रति एकड़ के हिसाब से और जो मैं दूसरी अच्छी जमीन के लिए कह रहा हूं उसमें उतने ही नाम और उतने ही दायरे में प्रति एकड़ १० मन कपास और ८ मन मक्का पैदा हो सकती है। दोनों की तुलना है। पूर्व जमीन की आमदनी जैसा कि मैंने अर्ज किया ६२५ रुपये से अधिक नहीं होगी और दूसरे प्रकार की जमीन की आमदनी सालाना १३३० के करीब आती है । अब हम इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट लगायें तो काश्तकार की जो ठीक मार्केटिंग केपेसिटी है उसका कुछ डिस्काउन्ट

(श्री नारायणसिंह)

देना होगा और उसका जो कुटुम्ब उसमें काम करता है। उसके खर्चे का हिसाब लगाना होगा, अकाल का डिस्काउन्ट भी देना होगा।

इसके अलावा नोन रेकरिंग जो एग्रीकल्चर का खर्चा है उस सब का हिसाब लगावे तो मेरे अनुमान से २१२२ रु. सालाना खर्च का हिसाब आता है। अब हम जो कंजम्पशन युनिट लेते हैं फेमिली का वह अच्छे अर्थ शास्त्रियों के हिसाब से ३॥ का एक कंजम्पशन युनिट लिया जाना चाहिये। इसका मूलाधार अलग अलग है। इस हिसाब से ३॥ का युनिट का यहां हिसाब यहां लगाते हैं तोउसकी फेमिली का खर्चा कितना होगा, इस सब खर्च की विगत में जाने की जरूर नहीं है। लेकिन मैंने एक मुकरडा रकम लगाई उसके अनुसार ६२५ रु. एक प्रकार की जमीन दाव की और १३३० रुपये दूसरे ज़मीन वाले की आमदनी होती है। वह २१-२२ रुपये का खर्चा किस प्रकार उठा सकता है। तो निश्चित है कि ५ एकड़ तक भूमि इकॉनोमिक होल्डिंग का आधार नहीं बन सकती। मैंने देखा कि ५ एकड़ से १५ एकड़ की ज़मीन वाले राजस्थान में ८० प्रतिशत लोग हैं। अब यदि हम इकोनोमिक होल्डिंग के आधारभूत सिद्धान्त पर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो प्राडक्शन आदि की कॉस्ट को लेने से २६०० रु. का खर्चा निकलता है। उसके बाद कुछ इतना काश्तकार के पास बच जाय कि जिससे आगे की प्रगति और महफूजियत एवं तरक्की की ओर वह कदम उठा सके। तो १५ एकड़ ज़मीन का हिसाब लगावें और उसकी कीमत फैलावें और भाव के बारे में जो १२ रुपये गेहूं का भाव मूलाधार माना गया है वही रखें तो उस हिसाब से १५ एकड़ ज़मीन पर ३५६० रुपये सालाना आमदनी होनी चाहिये और २६०० रुपये का उसका खर्चा उसमें से निकालते हैं तो बहुत कम उसके पास बचना चाहिये। इसके अलावा समाजिक कुरीतियां जैसे नुक्ता शादी सम्बन्ध आदि हैं वह अलग है और उसके बाद में कर्जे का भार हॉसिल वगैरा का भार अलग है। यदि इस सबको फैलावें तो और अधिक बनता है। तो मैं समझता हूं एक काश्तकार के पास इतनी आमदनी तो बचनी ही चाहिये। जितनी आमद पर आयकर दूसरे अर्थ क्षेत्रों में शुरू किया जाता है। उस अनुपात से उसकी भी इन्कम हो सके। आय कर ३६०० रुपये सालाना की इन्कम पर लगाया जाता है कृषि के अलावा।

कृषि क्षेत्र में भी मूलाधार ३६०० रुपयों की नेट इन्कम होनी चाहिये और यह तभी हो सकती है जब कि एक काश्तकार के पास मेरे हिसाब से २८ एकड़ तक ज़मीन हो। तभी एक काश्तकार को ३६०० रु. की नेट आमदनी होगी। इसलिये २८ एकड़ भूमि राजस्थान के लिये इकॉनोमिक होल्डिंग बनेगी....

श्री मोतीलाल चौधरी : २८ एकड़ इर्रिगेटेड लैंड या अनइर्रिगेटेड लैंड ?

श्री नारायणसिंह : अन-इर्रिगेटेड का मूलधार लिया है।

इस हिसाब से २८ एकड़ बनता है उसके बारे में अर्ज करता हूं। ३॥ का युनिट लिया है मैंने प्लानिंग कमीशन की सिफारिश के मुताबिक ३०० रुपया पर-केपिटा का हिसाब लेकर ७ व्यक्तियों की फेमिली का हिसाब

(श्री नारायणसिंह)

लिया जाय तो। इस हिसाब से फैलाने पर आमदनी २१०० रुपये होती है। उसका उनकी सिफारिश है कि तीन गुना करें और तीन गुना करके सीलिंग निर्धारित करने का हिसाब लगावें। इस हिसाब से करीब ६३०० रुपये का हिसाब आता है। ३॥ केजम्पशन युनिट के हिसाब से कम से कम इतनी आमदनी २८ एकड़ ज़मीन से ही होगी। इसमें मैं नहरी ज़मीन का आधार नहीं ले पाया हूं क्योंकि हमारे उधर नहरों का सिलसिला अभी नहीं है। इसी मूल आधार को लेकर हम आगे बढ़ रहे है। हम किस प्रकार इस ज़मीन पर सीलिंग लगावें।, यदि हम इस सिद्धान्त को लेते हैं और २८ एकड़ को यदि हम मारजिनल मान लेते हैं तो इतनी भूमि से ऊपर की भूमि पर ही सीलिंग लगाना पड़ेगा। तिगुना या पांच गुना सीलिंग लगाना पड़ेगा। इसके अलावा ३६०० रु. की नेट आमदनी लेनी है तो ६१०० रु. की आमदनी लेंगे तभी तिगुना और पांच गुना जैसा होगा। आखिरी आधार लेना चाहिये यही मूलाधार बन सकता है।

इस रिपोर्ट में २४०० रुपयों की सिफारिश की गई है। मैं मानता हूँ कि यह वाकई व्यवहारिक नहीं है। राजस्थान के लिये व्यवहारिक नहीं है। पंजाब और दूसरी जगह के सीलिंग भी हमारे सामने हैं लेकिन हमें उनमें फंसना नहीं चाहिये, हम यहां नहीं कहना चाहते हैं कि दूसरी जगह है इसलिये हमारे यहां भी वही करना चाहिये। लेकिन हम तो हमारे आधार को ही लेकर इस बात पर पहुँचना चाहते हैं कि वास्तव में कौनसा सीलिंग वैज्ञानिक आधार पर ठहर सकता है।

अब जब एग्रो इकोनोमिक का सवाल लेते हैं तो सवाल आता है कि एग्रो इकोनोमि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे सामने गंगानगर की एक बढ़ती हुई कृषि व्यवस्था मौजूद है और राजस्थान केनाल आने से एक प्रकार का कृषि अर्थक्षेत्र में एक क्रान्ति खड़ी होगी, और एक डवेलप्डएग्रो एकोनोमि खड़ी होगी इससे इन्कार नहीं कर सकते। लेकिन एक ही बात को लेकर कृषि की नीति में यदि व्यापक दृष्टिकोण नहीं रख कर केवल मात्र लकीर के फकीर बनना चाहते हैं, तो फिर हमको सामाजिक न्याय का क्या स्वरूप बनाना है यह सोचना होगा। इस बात को यदि हम पूरी तरह से नहीं सोचते तो वास्तव में हमारे यहां पर जो कृषि व्यवस्था है उस पर भारी आघात अनायास कर बैठेंगे। तो इस दृष्टिकोण से हमें जो सीलिंग का तरीका सोचना है उसमें एक और विचार अर्ज करूंगा।

जो प्रतिवेदन हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है उसमें नहरी और बारानी दो सिद्धान्त लिये गये हैं और जो रेशो रखा गया है वह १:३ का रखा गया है। अब वन टू थ्री का जो रेशियो रखा गया है उसमें नहरी ज़मीन का मुकाबला चाही के साथ किस प्रकार होगा उसका शायद ध्यान काफी नहीं रखा गया है। उसमें यह सोचने की बात है कि चाही अव्वल भी है तो भी उसकी व्यवस्था है वह एक प्रकार से लिफ्ट कल्टीवेशन के आधार पर आती है और उन दोनों में काफी अन्तर है और कॉस्ट ओफ प्रोडेक्शन में फेर पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते शायद चाही या तालाबी, बारानी का ध्यान रखने की कोशिश करते। यह चीज़ शायद ध्यानाच्युत उस समय कमेटीवालों

(श्री नारायणसिंह)

से हो गई।

यहां पर एक माननीय साथी ब्यावर से आनेवालों ने एक विचारधारा रखी थी कि अजमेर में सीलिंग लाई गई थी और स्टेन्डर्ड आंकड़े बनाये गये, उसमें युनिट वेल्यू का हिसाब रखा गया। अलग अलग प्रकार की चाही अव्वल, चाही दोयम आदि और तालाबी अव्वल, तालाबी दोयम आदि और बारानी आदि सब को चार अलग अलग श्रेणियों में रखा और उसी आधार पर चाही अव्वल का सवाल बारानी के साथ जहां आता है वहां १:४ का रेशियो बनता है। उन्होंने विशदरूप से बताया कि किस तरह से वहां पर ये रखा गया है। मैं बताना चाहता हूं कि वह भी एक दृष्टिकोण है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। लेकिन साथ ही साथ यहां पर जो सीलिंग कमेटी ने सिफारिश की है और केवल दो वर्ग रखे हैं, एक नहरी और दूसरी बारानी। उसमें अन्तर निहित आशय जो था वह मैं समझ सका हूँ कि हम यदि अलग अलग कई श्रेणियां बना लेते हैं तो हर प्रगति के क्षेत्र में एक रुकावट आती है। जब कोई व्यक्ति कुंए खोद कर अपनी ज़मीन की किस्म बढ़ाना चाहता है तो वह पहले यह सोचेगा कि अगर किस्म बढ जाती है तो उस पर दूसरे किस्म के नियन्त्रण आजायेंगे इसलिये वह ज़मीन की उन्नति नहीं करें। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था इसलिये ज़मीन को दो हिस्सो में बांटा एक नहरी और दूसरा बारानी परन्तु नहरी ज़मीन जो होती है उसमें प्रयास इतना अधिक नही करना होता, खुद का प्रयास इतना नहीं होता, उतने अनुपात में नहीं होता, जितना कि कृषक खुद कुआं खोद कर ज़मीन को किसी प्रकार उन्नत बनाता है और उसको अच्छी किस्म की ज़मीन बनाते है, उसमें जितना प्रयास नहीं होगा। नहर के तो आ जाने मात्र से ज़मीन की किस्म अच्छी बनती है। कमेटी को दूसरी श्रेणियां महत्वपूर्ण मालूम नहीं पड़ीं और केवल नहरी और बारानी को आधार रखा गया। मैं इतना अर्ज करूंगा कि १:३ को रेशियो रखने के बदले १:४ का रेशियो रखना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि चाही और दूसरे प्रकार की ज़मीन होगी, उसको बारानी की श्रेणी में नही लाया जा सकता, तो उसको दूसरी श्रेणी की बना सकते हैं, उसको दूसरे केटेगरी दे सकते हैं। इस प्रकार नहरी, चाही और बारानी का १:२:४ का रेसियो बना सकते हैं। अभी इस प्रकार की ज़मीन होगी, वह बारानी के रिलेशन में १:४ हो जायगी। इस प्रकार तीन केटेगरी बन सकती है। तो इस विषय में भी थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। जिस समय सीलिंग का कानून बनाने बैठें, उस समय इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है।

इसके अलावा एक नई तजवीज़ अर्ज करना चाहता हूँ कि यदि हम चाहते हैं कि इकानामी एक विशेष प्रकार की प्रगति करें और उसमें नवीन विचारधारा आवे, तो जैसा मैं स्थान स्थान पर कह चुका हूं, अलग अलग भूमिका में कह चुका हूँ उसे दोहराना चाहूंगा। आज लैंड रेवेन्यू की जो पद्धति है, तो हासिल की पद्धति है, वह बहुत ही प्रतिक्रियावादी कहिये, पुरानी कहिये, सामन्तशाही कहिये, अथवा बहुत प्राथमिक तरीके की व्यवस्था कहिये है, जो किसी न किसी प्रकार से चली आई है और उसमें समय समय पर परिवर्तन होता भी गया, उसमें वैज्ञानिक ढंग

(श्री नारायणसिंह)

लाने की कोशिश भी की गई, ज़मीन की किस्में छांटी गई, सोइल कन्डीशन्स का ख्याल किया गया और उसके अनुसार सेटलमेंट रेट्स का हिसाब लगाया गया। यह ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो भी राजस्व कर है, वह वैज्ञानिक ढंग का कर नहीं कहा जा सकता। जो वैज्ञानिक ढंग का कर है, वह पाश्चात्य देशों से लाया हुआ वहां के Industrial Revolution की देन है। जो आय कर है, उसमें पूरा पूरा वैज्ञानिक विचार है, प्रोडक्शन कास्ट काटने का विचार है, व्यक्ति के स्वयं के निजी परिश्रम का विचार है, यह सब विचार मौजूद हैं। मैं नहीं समझता कि उस कर के ऊपर भी राजस्व का झगड़ा लगाकर कृषि अर्थ व्यवस्था को बेडौल बनावें। वहां भी एक विशेष प्रकार की कर पद्धति में क्रांति पैदा करें, और गरीब कृषक को पूरी राहत दें। अगर इस दृष्टिकोण से हम लेते हैं तो हमें आज यह देखना होगा जैसा कि प्रोफेसर रंगा ने संकेत किया है कि जैसे आय कर की सीमा ३६०० रुपये की है, इस आय के आधे लेबल से कृषि आय कर शुरू हो और ऐसे स्लेब बनें कि जिस प्रकार आय बढ़ती जाय, उस पर अनुपातिक कर भार बढ़ता जाय। अगर हम राजस्व कर हटाने का संकल्प करलें तो कृषि आय कर को आमूल चूल, नये दृष्टिकोण से देखना होगा, उसमें परिवर्तन करना होगा। यह देखना होगा कि ३६०० रु० से साधारण आय कर शुरू होता है तो १८०० रु० से यह शुरू हो और १८०० से कम आमदनी का जो दायरा हो, वह कर से मुक्त हो जाय। इसके बाद १८०० से स्लेब बनेंगे, आज जो स्लेब हैं वे विभिन्न प्रकार के हैं। आज केवल मात्र बहुत बड़ी आय पर, बड़े किसान पर नियंत्रण लगाने के लिए कृषि आय कर व्यवहारिक तौर से लगाया गया है, एक व्यवहारिक तौर से कर भार का सिद्धान्त लाया गया है। लेकिन अगर सरकार राजस्व हटाना चाहेगी तो इसको विचारना होगा कि कर भार वास्तव में कैसे हो। क्या यह १८०० की आमदनी से शुरू होगा, क्या बढ़ते स्लेब होंगे इस पर विचारना पड़ेगा। जब हम सीलिंग लाना चाहते हैं, तो इसी भूमिका में उसमें एक नया दृष्टिकोण रख सकते हैं। हम यह कर सकते हैं कि हम इकॉनामिक होल्डिंग, पर चाहे कुटुम्ब की आमद के हिसाब से, चाहे और किसी हिसाब से, जिसका कि मैं विवेचन कर चुका हूं, उस शायर पर तिगुना, या पांच गुना, का सिद्धान्त लगाकर उस पर इतना कर भार कृषि आयकर का लाद दें कि उस निर्धारित आमद के बाद मुनाफा ही न रह सके तो अधिक जमीन रखने की स्वतः हिम्मत नहीं होगी। यह बात रहे तो स्वतः ही सीलिंग लग जायगी और किसी भी क्षेत्र में जो कृषि व्यवस्था में प्रगति चल रही है, उसमें रोक नहीं आयेगी। अगर जमीन पर सीलिंग लगायेंगे तो जमीन में जो पर्सनल इन्ट्रेस्ट है कृषक का उन्नति के विषय में, तो वह भी हद तक बना रहेगा और वह कृषक आय कर के भय से, वास्तव में कर भार के बढ़ते हुए नियंत्रण से, अधिक जमीन रखने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए हमारा जो असली मकसद है कि हम इतनी विषमता न रहने दें, कि एक के पास जमीन न हो, अनइकानामिक होल्डिंग से दबा रहे और दूसरे के पास हजारों बीघा जमीन हो, उस विषमता का प्रतिकार करना है तो कृषि आय कर द्वारा यह क्रांति ला सकते हैं चाहे दूसरे क्षेत्रों में फिलहाल यह इन्डाइरेक्ट नियंत्रण करें

(श्री नारायणसिंह)

या न करें। मैं चाहता हूं कि हमें हिन्दुस्तान में एक एक समस्या को लेना चाहिए सारे कई कम्युनिस्ट कन्ट्रीज में, दूसरे कन्ट्रीज में पहले भूमि की विषमताओं को हटाया गया है, और फिर व्यापार क्षेत्र में उतारा गया है। यह समस्या थोड़ी उलझी हुई होती तो इस पर विचार व्यवहारिक दृष्टि से करना पड़ता है। फिर भी मैं मानता हूं और इसके साथ तकाजा भी करना चाहता हूं कि अगर सरकार कृषि क्षेत्रों में एक क्रांति लाना चाहती है, कि एक सीमा से अधिक कोई अपने पास जमीन कर आमदनी न बढ़ा सके तो हमारे लिए यह भी जरूरी हो जायगा कि दूसरे क्षेत्रों में तेजी से इस दिशा में विचार करें। और इसके साथ ही मैं अर्ज करूंगा कि जो हम यह सीलिंग लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि अधिक भूमि वालों से जमीन लेकर या फालतू जमीन बताकर पांच लाख व्यक्ति हैं, उनको जमीन दे देंगे तो यह दृष्टिकोण कोई व्यापक दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता। समस्या का पूरा हल नहीं हो सकेगा प्रथम तो यह हमारी पालिसी के खिलाफ जायगा। जो हम सोइल कन्जरवेशन, अफोरेस्टेशन के लिए एक तरीका बिठाना चाहते हैं उसके खिलाफ जायगा। हम आज इसका अनुभव साफ तौर से कर रहे हैं कि हमारी जमीन की आबादी की वजह से, काश्तकारी के तरीकों की वजह से, अथवा फूड क्रोप की जगह केश क्रोप लेने की वजह से बायोटिक पोटेन्सियल कम होती जा रही है। उसके लिए हमें एक प्रकार की भूक्षरण निरोधक की, सोइल कन्जरवेशन की पॉलिसी बनानी पड़ रही है इसके अलावा कई जंगल हैं, उनमें प्राकृतिक खाद होता है, उससे भूमि की उपज बढ़ती है। अगर भूमि पर भार बढ़ता है तो उत्पादन की क्षमता कम होती है। तो इस बात पर भी विचार करना होगा। हमें यह विचार करना होगा कि वर्षा कम होती है, वह किन कारणों से हो रही है, जो सबट्रेनीयन वाटर लेवल है, वह किन कारणों से नीचे चला जा रहा है। इन बातों पर विचार किये बिना भूमि वितरण कर देंगे तो एक प्रकार से जिस डाली पर बैठते हैं उस पर ही कुठाराघात करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ यह भी विचारना होगा कि पांच लाख व्यक्ति भूमिविहीन दीखते हैं और उनको स्थापित करने की समस्या है, तो उनको केवल मात्र जमीन पर स्थापित कर देने से ही समस्या हल नहीं हो जाती है। हमें गांवों की पुरानी अर्थ व्यवस्था जाग्रत करनी होगी, जिस व्यवस्था में गांव स्वावलम्बी था, अपने कदमों पर खड़ा था, हर एक के पास पैसा मौजूद था, हर प्रकार के कुटीर धन्धे मौजूद थे, और इन सारे कारणों से ग्रामीण व्यवस्था इस प्रकार की थी कि उस समय वहां बेरोजगारी की समस्या थी ही नहीं।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : माननीय सदस्य कितना समय और लेंगे ?

श्री नारायणसिंह : एक दो मिनिट और लूंगा। तो केवल कृषि क्षेत्र की बेरोजगारी है जो एग्रीकल्चरल लेबर की समस्या है। भूमि हीनों की समस्या है, उसको यह मान लिया जाय कि उनको भूमि देने से ही इस समस्या का हल हो जायगा, तो मैं समझता हूँ वह हमारा समुचित हल का नकशा नहीं होगा। हमें देखना है कि हमारे ग्रामीणों की समस्या जैसा कि उनके पहलुओं में हम सोचते हैं कि हमारे ग्रामीण स्वावलम्बी हों, वहां घरेलू उद्योग धंधे पनप सकें, कृषि

(श्री नारायणसिंह)

व्यवस्था हो सके कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार अन्नादि प्राप्त कर सकें, उनकी ज़मीन पर केश क्रोप ही सारा दायरा नहीं बढ़ा ले पर फूड क्रोप भी इतनी हो कि गांव वालों को अन्न के लिये बाहर नहीं झांकना पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था बनायें, पंचायतों को अधिकार दें, इन सब बातों में कैसे बिटाई जा सकती है। केवल यही नहीं सोचना होगा कि २५ लाख भूमिहीनों को भूमि दें दें। इन सब तथ्यों को सोच कर सीलिंग को मूल आधार बनायें, और फिर इसको स्थापित करने की कोशिश करें।....

श्री मोतीलाल चौधरी : On a point of information Sir. Whether the speaker is in favour of ceiling or not, is not clear from his speech.

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री सभापति : On at a time please Yes, you carry on.

श्री मोतीलाल चौधरी : Whether the speaker on principle is in favour of the ceiling or not.

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : मैं स्पष्ट शब्दों में, काफी शब्दों में अर्ज कर चुका हूं और थोड़े शब्दों में और अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। भूमि पर नियन्त्रण हो, यह सिद्धान्ततः तो सामाजिक न्याय से ठीक है, पर इसके मूलाधार परिवर्तित करने की आवश्यकता है, जो मूलाधार कमेटी ने लिये हैं वह टीक नहीं हैं। सीलिंग अव्वल तो राजस्थान की भूमि में लगाना नहीं चाहिये था, आवश्यकता नहीं सीलिंग लगाने की। सीलिंग लगाना ही है तो जिनके पास बेकार ज़मीन है, जिस ज़मीन पर खेती नहीं की जाती बेकार पड़ी है उनसे ज़मीन लेकर बंटवारे की कोशिश करनी चाहिये। एग्रो-इकोनामी गंगानगर और दूसरे स्थानों में विशेष रूप से फलित हो रही है। वहां यह नहीं करना चाहिये। सीलिंग का प्लानिंग कमिशन ने जो मूलाधार लिया है कि ६३०० की आमदनी हो, ७ आदमियों की फेमिली मान कर मूलाधार लिया है। ६३०० की आमदनी का आधारभूत सिद्धांत जहां बनता है उसको ध्यान में रख कर सीलिंग का आधार रखें। साढ़े तीन के कन्जम्शन के यूनिट को ले कर सीलिंग करते हैं तो भी अनुपयुक्त नहीं। कृषि आयकर के सिलसिले में मैंने अर्ज़ कर दिया था कि उसी को इन्डायरेक्ट रूप से सीलिंग बना सकते हैं। बस मुझे यहीं कहना हैं।

(अनेक सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, राजस्थान में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण करने के लिए समिति की रिपोर्ट है, उस पर आज हम विचार कर रहे हैं। हमारे सामने स्वतन्त्रता मिलने के बाद, सरकार के सामने जो कठिनाई आई वह कठिनाई थी देश के अन्दर ही जो आर्थिक अव्यवस्था थी, आर्थिक मामलों को लेकर जो आर्थिक असंतुलन था उसको ठीक करना था। देखने पर दो तरह से असंतुलन नज़र आता है, पहला असंतुलन है भूमि को ले कर, और दूसरा असंतुलन हो सकता है, औद्योगिक क्षेत्र में असंतुलन। ये दो ऐसे

Page No.68

(श्री दयाकृष्ण विजय)

भीषण रोग थे जिनका निराकरण करना आवश्यक था। सरकार ने इस ओर ध्यान दिया, यह तो मैं कहूंगा कि सरकार इस ओर सचेष्ट है, पर जिस तरह सचेष्ट है वह तरीका ठीक नहीं है। यह जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है इसके लिए १९५३ में एक कमेटी को मुकर्रर करके इस मामले को इस कमेटी के सुपुर्द किया गया कि राजस्थान के अन्दर भूमि के सम्बन्ध में समानता आनी चाहिये, इस मामले में निर्णय किया जाय। समिति को बहुत पहले रिपोर्ट देनी चाहिये थी, पर वह मामला किन्हीं कारणों से, जो कारण स्पष्ट हैं, ५ साल बाद रिपोर्ट को सदन के सामने रखा है। पहले अंग्रेजों और मुसलमानों का शासन काल था, उस समय लोगों के पास भूमि गई। जमींदारी सिस्टम को प्रोत्साहन दिया गया, राजस्थान के अन्दर जागीरदारी सिस्टम चला आ रहा था। क्योंकि कोई आदमी ऐसे छत्ते को हाथ नहीं लगाना चाहता था कि हाथ लगाते ही काटने लगें, उन्होंने भी इस सिस्टम को रहने दिया। फिर हम देखते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर स्पष्टतः जो राष्ट्रीय चरित्र का उत्थान हुआ, मैं प्रशंसा करता हूँ राजाओं और जागीरदारों की जिन्होंने स्वेच्छा से अपने शासन को दे दिया। मैं इस प्रश्न को राजाओं और जागीरदारों तक ही समित नहीं करते हुए कहूंगा कि इनके बाद कुछ व्यक्ति आते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी लैंड पड़ी हुई है। तो केवल यही एक समस्या नहीं थी कि लोगों के पास बहुत भुमि संचित पड़ी हैं, उसको बांटा जाय, यह मूल समस्या नहीं थी, मैं जिस ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसका एक ही कारण था, वह कारण था बेकारी के सवाल का, बेकारी ऐसे लोगों की, जो जमीन पर काम करते हैं पर ज़मीन के मालिक नहीं हैं, ऐसे भूमिहीन किसानों को भूमि दी जाय, यह प्रश्न रखा गया था, इस प्रश्न को हल करने के लिये कमेटी बैठाई थी कि ऐसे लोगों की कितनी संख्या है, हमारे पास कितनी जमीन है, जो इनमें बांट सकते हैं, इस असमानता को कैसे दूर कर सकते हैं। ये तीन प्रश्न समिति के सामने थे। एक और प्रश्न था कि समिति यह विचार रखे कि हमारे किसानों का आर्थिक जीवन किस अवस्था में है, और किस अवस्था में हम उसे लाना चाहते हैं, हमारे समाज में इनका प्रतिष्ठामय जीवन हो इसके लिये इनकी आय का मापदण्ड कितना होना चाहिये। इस प्रश्न को लेकर हमारे सामने इस चीज़ को रखा गया। इस बात पर विचार करने से पहले माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं, उनका उल्लेख करना चाहता हूं, फिर इस कमेटी ने भिन्न २ मुद्दे रखे हैं, उनकी आलोचना करूंगा।

मैं सिद्धान्ततः स्वीकार करता हूं कि हमारे राजस्थान में ही नहीं सारे देश के अन्दर इस प्रकार की समस्या थी, असामानता थी, जिनके लिए सीलिंग की व्यवस्था होनी चाहिये। इस बात से पहले एक प्रश्न खड़ा होता है, कई माननीय सदस्यों ने खड़ा किया है कि कृषि को लेकर ही अधिकतम भूमि की सीमा क्यों निर्धारित करते हैं? हम उन उद्योगों की ओर ध्यान क्यों नहीं देते? मैं उनकी शंका का निराकरण करते हुए कहना चाहता हूं कि कृषि और पूंजी इन दोनों की एक कसौटी पर नहीं आंक सकते, आज के सब उन्नत देशों ने इन समस्याओं

(श्री दयाकृष्ण विजय)

को अलग २ सोचा है, इन दोनों को मिला कर चलेंगे तो हम न्याय नहीं करते। हर आदमी कहता है कि हम समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन वास्तव में समाजवादी व्यवस्था का अर्थ क्या है ? इसको बहुत से लोग अभी तक जानते भी नहीं हैं। इसका अर्थ वे यही समझते हैं कि सारी लैन्ड है वह आपकी और भूमि और पूंजी है वह भी आपकी ही है यानि सरकार की। व्यक्तिगत किसी को कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। सारी पूंजी राज्य सरकार की है और हम और आप सरकार के मज़दूर हैं। आपकी सरकार चाहे तो आपको यह कह सकती है कि आप यहां से दूसरी जगह जाकर काम करो। आज अपन सभी मजदूर हैं, आप एक जगह कलम घिसाई का काम करते हैं तो दूसरा आपका भाई दूसरी जगह कारखाने में काम करता है। सरकार चाहे तो कलम घिसनेवालों को कारखाने में भेज सकती है। यदि आपकी रुचि राज्य सेवाओं में है तो आपको सरकार मिल में या किसी और दूसरी जगह भेज सकती है और राजनीति में आपकी रुचि है तो उसके लिये भी वह कुछ आपसे कह सकती है कि फलां क्षेत्र में काम करो। लेकिन मैं यह बता देना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने और हमने यह तय किया है कि यह व्यक्तिगत अधिकारों पर तय होना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि यदि हम यह तय कर लें कि हमारे पास जो भूमि है वह सारी महनत करने वालों को ही देनी चाहिये और इस प्रकार की व्यवस्था करने समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका यह कदम गलत होगा, और किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है और इसके दूसरों लोगों के साथ न्याय भी नहीं होगा यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं यह कहूँगा कि यह भारत भूमि पर सफल नहीं होगा इसका कारण यह है कि आज भी हम देखते हैं कि कई दूसरी जगह पर मज़दूरों के नाम पर तानाशाही चल रही है। यदि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रारम्भिक सीढियों से हम फिसल जावेंगे। इस संबंध में रूस वाले भी अपनी गल्ती महसूस करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था रूस में भी फैल ही रही है। जब यह व्यवस्था रूस जैसे देश में भी फैल ही रही है तो उसी को हम हमारे यहां पर लागू करें। मैं समझता हूं कि हमारे यहां पर यह सफल नहीं होगी।

आज देखना यह है कि इसके अलावा कौन सी दूसरी व्यवस्था समाजवाद की क्या होगी ? क्योंकि आज मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति यही सोचता है कि समाजवादी व्यवस्था का मतलब यही है कि सबको बराबर के अधिकार हों। साधारण बुद्धि का व्यक्ति, और सड़कों पर चलने वाले लोग इसी दिशा में सोच सकते हैं कि पूंजी का समान वितरण हो, समान अधिकार हो इस प्रकार से कई नाम दे सकते हैं। यदि हम इसको समाजवाद का नाम देते हैं तो मैं यह कहूंगा कि नेहरूजी खुद समाजवाद की बात करते हैं और वे इस बात को जानते हैं कि हम समाजवाद को नहीं लाना चाहते लेकिन संसार के लोग चाहते हैं। नेहरूजी के, वास्तव में यदि वे सर्वोदय की बात कहते तो ठीक होती। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा और समाजवाद का शब्द रखा है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर अभी जो असमानता फैली है उसको हमें समाप्त करना है।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

आज जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है कि हम सामन्ती शासन के साथ साथ पुंजीवाद को भी समाप्त करना चाहते हैं। वे यह चाहते हैं कि पूंजीवाद समाप्त होना चाहिये लेकिन मैं यह कहूंगा कि भूमि एक सीमित पूंजी है और एक व्यक्ति के जीवन का साधन है जिससे वह व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन करता है, और पूंजी बराबर बढ़ती चली जाती है। यदि आप भूमि से एक साल उपज नहीं करके दूसरी साल उपज करेंगे तो वही उपज होगी, क्योंकि भूमि में जो उपज है वह लिमिटेड है। इसलिये इसको बहुत सोच समझ कर करना है। क्योंकि सीलिंग हमेशा नहीं होगी। कोई भी राज्य आयेगा वह इसको नहीं करेगा। यह तो बहुत वर्षों के बाद की बात होगी। इसलिये आपको इस प्रकार के नियम बनाने हैं जो लाभदायक हों। रोजमर्रा नियम नहीं बनाये जाते। इसलिये इस प्रकार के नियम बनाने के लिये हमें विचार करना होगा कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करनी है वह क्या होनी चाहिये। इस पर हमें अच्छी तरह से विचार करना चाहिये। हमने इस काम को एक कमेटी के सुपुर्द किया और उस कमेटी ने रिपोर्ट दिलाने में ५ वर्ष लगा दिये लेकिन इतना समय लगाने के बाद भी वह ठीक तरह से तैयार हुई है या नहीं यह एक प्रश्न है। यह तो आपको विदित ही है कि हमारे यहां भूदान नाम की संस्था काम कर रही है। यद्यपि वह यहां पर दो चार वर्षों से काम कर रही है फिर भी उसको जितनी सफलता मिलनी चाहिये नहीं मिली है उसका क्या कारण है? उन्होंने, भूदान में प्राप्त की हुई ज़मीनों को किस किस को दी जाय इसके लिये कुछ नियम रखे हैं और सिद्धान्त रखे हैं। उन्होंने जो सिद्धान्त रखे हैं वे तो ठीक हैं लेकिन भूमि का वितरण किस तरह से होना चाहिये यह स्पष्ट रूप से नहीं रखा है। यही कारण है कि भूदान की सफलता इस प्रकार नहीं हो पाई जिस प्रकार होनी चाहिये। आज आप देखेंगे कि ज़मीन तो पड़ी है लेकिन किसको वितरण करें, और किस तरह से उसको वितरण करें यह कल्पना नहीं है। हां, कुछ ऐसे लोगों ने जो संस्था से और पब्लिक से संबन्ध रखते हैं चुपचाप ज़मीन ले ली है, और ऐसे लोगों को मिल भी जाती है। लेकिन वास्तव में राजस्थान सरकार के सामने लेन्डलेस लोगों को जमीन देने का प्रश्न था। इस लिहाज़ से हम देखें कि राजस्थान की भूमि की स्थिति क्या है। हमें इस बात पर विचार करना बहुत आवश्यक है। यदि हमारे राजस्थान में लेबर की संख्या जिनके पास भूमि नहीं है, देखें तो आपको मालूम होगा कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ३ लाख ७६३६० बताया है। ऐसी संख्या तीन लाख लोगों की है जो काम करते हैं लेकिन ज़मीन के मालिक नहीं हैं। यह चीज हमारे सामने है। उन लोगों को भूमि का प्रबन्ध होना चाहिये, क्योंकि वे लोग भूमि के कार्य में एक्सपर्ट हैं और उनका जीवन उसीसे चलता है ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि वे चाहे वर्ग को माने लेकिन मैं वर्ग में विश्वास नहीं करता क्योंकि यह तो कर्म है, बदलते रहते हैं। आज जिस समय पंजाब का विभाजन हुआ, वहां पर जो खेती करने वाले लोग थे, वे यहां पर आये लेकिन जब वे यहां पर आए तो उनको खेती का काम नहीं मिला और वे मज़बूर हो कर दूसरा व्यवसाय करने लगे। इसलिये हम यह मान कर चलें कि यह जन्म के संस्कार हैं, यह मैं नहीं मानता।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

यहां पर उन लोगों ने सफलता से दूसरा कार्य किया है और कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उन लोगों के पास जिनके पास ज़मीन है लेकिन पूंजी नहीं, हम यह चाहते हैं कि उनको पूंजी मिले। लेकिन उनकी खुद की वह जमीन नहीं, वे तो उस पर लेबर ही करते हैं। उसके लिये आखिर हम क्या करें यह सोचने की बात है। रहा सवाल यह कि उन ३॥। लाख लोगों को जमीन दी जावे इसके अन्तर्गत दूसरी बातों को भी देखना होगा कि हमारे पास कितना अन-इकोनोमिक होल्डिंग हैं, जिसको इकोनोमिक होल्डिंग बनावें। जिसका नम्बर हमारे पास है। २॥ लाख लोग लैन्डलेस लेबर हैं और २॥। लाख इकोनोमिक होल्डिंग। आखिर इतने लोगों की समस्या राजस्थान सरकार के सामने है जिनको भूमि प्रदान करनी है जिससे वे लोग सम्मान के साथ अपने परिवार का जीवन बिता सकें और अपने परिवार को शिक्षा दे सकें और उनको वस्त्र आदि अच्छी तरह से पहिना सकें, उनके रहने के लिये निवास स्थान बना सकें। आज हमारे सामने लाखों लोगों का प्रश्न सामने है। एक दलील उनकी यह हो सकती है और दी जा सकती है कि हमें उन लोगों को नहीं लेना चाहिये यदि हम १८३ एकड़ लैन्डलेस लेबरर्स को दे दें। उन लोगों के सामने अन—इकोनोमिक होल्डिंग का प्रश्न नहीं खड़ा होगा। ऐसी जमीन पड़ी है जो किसी प्रकार कल्टीवेट नहीं हो सकती। उसको बांटने के संबन्ध में कहते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि काश्त योग्य वो ज़मीन है, और उस पर काश्त की जा रही है। वैसे इसके अन्दर बताया गया है समस्त क्षेत्र फल में से केवल २,८६,४६,७३२ एकड़ या समस्त क्षेत्रफल का ३५.६ प्रतिशत भूमि पर काश्त किया जाता है। इसके अलावा अनकलटीवेटेड जो एरिया है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा ३,१०,४०,८७१॥ एकड़ या कुल क्षेत्रफल का ३८.६ प्रतिशत है, जिसको हम वितरण कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनकलटीवेटेड जो एरिया है, उसमें से कितनी ज़मीन कलटीवेबल है या उस पर काश्त कर सकते हैं या नहीं। इस एरिया में सभी तरह की जमीन जुड़ी हुई है, इसमें पहाड़ी रेतीली सभी तरह की जमीन है, जिसको लेकर किसानों को लाभ नहीं हो सकता। जमीन की सीमा निर्धारित कर रहे हैं उसमें यह नहीं हो सकता कि हर गांव को लेकर सीमा निर्धारित करें यह हो नहीं सकता। यह मैं मानता हूं कि कमेटी के सामने भी इस प्रकार कठिनाईयां आयी होंगी क्योंकि वह हर गांव में जा नहीं सकी, हर जिला हर तहसील का दौरा वह कमेटी नहीं कर पायी। यह सही है कि इसमें भी नागौर जिले के साथ रियायत की, हो सकता है पक्षपात किया हो ऐसा आरोप तो मैं लगाना नहीं चाहता लेकिन जहां तक कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है, यह मैं कह सकता हूं कि वह पांच साल में भी सभी जगह घूम नहीं पायी और न घूम ही सकती है। आखिर कमेटी को कोई न कोई एक इकाई तो माननी ही पड़ेगी या तो वह गांवों, तहसीलों या जिलों को एक इकाई के रूप में तय करती है, मेरे ख्याल से इसमें न गांव ही ठीक हो सकते हैं न जिले ही ठीक हो सकते हैं। इसीलिये तहसील को सेन्टर मानकर कमेटी चली है, उस हिसाब से जो राय कमेटी की है वह ठीक हो सकती है इसमें दो रायें होने का कोई कारण नहीं है।

अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि जो कुछ भी यहां चीजें मानी गई हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य से मैं जानना चाहता हूँ वे अब और कितना समय लेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं जल्दी ही समाप्त करने वाला हूं।

जब सीमा निर्धारण का प्रश्न आया तो हमें यह देखना होगा कि एक काश्तकार को कितनी ज़मीन दी जाय जिससे वह अपना जीवन निर्वाह ठीक प्रकार से कर सके। हमारी इस कमेटी ने २४०० रुपये की आमदनी एक किसान के जीवन निर्वाह के लिये काफी मानी है यानि दो सो रुपये माहवार हुआ। सभापति महोदय, अब हमें यह देखना है कि इन दो सौ रुपये माहवार में किसान के सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं वह भी देखनी होगी, मान लीजिये कभी उसका बैल मर जाता है या ज़मीन पर अतिवृष्टि या अनावृष्टि होती है, ओले पड़ जाते हैं, फसल खराब होजाती है वैसे तो कमेटी ने भी यह माना है कि तीन साल में अकाल पड़ता है उसी तरह तीन साल का एवरेज निकालकर यह तय किया है। एवरेज निकाल कर आंकडे तय किये जासकते हैं। वे आंकडे ठीक हो सकते हैं, लेकिन व्यवहारिकता से देखा जाय तो वे ठीक नहीं होते। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे निवेदन करू भाखडा नहर से पानी व बिजली देने के बारे में जो आंकड़े तय किये, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जब काम शुरू हुआ तो जितनी सिंचाई होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। आखिर उन्होंने अपनी कठिनाई बतायी। इस प्रकार कुछ आंकड़े तय करके जो निर्णय लिया जाता है वह हिसाब गत ठीक हो सकता है लेकिन व्यवहारिक तौर पर उसको आंका जाय तो वह ठीक नहीं हो सकते। इसलिये हमने जो भी आंकडे रखे उसमें ढिलाई देनी चाहिये फलेक्सिबल रखने चाहिये। हमने जो आंकडे २४०० रुपये में बान्ध दिये इसे मैं ठीक नहीं समझता, हमको इसमें कुछ ढिलाई देनी चाहिये क्योंकि काश्तकारों के सामने ऐसे देवी प्रकोप, वर्षा की न्यूनता अधिकता आदि कई अवसर आते हैं जिनमें उनको सामना करना पड़ता है। इसके अलावा काश्तकारों में सामाजिक बुराइयां भी चली आ रही हैं किसी के मरने पर नुक्ता करते हैं चाहे आप कितने ही कानून बना दें किन्तु वे इस बुराइयों को छोडते नहीं है, शादी में भी अनाप-शनाप खर्च करते हैं और उसमें दुरूपयोग भी बहुत होता है। इस तरह से काश्तकारों के सामने उनकी अपनी वास्तविक चीजें हैं। उनका अपना खर्चा है वह किस तरह से खर्च होना चाहिये, वैसा वह खर्च नहीं कर पा रहे हैं। जहां शिक्षा पर खर्च होना चाहिये उस पर कोई ध्यान नहीं देता, बीमारियों में जो सुविधा उनको मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती इस तरह से २४०० रुपया जो आपने रखा है वह कम है।

यद्यपि इसमें कुछ आंकडे ठीक हैं लेकिन उसमें मेरी सहमति नहीं है क्योंकि हमारे आसपास के जो प्रान्त है जहां सीलिंग होचुका है, जैसे पंजाब में वहां के सिलिंग को देखते और उसके आधार पर भी निर्णय लेते तो ठीक रहता अपने यहां से वहां आमदनी ज्यादा रखी है, ३६०० रुपये तय किये हैं। यह तो आन्ध्र में तय किये हैं। और मेरा ख्याल है पंजाब में तो इससे ज्यादा तय किये हैं। आखिर हमें यह तो देखना चाहिये। जो हमारे से ज्यादा प्रोग्रसिव प्रान्त हैं जो इस कदम को हमारे से पहले ही उठा रहे हैं आखिर उन्होंने

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कृषि की अधितम आय को निर्धारित किया है उसको भी हमें देखना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि पंजाब के लोगों की आय और राजस्थान के लोगों की आय में कितनी समानता है। मेरा ख्याल है पंजाब के किसान की आय राजस्थान के किसान से वास्तव में ज्यादा है। इसके अलावा राजस्थान के किसान का जीवन स्तर भी किसी से छिपा नहीं है। माननीय मंत्री महोदय और सदन के सभी सदस्य इससे अवगत हैं। इसी प्रकार आन्ध्र का भी जिक्र है यह मैं मानता हूं वहां के किसान की दयनीय स्थिति अवश्य है और यह भी सही है कि वहां के किसान की स्थिति पंजाब और राजस्थान के किसान से भी कमजोर स्थिति है। लेकिन हम उनकी नकल करें, यह भी ठीक नहीं है। हमने जब एग्रीकलचर इनकमटेक्स लगाते वक्त जो तय किया था कि चार हजार की आय वालों पर टैक्स लगेगा वही आय इसमें भी रखनी चाहिये। जब हमने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के बारे में वाद विवाद किया था। उस समय हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ था और हमने यह तय किया था कि जिसकी आमदनी चार हजार से ज्यादा है उन पर टैक्स लगाया जाय। आखिर जब हम जमीन का सीलिंग करने जा रहे हैं उसमें भी चार हजार की आमदनी हम रख सकते हैं। चार हजार की जिसकी आय हो वह किसान अपना जीवन निर्वाह ठीक से कर सकता है। इसके अलावा कुछ राजनैतिक अधिकार भी मिले हुए हैं, कुछ सामाजिक अधिकार भी हैं। इसके अलावा दैनिक जीवन में आने वाले खर्चे भी हैं। इसमें २४०० रुपये की जो आमदनी रखी गई है वह बहुत कम है। इसके बजाय चार हजार की आय रखी जाय तो ठीक होगा।

इसके अलावा सब से बड़ी चीज की जो कमी है वह यह है कि जमीन जो ली जायगी वह अधिकतम जमीन जिन लोगों के पास है उनसे ली जायगी लेकिन उनका वितरण किस प्रकार से होगा यह मूल समस्या है इस ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पैरा ८१ में समिति ने इस बारे में कोई सिफारिश नहीं की और केवल मात्र यह कह दिया कि बन्दोबस्त तथा राजस्व विभागों द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अध्याय ९ के पैरा ४३.४६ में दिये गये सुझावों पर विचार कर लेने के पश्चात् एक उपयुक्त योजना तैयार कराई जा सकती है। मेरा इस संबन्ध में निवेदन है कि यह इस कमेटी के लिये लाजमी था कि वह इस संबन्ध में खास निर्णय देती। यह जरूर है कि सैकिन्ड फाईव इयर प्लान में जरूर कुछ बातें बतायी गई हैं उनका भी इसमें ध्यान नहीं रखा गया। मैं समझता हूं अगर उनको सामने रखा जाता तो किसी न किसी निश्चय पर वे पहुँच सकते थे लेकिन उन्होंने इसमें उलझना न चाहा। समति का प्रतिवेदन पेश करने का दायित्व था, उसका यह भी दायित्व था कि जमीन का वितरण किस प्रकार से होगा। इस संबन्ध में भी कमेटी को अपनी सिफारिशें देनी चाहिये थी। इसके लिये सेटलमेन्ट के आधार पर तीन तरीके बताये गये हैं। पहले जमीन उन लोगों को दी जानी चाहिये जो डिसप्लेस्ड टिनेन्ट्स हो जिनके पास अन इकोनोमिक होल्डिंग हो, उनको पहले दी जाय। तीसरा जो लैन्डलैस टीनेन्ट्स हो उनको भी दी जाय इस प्रकार से तीन सुझाव इसमें थे, लेकिन हमारी कमेटी ने कोई सुझाव नहीं दिया और केवल सेटलमेंट पर टाल दिया है। मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ी कमी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

है। इस कमी को दूर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस विषय में कोई कानून बनता है तो इस चीज की कमी न रह सके और इन तीन चीजों को रखा जायगा।

इतना सा और मैं कहना चाहता हूं कि जो एक्ज़ेम्पशन रखे गये हैं वह एक्जेम्पशन ठीक तरह से नहीं रखे गये हैं। इसमें मेकेनाइज्ड फार्म्स को रखा गया है। वैसे सेकिन्ड फाइव इअर प्लान के अन्तर्गत कुछ और भी रखे गये हैं एक्जेम्पशन जैसे कि इन्टेग्रेटेड इन्डस्ट्रियल आपरेशन्स हैं जिसमें उद्योग भी चलते हैं और कृषि भी सम्मिलित तरीके से चलती है। वे इन्टेग्रेटेड इन्डस्ट्रियल आपरेशन्स सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में दिये गये हैं तथा स्पेशेलाइज्ड केरेक्टर के आपरेशन्स भी जो हैं, जैसे एनीमल ब्रीडिंग वगैरह या केटल ब्रीडींग वगैरह इनके संबंध में सारे के सारे चलते हैं। एफिशियन्टली मेकेनाइज्ड फार्म वगैरह। एफिशियन्टली मेकेनाइज्ड फार्म के साथ साथ तीन चीजें इसमें दी गई हैं। इन तीन चीजों के अन्तर्गत एक चीज को कमेटी की रिपोर्ट में लिया है, बाकी दो का स्लाइटली रेफरेन्स दिया है। एफिशियन्टली मेकेनाइज्ड फार्म को इसमें रखा है और एक और दिया है कोआपरेटिव फार्मिंग। इससे स्पष्ट हो गया है कि कोआपरेटिव फार्मिंग पर निर्णय लेना चाहते हैं कि इसको एग्जेमप्ट किया जाय या नहीं। मेरा इसमें आब्जेक्शन है कि मेकेनाइज्ड फार्म के नाम पर कुछ लोगों के साथ जमीन को सीमित कर दिया गया है। कुछ लोग जो बड़े लोग हैं और मेकेनाइज्ड तरीके से जमीन पर आज भी चलते हैं, जिनके पास ट्रेक्टर, कुए से पानी निकालने के लिए मशीन, और सब तरह की मशीनों से पैदावार करते हैं। उसमें अधिक उत्पादन हो इस कारण से मेकेनाइज्ड फार्मिंग को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। इस प्रोटेक्शन के नाम पर केवल उन्हीं पूंजीपतियों का भला होगा जिन्होंने हजारों बीघा जमीनें दाब रखी हैं। जिनके पास हजारों बीघा जमीन है वह क्यों बैलों से खेती करेगा और बैलों से उस पर खेती भी संभव नहीं हो सकेगी। आखिर वह मेकेनाइज्ड फार्म करेगा। हम ऐसे लोगों का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के हाथ में अधिक ताकत दे रहे हैं। यदि राजस्थान में सच्चे मायने में कृषि में सुधार करना चाहते हैं, भूमि सुधार करना चाहते हैं, लैण्डलैस लेबर्स को जमीन देना चाहते हैं, हमारे यहां जो अनइकोनामिक होल्डिंग्स हैं उनको इकोनामिक होल्डिंग्स बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार के मेकेनाइज्ड फार्मिंग को कोई प्रोटेक्शन नहीं देना पड़ेगा। हां, एक सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी कि इतनी सीमा तक मेकेनाइज्ड फार्म चलेंगे। एक समस्या हमारे सामने है, हमारे देश की पूर्ण तरक्की की तो जो एक समिति का प्रतिवेदन हमारे सामने आया है उसको पारित किया जायगा उसमें कितने ही लेकूनाज़ हैं। उसमें व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस बात को मैं मानता हूं कि सीलिंग होना चाहिए। इस कमेटी को रिपोर्ट पर मेरे अपने ये विचार हैं।

१२.३ म. प.

(डा० चन्द्रकला, सभनेत्री, पदासीन)

श्री पी. के. चौधरी : सभापति महोदया, यह जो सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट है उस पर विचार करने के वक्त हमको सबसे पहले इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि सीलिंग के लिए कोई नेसेसिटी है या नहीं ? Whe-

(श्री पी. के. चौधरी)

ther there is any need for Ceiling? सबसे पहले इस सवाल के ऊपर विचार करना चाहिए। उसके बाद जाकर इस कमेटी की रिपोर्ट के डिटेल्स में जाना चाहिए।

जहां तक सीलिंग की जरूरत है या नहीं इस बारे में कमेटी ने जो डिसीज़न दिया है, जो निर्णय दिया है वह सिर्फ इस बात पर विचार करके दिया है कि सोशल जस्टिस के लिए यह जरूरी है कि सीलिंग होना चाहिए। उनके शब्द इस प्रकार हैं : It was decided that, even though the area to be obtained by the imposition of ceilings may not be very large, ceilings have to be imposed as a matter of social justice and in the implementation of the general policy in this behalf dictated by the directive principles enshrined in clauses (a), (b) and (c) Article 39 of the Constitution. In coming to this decision, the Committee drew support from the views expressed by the Planning Commission in paragraph 12 of Chapter XII of the First Five Year Plan, Viz :-

"It appears to us that in relation to land (as also in other sectors of the economy) individual property in excess of any form that may be proposed has to be justified in terms of public interest, and not merely on grounds of individual rights or claims. We are, therefore, in favour of the principle that there should be an upper limit to the amount of land that an individual may hold."

यानी सीलिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस बारे में कमेटी की जो सिफारिश है वह सिर्फ इस बात पर आधारित है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए। अब सवाल यह आता है कि हमारी जो पॉलिसी है, इकॉनामिक और सोशल वह क्या है ? वह हमको पहले देखना चाहिए। इकॉनामिक और सोशल पॉलिसी देख कर उसके बाद जाकर हम यह तय करेंगे कि सोशल जस्टिस क्या चाहते हैं ?

जहां तक हमारी सोशल और इकॉनामिक पोलिसी है, इस बारे में प्लानिंग कमीशन ने काफी विस्तार से सैकन्ड फाइव ईयर प्लान में इसका निर्देश किया है कि हमारी इकॉनामिक पोलिसी क्या हो, और उस सिलसिले में हमारी जो लैण्ड पॉलिसी हो उसके लिए भी डाइरेक्शन दिये हैं। वह क्या हैं ? वह मैं आपको बताना चाहता हूं। जहां तक हमारी इकॉनामिक पॉलिसी है खास तौर से एग्रेरियन लैण्ड रिफार्म्स और रिआर्गेनाइज़ेशन के बारे में मैं कहूंगा कि that policy and programmes which are to be followed in different sectors of the country during the 2nd Five Year Plan are to be balanced and combined approach to the central programmes of economic Development and social justice. यानी जो भी प्रोग्राम बनेंगे उनका एक कम्बाइन्ड एप्रोच होगा। वह किस के ऊपर रहेगा ? एकॉनामिक डवेलपमेंट और सोशल जस्टिस पर। न कि सिर्फ सोशल जस्टिस के ऊपर। हम कोई प्रोग्राम जो बनायेंगे उनको इस दृष्टि से बनायेंगे There will be a synthesis of balance between economic development and social justice. इस सिलसिले में प्लानिंग कमीशन ने यह बताया है कि

(श्री पी. के. चोधरी)

in setting out the land policy यह जो कम्बाइन्ड पॉलिसी है इकॉनामिक डवेलपमेंट और सोशल जस्टिस की बेलेन्स करके जो कम्बाइन्ड पोलिसी बनाना है तो इस प्रोग्राम में और इस बैकग्राउन्ड में हमारी लैण्ड पॉलिसी क्या होनी चाहिए ? इस लैण्ड पॉलिसी के ऊपर यह हमारी सीलिंग वगैरह सब कुछ निर्भर करता है। लैण्ड पॉलिसी के बारे में सैकन्ड फाइव इयर प्लान में यह कहा गया है :-

"While setting out the land for the period of 1 st Five Year Plan the proper emphasis was placed on the social aspects. It was pointed out that the increase in Agricultural production should have the highest priorty in planning our next few years plans and that the Agricultural economy have to be diversified and brought to much higher level of efficiency." यानी सेकिण्ड फाइव इयर प्लान में यह कहा गया है कि हमारी जो लैंड पालिसी थी। जिसको कि हमने फर्स्ट फाइव इयर प्लान में डिफाइन किया था उसमें हमने एम्फेसिस रखा था सोशल जस्टिस पर ।

"It clearly says that "proper emphasis was placed on the social aspects of land policy." तो लैंड पॉलिसी हमारी फर्स्ट इयर फाइव प्लान में सोश्यल आस्पेक्ट पर थी। लेकिन ५ साल के तजुर्बे और आज जो देश की नीड (need) है, जो जरूरियात हैं उसको देखते हुए फर्स्ट फाइव इयर प्लान में हमने जो ऑब्जेक्टिव रखा था उसको हमने मोडिफाइव किया है और सैकिण्ड फाइव इयर प्लान में हमने क्या कहा ? यह कहा कि "Increase of Agricultural production represents a highest priorty in planning on the next few years and that the Agriculture economy has to be diversified and brought to much higher level or efficiency. There constitution have...for the period of 2nd Five year plan." यानी कमेटी ने जो अपना डिसीज़न लिया वह सब के सब फर्स्ट फाइव इयर प्लान में जो सोश्यल जस्टिस का स्लोगन और जो सोश्यल जस्टिस का क्राइटेरिया था। लैंड पोलिसी के बारे में, सिर्फ उसी के ऊपर डिपेन्ड करके उन्होंने अपने कन्क्लुजन्स ड्रॉ किये, लेकिन वे इस बात को भूल गये कि फर्स्ट फाइव इयर प्लान में जो डिसीजन लिया गया था। उसको प्लानिंग कमीशन ने रिव्यू किया, एक्सपर्ट लोगों ने रिव्यू किया, और प्लानिंग कमीशन की तरफ से यह डिसीज़न लिया गया।

आज हम चाहते हैं कि देश का इकोनोमिक डवेलोपमेंट हो, हम देश को ऊपर उठाना चाहते हैं न कि पोवरटी का डिस्ट्रिब्यूशन करना चाहते हैं। यह तो गाइडिंग फोर्स थी जो सैकिन्ड फाइव इयर प्लान बनाते समय प्लानिंग कमीशन ने इन्ड्यूस किया था जो एप्रोच उसने लिया था फर्स्ट फाइव प्लान में उसको मोडिफाइ करने के लिये और आज जो एक्च्युअल लैंड पॉलिसी है वह न सिर्फ सोशियोलोजी पर बेस होगी बल्कि वह बेस्ड होगी इन्क्रीज्ड प्रोडक्शन पर, इन्क्रीजिंग प्रडक्टिविटी एन्ड एफिशियेन्सी पर न कि सोशियल जस्टिस पर। उन्होंने यह भी कहा। "Against the background of these considerations, the objectives

(श्री पी. के. चौधरी)

of land reforms are two-fold."

Firstly to remove such impediments in agricultural production as arise from the character of the agrarian structure, and

secondly, to create conditions for evolving as speedily as possible an agrarian economy with high levels of efficiency and productivity." उन्होंने यह जो एप्रोच मोडिफाइ किया उसकी वजह क्या है ? दो तीन साल पहले हर साल १०० या २०० करोड़ रुपयों का अनाज बाहर से मंगाते थे तब फोरिन करेन्सी की पोजिशन काफी क्रिटिकल हो गई थी जिससे बेलेन्स ओफ कंट्रीज फाइनेन्स पर काफी असर पड़ा। इससे कहां तक देश को आगे बढ़ा सकते हैं, जब तक कि बाहर से अनाज मंगाना बन्द न करें, यह प्रश्न सामने आया। खुराक का प्रश्न सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट है, हमको अनाज पैदा करना है और डिमान्ड के माफिक पैदा करना है और जो अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और इकोनोमिक डवेलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देना है, न कि एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का जो लेवल है उसको डिस्ट्रिब्यूट करने से पॉवर्टी डिस्ट्रिब्यूट होगी न कि लोगों का लेवल ऊपर उठेगा। इसलिये उन्होंने एप्रोच को मोडिफाइ किया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था : "These are the pillors on which it will be raised." लैंड रिफोर्म का हमारा जो दृष्टिकोण है, लक्ष्य बिन्दु है वह two fold रहेगी, दो चीजों पर आधारित रहेगा। वे दो चीजें क्या क्या हैं। "Firslty to remove such impediments in agricultural production as arise from the character of the agrarian structure".. उन्होंने दो चीजें कही हैं। हमें इस बात को ख्याल में रखते हुए कि आज देश में अनाज की जरूरत है हमें एग्रीकल्चर और लैंड रिफोर्म्स की पॉलिसी बेस करनी पड़ेगी। देट इज ओवर टू फोल्ड पॉलिसी। एक पोलिसी यह रहेगी कि हमारे यहां एग्रीकल्चरल इंपेडिमेंट है जो चौखटा है उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और उसमें जो हिन्डरेन्स है उसको दूर करना है। और दूसरी चीज़ "to create conditions for evolving as speedily as may be possible, an agrarian economy with high levels of efficiency and productivity." और दूसरी चीज यह रहेगी कि इंपेडिमेंट को हटाने के बाद हम पेटर्न क्रीएट करेंगे, जिससे एग्रीकल्चरल एफिशियेन्सी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ये दो चीजें on these two pillars, our entire land reform policy should be based. तो इस दृष्टि से जो हम देखें तो आज एग्रीकल्चरल स्ट्रकचर में यह कौनसी चीज़ थी जिसको यह सीलिंग की प्रॉबलम सोल्व करती है। मैं समझता हूं टिनेन्सी एक्ट अमल में आने के बाद कोई चीज नहीं रही एग्रीकल्चरल स्ट्रकचर में, यह ठीक है कि हमारे प्रोडक्शन में बाधा आती है सबसे पहले एग्रीकल्चरल इंपेडिमेंट वह बीच में लगी थी और उसका कारण यह था कि लोगों को ज़मीन पर प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं होने से जो खेरूज लोग काश्तकार थे वे ज़मीन के इम्प्रूवमेंट के लिये उसकी तरक्की के लिये दिलचस्पी नहीं लेते थे। इस बारे में अंग्रेजी में एक कहावत है : "proprietory rights turn sands into gold." अंग्रेजों के यहां ऐसी कहावत है कि

(श्री पी. के. चौधरी)

जब आदमी को मिलकियत राइट या प्रोप्राइटरी राइट दे दिया जाता है तब वह रेत को भी सोने में परिवर्तित कर देता है। हमारे यहां हिन्दुस्तान में एग्रीकल्चर में मोड ऑफ प्रोडक्शन था वह कम डेवलोप्ड था। ज़मीन का सफिशियेन्ट इम्प्रूवमेंट नहीं था, उसका कारण यह बताया जाता है कि जागीरदारी और ज़मीनदारी सिस्टम के कारण एबसेन्टी लैंड लोर्डिज्म सिस्टम था। उसकी वजह से ज़मीन का इम्प्रूवमेंट नहीं होता था। काश्तकार खेती तो करते हैं लेकिन उस ज़मीन पर उनका हक नहीं है इसलिये उनको कोई इन्ट्रेस्ट इस बात का नहीं है कि वे ज़मीन का सुधार करें क्योंकि वे जानते हैं कि ज़मनी उनकी नहीं है इसलिये उसका सुधार यदि करेंगे तो लैंड लोर्ड कल दूसरों को वह ज़मीन दे देंगे, और परसों तीसरे को दे देंगे, तो उसको उससे कोई फायदा नहीं होगा। This is an obstacle to all progress. लेकिन इसको हमने सोल्व कर दिया है। हमने ज़मींदारी और जागीरदारी को एबोलिश करके एबसेन्टी लैंडलोरडिज्म वगैरा है उसको खत्म कर दिया है। अब दूसरा सवाल आता है इन्क्रीज़ ऑफ एफिशियेन्सी एण्ड प्रोडक्टीविटी। मैं नहीं समझ सका सीलिंग से एफिशियेन्सी और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकेगी। लेकिन मेरी निश्चित राय है, जहां तक मैंने रिपोर्ट को पढ़ा है, रिपोर्ट में सदस्यों ने संकेत किया है कि सीलिंग लाने की वजह से आज जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनकी कैपेसिटी एण्ड एबिलिटी है वह बढ़ेगी। इम्प्रूविंग मेथड ऑफ प्रोडक्शन, या काश्त करने का जो तरीका है उसको बढ़ाने के लिये इन्टेन्सिव कल्टीवेशन करना होगा। आज यह जरूरत देश में है कि इन्टेन्सिव कल्टीवेशन करें लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इन्टेन्सिव कल्टीवेशन का, इस बात को सीलिंग कमेटी के सदस्यों ने मंजूर किया है कि इस सीलिंग के लागू होने से इन्टेन्सिव कल्टीवेशन पर असर पड़ता है। इन्टेन्सिव कल्टीवेशन स्माल लैंड होल्डर्स को नहीं करना चाहिये। इसके लिये इम्प्रूवड इम्प्लीमेंट्स चाहिये, मोडर्न फरटेलाइजर्स, इम्प्रूव्ड सीड्स आदि का उपयोग करना चाहिये। ये जो चीजें हैं इनके साथ साथ लैंड का डवेलोपमेंट भी हो ऐसा होना चाहिये।

जब सीलिंग का सवाल लेते हैं तो जो लोग अपनी मेहनत करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको इस बात से डर पैदा हो गया। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह डर उनके दिल में पैदा होगया, पांच साल से जब से सीलिंग कमेटी अपोइन्ट हुई तब से उनके दिल में डर पैदा हो गया। तभी से इन्टेन्सिव कल्टीवेशन और लैंड के इम्प्रूवमेंट में रुकावट पैदा हो गई। मान लीजिये साल भर की देरी है कानून बनने में, लेकिन फिर भी एक किस्म का ऑब्सेटेकल प्रोग्रेस करने की टेन्डेन्सी में आई है। मैं समझता हूं जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बात नहीं है।

दूसरी बात सोशियल जस्टिस की है। इसका जहां तक ताल्लुक है आप २४०० रु. ही नहीं बल्कि दो हज़ार या डेढ़ हज़ार कर दीजिये। लेकिन जब आपको करना है तो सब पर करिये न कि इस देश के ८० प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है उनके लिये ही सीलिंग बनादें लेकिन जो शहर में लोग रहते

(श्री पी. के. चौधरी)

हैं और अदर प्रोफेशन करते हैं, सिवाय एग्रीकल्चर के दूसरा धंधा करते हैं उन पर कोई सीलिंग लिमिट नहीं है और वह भय नहीं है। इसलिये नहीं है कि आज यह सरकार समझती है, प्लानिंग कमीशन समझता है कि हमको देश में कई चीजों का उत्पादन बढ़ाना है, देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो उसके लिये इन्सेन्टिव क्रीएट करना चाहिये, प्रेरणा क्रीएट करनी चाहिए, ताकि प्रोडक्शन की ओर ज्यादा ध्यान दें और ज्यादा चीजें पैदा करें। जब तक इसके लिये प्रेरणा नहीं मिलती है तब तक कोई ज्यादा प्रोडक्शन की ओर ध्यान नहीं देगा। जब आप प्रोडक्शन के लिए जोर नहीं देते हैं, तो यही वजह है कि हम देखते हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो मिक्स्ड इकॉनामी क्यों रखते हैं? आज जो डिक्लेअर किया है, उसका मकसद यह है कि सोशल पेटर्न ऑफ सोसाइटी, समाजवादी ढांचे के समाज को हम चाहते हैं और आगे चल कर हम मुकम्मिल समाजवाद लाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आज हम मिक्स्ड इकॉनामी को एडवोकेट करते हैं। इसका मतलब क्या है? आज आप कानून बना सकते हैं, सबकी इन्कम बराबर कर सकते हैं, मकान, प्रोपर्टी को सीज़ कर सकते हैं और सीज़ करके बांट सकते हैं लेकिन क्यों नहीं बांटते? हम समझते हैं कि तमाम प्रोपर्टी बांटते हैं उसके लिए थ्योरिटकली, सैद्धान्तिक तौर पर हमने गौर किया है, हमने देखा है कि इस देश में जितनी वैल्थ है, जितना धन है, चाहे वह इन्डस्ट्रीयल हो, चाहे एग्रीकल्चरल हो, चाहे गुड्स या सर्विस का हो, उस सबको एक पूल में लाकर इकट्ठा करके उसको हर इन्डीवजूअल को डिस्ट्रिब्यूट करते हैं तो वह ३०० रुपये पर आदमी के हिसाब से आती है, उसमें बिडला का पैसा भी आता है और मेरा भी आ जाता है। सारे देश की वैल्थ को इकट्ठा करके उसको इक्यूली डिस्ट्रिब्यूट कर दें तो लगभग ३०० रुपये हर आदमी के पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। अब इस सोशलिज्म में सब की प्रोपर्टी को इकट्ठा करके डिस्ट्रिब्यूट करके इस नतीजे पर आते हैं कि It will be a distribution of poverty and not of wealth. यानि हम नीचे वाले को ऊपर नहीं ला सकते, ऊपर वाले को नीचे जरूर ला सकते हैं। लेकिन इसमें भी एतराज़ नहीं है। आप लोगों के स्टेन्डर्ड को ऊपर उठाना चाहते हैं इसलिए प्रोपर्टी का इक्यूवली डिस्ट्रिब्यूट करने का कोई मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि जो लोगों का जीवन स्तर है, स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग है, उसे ऊपर उठाना है न कि रुपये को तकसीम करना है, रुपये के तकसीम में हम इन्ट्रेस्टेड नहीं है। हम ऐसा काम करें कि लोगों का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग ऊपर उठ सके। यही वज़ह है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने डिसीज़न नहीं लिया कि जो मिल के मालिक हैं, उनको पुल डाउन करना है, इसलिए उनके पैसे को इकट्ठा करके इक्यूवल डिस्ट्रिब्यूट कर दें। वैसे यह अख्तियार हमारे हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट को है, प्लानिंग कमीशन के मैम्बर हैं, उनको है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? मिक्स्ड इकॉनामी को उन्होंने क्यों एडवोकेट किया, क्योंकि हमको देश के अन्दर प्रोडक्टीविटी बढ़ानी है, लोगों में इन्सेन्टिव पैदा करनी है, प्रेरणा देनी है ताकि वे ज्यादा प्रोडक्शन करें। हमारे यहां पर इन्डस्ट्रीज़ हैं, उनके

Page No.80

(श्री पी. के. चौधरी)

बारे में एक इम्पोंर्टेन्ट दलील दी जाती है कि we do not want to kill the hen which lays the golden eggs. यानि उस मुर्गी को मार देना नहीं चाहिए जो सोने का अंडा देती है। इसलिए जो इन्डस्ट्रीयल सेक्टर है, दूसरे सेक्टर हैं, उन पर सीलिंग नहीं लगाई है, उनका इक्यूवल डिस्ट्रिब्यूशन आँफ वैल्थ नहीं किया, इसी वज़ह से नहीं किया कि प्रोडक्टिव एक्टीविटीज़ बन्द हो जायगी, ठप्प हो जायगी। वही एग्रीकल्चर फील्ड में प्रिन्सिपल लागू होता है। जब यह प्रिन्सिपल २० पर्सेन्ट लोगों पर लगा दिया, यह यार्ड-स्टिक उन पर लागू कर दी, तब यह ८० पर्सेन्ट पर यार्डस्टिक लगा देते हैं, उन पर यह प्रिन्सिपल लगा देते हैं तो कहां तक जायज़ है, कहां तक सही है। सवाल दूसरा यह आता है कि क्यों लैंड लैस लेबर्स का सवाल उठाया गया, और यह कहा गया कि हम सोशल जस्टिस चाहते हैं, लैंड लैस लेबरर को ज़मीन देना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में कल्चरेबल लैंड है, वह ५ करोड़ ८० हज़ार है, जो कल्टीवेटेड़ लैंड है, वह लगभग २ करोड़ ८० हज़ार है, इतने एकड़ में लोग कल्टीवेट करते हैं, काश्त करते हैं लेकिन काश्त के काबिल ज़मीन है वह ५ करोड़ ८० हज़ार है। मेरे पूर्व वक्ता सदस्या ने कहा था कि पांच करोड़ के अन्दर पहाड़ भी हैं, और भी ज़मीन है, जो पांच करोड़ २० हज़ार एकड़ में आती है, जिसे हम कल्टीवेटेड़ लैंड कहते हैं, काश्त के काबिल ज़मीन कहते हैं, उसमें हम पहाड़ नहीं गिनते हैं, पथरीली ज़मीन नहीं गिनते हैं। जो ज़मीन काश्त के लिए है, आज हम देखते हैं कि लगभग तीन करोड़ एकड़ ज़मीन पर काश्त करते हैं और काश्त करने के काबिल तीन करोड़ एकड़ ज़मीन ऐसी पड़ी है, जिस पर काश्त नहीं कर पाते हैं। तो वे यह बताते हैं कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सीलिंग लगाने के लिए सबसे पहला सवाल आता है कि प्रेशर आँफ पापूलेशन है, वह ज़मीन पर कितना है, यह देखना चाहिए। ज़मीन पर क्या प्रेशर है और ज़मीन नहों है जिस पर लोग काश्त करना चाहते हैं। तब सवाल आता है कि सीलिंग लगा कर इक्यूवली डिस्ट्रिब्यूशन कर दें। लेकिन राजस्थान के आंकड़ों से पता चलता है कि यहां ज़मीन पर ज्यादा प्रेसर नहीं है, बल्कि आज काश्त करने के लिए आदमी नहीं मिलते हैं। आज आपके पास जो कल्चरेबल लैंड है, उसको आबाद करके, वहां खेती करने के लिए आदमी नहीं मिलते हैं। तो यह जो सवाल लैंड लैस लेबर्स का रखा है, उनको सरकार ज़मीन देगी, वह कोई आर्गुमेंट नहीं है।

दूसरी बात, जिसे हमने मान कर चलना शुरू किया, वह यह है कि सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट से मालूम होता है, विसुलाइज़ करने से मालूम होता है लैंड लैस लेबर्स हैं, उनकी तरक्की करने का एक रास्ता हैं कि उनको टुकड़ा टुकड़ा ज़मीन दें, जिससे उनका स्टेन्डर्ड आँफ लिविंग बढ़ जायगा। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो कन्सेप्शन है, जो विचार प्लानिंग कमीशन का है लैंड लैस के लिए, वह है कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर २० पर्सेन्ट दूसरे लोग हैं और खेती पर ८० पर्सेन्ट लोग डिपेन्ड करते हैं। इस तरह की जो आज अव्यवस्था है, उस व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं, और जो रेसियो है, जो एग्रीकल्चर पर डिपेन्डेन्ट हैं और

(श्री पी. के. चौधरी)

जो इन्डस्ट्रीज़ पर डिपेन्डेन्ट हैं, उनका जो रेशियो है, उसको सुधारना चाहते हैं। इस बात को सब मेम्बर मानते हैं कि किसी भी कन्ट्री का स्टेन्डर्ड ऑफ लीविंग एग्रीकल्चर पर डिपेन्ड करके नहीं बढ़ सकता है, हमको एग्रीकल्चर और इन्डस्ट्री, दोनों पर,डिपेन्ड करना पड़ेगा। गांव में जो लैंड लैस लेबरर्स हैं, उनको ज़मीन बांट कर नहीं, पर जो एलाइड इन्डस्ट्रीज़ हैं, उनमें ट्रेन्ड करके आकुपेशन देकर, हम आगे बढ़ सकते हैं। इस बारे में सीलिंग कमेटी ने भी सिफारिश की है। इस प्रोबलम को सीलिंग लगा कर सोल्व करना चाहते हैं जब कि पंच वर्षीय योजना में,प्लानिंग कमीशन ने जो लैंड लैस के लिए सिफारिश की है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, लैंड लेस लेबरर्स के लिए प्लानिंग कमीशन ने कहा है : "In the main, it is against the background of these basic features of the economic situation, that measures for rehabilitating the agriculture workers have to be divised.

The conclusion,as such,is that while re-distributing the land in favour of the landless has an essential role in the process of social and economic change, its effects in terms of higher living standards and fuller employment are limited. The problem, therefore, is to bring about large increase in agricultural production including animal husbandary and horticulture etc., to expand work opportunities within the rural economy, specially through intensive development of village and small industries and agriculture processing...

डॉ० बहादुर सिंह : समय हो गया है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य दो मिनिट में अपना वक्तव्य आज ही समाप्त कर दें।

श्री पी० के० चौधरी : आज समाप्त नहीं हो सकता, अभी मैंने डवेलप ही नहीं किया है। कल के लिए टाइम दे दीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : आपको दो मिनट का समय दिया जा सकता है, समय के प्रपोर्शन को देखते हुए। बहुत सारे सदस्य बोलना चाहेंगे, इसलिए, अगर हाउस मंजूर नहीं करता है, और थोड़ी देर बैठने को तैयार नहीं हैं, तो हमारी ओर से दो मिनिट में अपना वक्तव्य पूरा कर सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : कल खत्म कर दूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : आप चेयर को मजबूर नहीं करेंगे। अगर सब की राय हो थोड़ी देर बैठने की तो माननीय सदस्य को समय दे सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : जो चेअर ने फर्माया है वह ठीक है, आप एक घंटा ले चुके हैं।

श्री तनसिंह : अब नहीं बैठ सकेंगे।

श्रीश्रीभानसिंह : The House is not prepared to sit.

Page No.82

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य दो मिनिट में भाषण समाप्त कर दें। हाउस दो मिनिट और बैठ सकेगा।

(विराम)

अच्छी बात है, मेरा ख्याल है, हाउस आपके साथ रियायत कर पांच मिनिट दे देगा। और आप अपना भाषण आज ही पूरा कर देंगे।

श्री पी० के० चौधरी : कल के लिए रखा जाय, सभापति महोदया।

श्रीमती सभानेत्री : मैं निवेदन कर चुकी हूं कि इसमें मजबूरी है। बार बार चेयर को मजबूर न करें और वक्तव्य को पूरा कर दें। आप सदन को ज्यादा बैठने के लिए मजबूर न करें।

श्री पी०के० चौधरी : सभापति महोदया, अब मैं इस रिपोर्ट में जो दो-चार रिकमन्डेशन्स हैं, उनकी डिटेल मैं जानना चाहता हूं एक तो यह इस बेसिस पर इस इन्कम को जोड़ कर के टार्गेट बनाया, २४०० का इसमें एवरेज लगा दिया है पर फेमिन कन्डीशन इस प्रान्त की हैं उनका कोई ख्याल नहीं रखा गया है। फेमिन के लिये कमेटी ने खुद ने कहा है, एक कपलेट उन्होंने दिया है, फेमिन स्केरसिटी के लिये कमेटी ने सारे राजस्थान का दौरा किया था तो ओब्जर्वेशन्स हैं, उसको नोट किया है :

"सात काल सत्ताईस जमाना, त्रेसठ पूरा वाछा।

"तीन काल ऐसा पाडै, माय पूत मिले नहीं पाछा।"

In 100 years, there will be 7 scarcity years, 27 good years and 63 half-famine years. Out of the seven scarcity years, 3 will be such terrible years that mothers will not meet their sons.

यह कमेटी ने अपने ओब्जर्वेशन्स बताये हैं राजस्थान में फ्रूंड इयर्स के ७ काल आते हैं, जिनमें से तीन काल तो ऐसे आते हैं कि मां बेटे का मिलना नहीं होता। ऐसी भीषण भुखमरी इस प्रान्त में होती है, पर वहां इकॉनोमिक इन्कम का २४०० बेसिस बनाया उन्होंने इन फेमिन 'कन्डीशन्स' का ख्याल नहीं रखा, इस साल २४०० का एवरेज लगाया पर अगले पांच साल में इससे आधा होगा, तो जो २४०० का केल्कुलेशन किया है। हालांकि मैं इसके खिलाफ हूं २४०० का अगर लिमिट रखा गया तो रूरल एरिया से तो इस विधान सभा में अगले चुनावों में कोई नहीं जा सकता। क्योंकि चुनावों में पांच, सात हजार रुपया अमूमन. लोग खर्च करते हैं, २४०० का लिमिट रख दिया तो रूरल एरिया से तो कोई भी व्यक्ति इधर नहीं आ सकता, वहां से अगर कोई आयेगा तो शहर वालों से पैसा ले कर आयेगा और शहर वालों की हां में हां मिलायेगा। ८० पर्सेन्ट लोगों का डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट में आने का जो तरीका है उसको २४०० रुपयों की सीमा रख कर खत्म कर देते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि २४०० रुपया वर्क आउट किया है वह भी गलत है।

डॉ० बहादुरसिंह : समय बहुत हो गया है, साहब।

श्री पी. के. चौधरी : दो मिनिट कल लेऊंगा।

श्रीमती सभानेत्री : आपका समय तो पूरा हो गया। सदन की कार्यवाही कल ८ बजे प्रातःकाल तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० १२.३५ बजे पर दिनांक २५ अप्रेल, १९५८ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त–विवरण

(गुरुवार, २४ अप्रेल, ५८)

स्कम्भ — स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

संचालक, वन विभागके लेखकों का पुष्टिकरण।

संचालक सार्वजनिक सम्पर्क।

नगरपालिकायें–सवाई माधोपुर। सड़क निर्माण–झुंझुनू

ग्राम अखेपुरा, तहसील नावां के बलाई गोपी को जाटों द्वारा मारपीट कर गांव से भगा देने के सम्बन्ध में की गई शिकायत।

ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी, पाली द्वारा औषधियों की खरीद।

कामां पहाड़ी पर मेहराबदार नाली को चौड़ा करना।

विद्युत व्यवस्था, चम्बल विभाग कार्यालय।

सरपंच, मलारना डूंगर (सवाई-माधोपुर) के विरुद्ध गबन के आरोप।

सहकारी विभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

अर्दली, पुलिस विभाग।

प्रिंसिपल, कृषि कालेज, जोबनेर

८४४७ कोलवा (त० बांदीकुई) पुलिस थाने को भवन।

आयुर्वेदिक कालेज, जयपुर।

सिरोही के रैबारियों के द्वारा चरागाह की व्यवस्था के लिये दिया गया आवेदन-पत्र।

चराई की वसूली।

विद्युत वितरण सम्बन्धी नियम।

एम्पलायमेंट आफीसर्स के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का पुष्टीकरण।

गेंडाली व लाखेरी रोड (बूंदी)। पाली में घेर (होली) निकालने पर प्रतिबन्ध।

रसद विभाग के कर्मचारियों का पुष्टिकरण।

सहकारी समितियां, बांसवाड़ा।

सिंचाई क्षेत्रों का निर्धारण।

राजगढ़ (चुरू) के ग्रामों में जल कष्ट निवारण की योजना।

सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म।

काला पोखर (भरतपुर) से एक नाले का निर्माण।

स्कम्भ

कोटपूतली बहरोड़ सड़क।

सिटी इम्प्रुवमेंन्ट ट्रस्ट, कोटा।

रतनगढ़—राजलदेसर रोड़।

उदयपुर में सिंचाई योजनाओं का आपरीक्षण।

विधायी कार्य

राजस्थान नकदी जागीर उत्सादन विधेयक, १६५८। ८४१०

उपरोक्त विधेयक की द्वितीय अनुसूची पर राजस्व मंत्री ने संशोधन प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् प्रथम व द्वितीय अनुसूचियां, खण्ड १, आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

अधिकतम सीमा निर्धारण समिति प्रतिवेदन पर वाद-विवाद। ८५१३

राजस्थान में कृषि भू-क्षेत्रों की

स्कम्भ

अधिकतम सीमायें निर्धारण करने के लिये नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट पर आज वाद-विवाद प्रारम्भ हुआ जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:-

१. श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा
२. श्री माधोसिंह
३. श्री तनसिंह
४. श्री राजाराम
५. श्री नारायणसिंह मसूदा
६. श्री दयाकृष्ण विजय
७. श्री पी. के. चौधरी

शुक्रवार दिनांक २५ अप्रेल १६५८ की कार्यसूची

अधिकतम सीमा समिति की रिपोर्ट पर वाद-विवाद

(अग्रेतर खण्डशः विचार विमर्श एवं पारित)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५८८ का उत्तर देखिये)

प्रश्न संख्या ३५४ एल. एल. एम. की सूची।

आयुर्वेदिक कॉलेज जयपुर

क्र.सं.	नाम अध्यापक	योग्यता	वेतनस्तर	विशेष
१.	श्री जयरामदास स्वामी	आयुर्वेदाचार्य	४०० से ८००	प्रिन्सिपल
२.	श्री कल्याणप्रशाद शर्मा	भिषगाचार्य	२५० से ६००	प्रोफेसर
३.	श्री श्रीनिवास चतुर्वेदी	आयुर्वेदाचार्य एम.बी.बी.एस.	२५० से ६००	प्रोफेसर
४.	श्री सुखदेवचन्द्र पराशरी	डी. आई. एस. एस.	२५० से ६००	प्रोफेसर
५.	श्री मोहनलाल भार्गव	भिषगाचार्य	२५० से ६००	प्रोफेसर
६.	श्री छाजूलाल शर्मा	भिषगाचार्य	१५० से ३००	लेक्चरार
७.	श्री ईश्वरदास स्वामी	भिषगाचार्य	१५० से ३००	लेक्चरार
८.	श्री मोतीराम स्वामी	भिषगाचार्य	१५० से ३००	लेक्चरार
९.	श्री रामगोपाल शर्मा	भिषगाचार्य	१५० से ३००	लेक्चरार
१०.	श्री रामदयाल शर्मा	भिषगाचार्य	१५० से ३००	लेक्चरार
११.	श्री जसराज जोशी	आयुर्वेदाचार्य	१५० से ३००	लेक्चरार
१२.	श्री पूर्णानन्द शर्मा	भिषगाचार्य	१५० से ३००	लेक्चरार
१३.	श्री सेवकराम स्वामी	भिषगाचार्य	१५० से ३००	लेक्चरार

इसके अतिरिक्त ४ पार्ट टाइम शिक्षक ५० रु० मासिक के स्वीकृत हैं जिनमें से वर्तमान में २ शिक्षकों का स्थान रिक्त है।

१	२	३	४

आयुर्वेदिक कालेज उदयपुर

१.	श्री श्यामसुन्दर शर्मा	डबल आयुर्वेदाचार्य	४०० से ८०० प्रिन्सिपल
२.	श्री रूपशंकर शर्मा	आयुर्वेदाचार्य	२५० से ६०० प्रोफेसर
३,	श्री प्रभुदत्त शर्मा	भिषगाचार्य	२५० से ६०० प्रोफेसर
४.	श्री जगन्नाथ शर्मा	आयुर्वेदाचार्य	१५० से ३०० लेक्चरार
५.	श्री वासुदेव शर्मा	भिषगाचार्य	१५० से ३०० लेक्चरार
६.	श्री दुर्गाप्रसाद दिवाकर	भिषगाचार्य	१५० से ३०० लेक्चरार
७.	श्री मोहनलाल	भिषगाचार्य	१५० से ३०० लेक्चरार
८.	श्री मदनकुमार	भिषगाचार्य	१५० से ३०० लेक्चरार
९.	श्री रंगनाथ शर्मा	भिषगाचार्य	१५० से ३०० लेक्चरार

इनके अतिरिक्त ७ पार्ट टाइम शिक्षक ५० मासिक पर कार्य कर रहे हैं।

सूची श्रेणीवार छात्र संख्या

श्रेणी	आयु० कालेज, जयपुर	आयु० कालेज उदयपुर
१. भिषग्वर प्रथम वर्ष	२७	१३
२. ,, द्वितीय वर्ष	१८	१६
३. ,, तृतीय वर्ष	८	४
४. ,, चतुर्थ वर्ष	१३	१०
५. भिषगाचार्य प्रथम वर्ष	७	१
६. ,, द्वितीय वर्ष	२	५
	७५	५२

इसके अतिरिक्त उदयपुर में छात्री उपवैद्य प्रशिक्षण में ७० छात्र एवं २० छात्रायें प्रशिक्षण ले रही हैं।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५६८ का उत्तर देखिये)

जिला बांसवाड़ा की आकृथक सहकारी समितियों के प्रगति के ब्योरे की सूची

क्रमांक	नाम समिति	किस्म समिति	समिति के बनने के समय की स्थिति: सदस्यता	हिस्सा पूंजी	अमानत	वर्तमान स्थिति: सदस्यता	हिस्सा पूंजी	अमानत	ऋण जो दिया गया	जिस कार्य के लिये ऋण दिया गया
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१.	दी कुशलगढ़ सहकारी कन्जूमर्स सेवा समिति लि०, कुशलगढ़ ।	क्रय-विक्रय उपभोक्ता भंडार	२६२	६६८८)	–	२५६	५६३८)	–	–	
२.	बांसवाड़ा उपभोक्ता सहकारी समिति लि.	,,	१४६	३८८०)	–	१४६	३८८०)	–	१८७०)	व्यापार के लिए ।
३.	बुनकर उत्पादक सहकारी समिति लि., चन्दजी का गुढ़ा ।	औद्योगिक बुनकर	१२	५४) ८५०)		१२	५४) ८५०)		–	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
४.	बुनकर उत्पादक सहकारी समिति लि. गोपीनाथजी का गुढा।	,,	१०	७८)	–	११	८२)	१४७)		
५.	घाटोल ताड़गुड़ उत्पादक सहकारी समिति लि.	ताड़ गुड़ उत्पादक	२२	५५)	–	३०	१५५)	–	१०००)	ताड़गुड़ उद्योग चलाने हेतु
६.	अरथूना ताड़गुड़ उत्पादक सहकारी समिति लि.	,,	३३	८२)	–	३८	३८५)	१७३)	१५००)	,, ,, ,,
७.	बांसवाड़ा ताड़गुड़ उत्पादक सहकारी समिति लि०	,,	१५	३७)	–	३३	३६३)	४१)	१३००)	,, ,, ,,
८.	बांसवाड़ा राज्य कर्मचारी सहकारी समिति लि०	कर्मचारी	४२	३६५)	–	६१	८४०)	३००)	४६००)	सदस्यों को ऋण देने हेतु
९.	बांसवाड़ा मोचियान सहकारी समिति लि०	उत्पादक	२५	१२५)	–	४२	१२८)	–		
१०.	दी पंजाब उत्पादक सहकारी समिति लि. गढ़ी	लोहा उत्पादक	१०	१०००)	–	१०	१०००)	–		

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
११.	बीड़ी उत्पादक सहकारी समिति लि० बांसवाड़ा ।	बीड़ी उत्पादक	२४	१५१२)	–	२४	१५१२	–		
१२.	लोहारिया ताड़गुड़ उत्पादक सहकारी समिति लि०	ताड़गुड़ उत्पादक	१८	४५)	–	४५	४७०)	–	१५००)	ताड़गुड़ उद्योग चलाने हेतु
१३.	वस्तु उत्पादक सहकारी समिति लि० बागीडोरा ।	बुनकर उत्पादक	१५	३७)	–	१५	३७)	–		
१४.	धोखला चर्म उद्योग सहकारी समिति	चर्म उत्पादक	१३	३२)	–	१३	६७)	–		
१५.	बड़ोदिया वस्तु उत्पादक सहकारी समिति	बुनकर उत्पादक	१४	१४०)	–	१४	१४०)	–		
१६.	नोगावां उत्पादक सहकारीं समिति	,,	१५	३७)	–	१५	३८)	–		
१७.	तेल उत्पादक सहकारी समिति लि० परतापुर ।	तेलउद्योग	१५	१५०)	–	१५	१५०)	–	६००)	तिलहन संग्रह व तेलघानी उद्योग हेतु ।
१८.	बडोदिया चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०	चर्म उत्पादक	१३	१३०)	–	१३	१३०)	–		

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१९.	जवाहर उत्पादक सहकारी समिति, कुशलगढ़ ।	उत्पादक जिनिंग काटन	१४	३७५८०)	–	१४	३७५८०)	–		
२०.	बुनकर वस्तु उत्पादक सहकारी समिति घाटोल ।	बुनकर उत्पादक	१८	१००)	–	१८	१००)	–		
२१.	विश्वकर्मा लेवर कान्ट्रेक्ट समिति लि०, बासवाड़ा ।	लेवर कान्ट्रेक्ट	१७	३४०)	–	१७	३४०)	–		
२२.	तेल उत्पादक सहकारी समिति लि०, अरथूना ।	तेल उत्पादक	१२	४५०)	–	१२	४५०)	–	२७००)	,, ,, ,,
२३.	तेल उत्पादक सहकारी समिति लि० पृथ्वीगंज ।	,,	१४	१४०)	–	१४	१४०)	–		
२४.	कालिञ्जरां तेल उत्पादक सहकारी समिति लि०	,,	१२	६५०)	–	१२	६५०)	–	४५००)	तेलघाणी उद्योग हेतु ।
२५.	गढी तेल उत्पादक सहकारी समिति लि.	,,	१०	३००)	–	१७	४२०)	–	२४००)	तिलहन संग्रह व तेलघाणी उद्योग हेतु ।

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
२६.	खादी उत्पादक सहकारी समिति लि० परतापुर ।	उत्पादक	१२	१२०)	१२)	१२	१२०)	१२)		
२७.	परतापुर केन्द्रीय क्रय-विक्रय संघ लि०	क्रय-विक्रय	३७	१५४५०)	३७)	३७	१५४५०)	३७)		
२८.	राखो चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि० ।	उत्पादक	११	२२०)	–	११	२२०)	–	११००)	चर्म उद्योग हेतु ।
२९.	बुनकर उत्पादक सहकारी समिति लि.खेरा	,,	१२	१२०)	–	१२	१२०)	–		
३०.	कालिंजरा चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०	,,	१३	५२०)	–	१३	५२०)	–	१५००)	चर्म उद्योग हेतु ।
३१.	अरथूना बुनकर उत्पादक सहकारी समिति लि०	बुनकर उत्पादक	–	–	–	७१	१७८)	७१)		
३२.	बांस टोकरी उत्पादक सहकारी समिति लि०, अरथूना ।	उत्पादक	१६	४०)	१६)	१६	४०)	१६)		
३३.	चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि, अरथूना ।	चर्म उत्पादक	–	–	–	१८	६०)	१८)		

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
३४.	टोकरी उत्पादक सहकारी समिति लि०, अरथूना।	उत्पादक	–	–	–	१०	३५)	१०)		
३५.	बांसवाड़ा लोह वस्तु उत्पादक सहकारी समिति लि०, बांसवाड़ा।	,,	–	–	–	१७	१७०)	–		
३६.	नहाली फारेस्ट लेबर कान्ट्रेक्ट सोसाइटी लि०	श्रमिक	–	–	–	३०	७५)	–		
३७.	अलंकेश्वर वन वस्तु उत्पादक सहकारी समिति लि०	उत्पादक	१५	१५०)	–	१५	१५०)	–		
३८.	कुशलगढ़ चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०	चर्म उत्पादक	१२	२४०)	–	१२	२४०)	–		
३९.	बांसवाड़ा गृह निर्माण कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०	गृह निर्माण	–	–	–	१४	१४०)	–		
४०.	कुशलगढ़ घाणी तेल उत्पादक सहकारी समिति लि०	उत्पादक	–	–	–	१०	२२५)	–		

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
४१.	काष्ट वस्तु उत्पादक सहकारी समिति लि०, आमलीपाड़ा ।	,,	—	—	—	१०	१६००)	—		
४२.	किसान केन्द्रीय काटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग सहकारी समिति लि., बड़ोदिया ।	,,	—	—	—	२०६	१७९२५)	—		

— —

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६०१ का उत्तर देखिये)

Statement showing location of Seed Multiplication Farms during 1956-57, 1957-58 and 1958-59 and progress made against them...

S. No.	District	Location during 1956-57.	Progress	Location during 1957-58.	Progress	Location during 1958-59.
1.	Jaipur.	-	-	1. Bandikui 2. Durgapura.		1. Bgirath
2.	S. Madhopur	1. Hindaun.	-	3. S. Madhopur 4. Khandar.	1. Started 2. -do- 3. Hindaun.	
3.	Tonk.	-	-	5. Malpura	4. Started.	
4.	Bhartpur.	2. Bhartpur.	-	6. Baseri.	5. -do- 6. Bhartpur.	
5.	Alwar,	-	-	7. Maujpur. 8. Kishagngarh Bas	7. Started.	- -
6.	Sikar.	-	-	9. Neem-ka-thana.		-
7.	Jhunjhunu.	-	-	-		2 hJunjhunu
8.	Udaipur.	-	-	10. Mavali. 11. Sardar-garh	8. Started 9. -do-	3.Gogunda.
9.	Dungarpur.	-	-	12. Dameria.	-	

1	2	3	4	5	6	7
10.	Bhilwara.	-	-	13. Near MejaDam.	10. Started	4. Gulab-pura
11.	Banswara.	3. Banswara.	1. Started	-	-	
12.	Kotah.	4. Kotah	2, -do-	14. Boakhera	11. Started.	5. Baran
13.	Bundi.	-	4	15. Bundi,	-	
14.	Jhalawar	-	-			6. Khanpur 7. Jhalara-patan
15.	Chittorgarh.	-	-	16. Chittor-garh. 17. Kapasin.	12. Started	
16.	Jodhpur.	-	-	-	-	8. Jodhpur.
17.	Pali.	5. Sumerpur.	-	18. Pali	13. Sumer pur	9. Pali.
18.	Sirohi,	-	-	19. Oradam.	-	
19.	Nagaur.	-	-	20. Harsori.	14. Started	10. Nagaur
20.	Sri ganganagar.	-	-	-	-	11. Hanum-angarh
21.	Churu.	-	-	-	-	12. Churu
22.	Jaisalmer	-	-	-	-	13. Jaisal-mer.
23.	Jalore.	-	-	-	-	14. Gudha-Balotra.

8	2	3	4	5	6	7
24. Barmer.	–	–	–	–	15. Barmer.	

Farms of 25 acres in Ajmer.

	1	Masuda.
1. Ajmer	2	Makrvi.
	3.	Bhiuai.
	4-	Srinagar.

परिशिष्ट ४

(प्रश्नकाल में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

प्रश्न

कोटा-बारां रोड़

१६०६. श्री भैंवरलाल 'कालाबादल' (अकलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) कोटा-बारां रोड़ पर १८ मील के फासले तक कितनी पुलियां टूटी हुई हैं तथा इनके टूटने का क्या कारण है ?

(ख) उपरोक्त पुलिया कब किसके द्वारा बनाई गई थी ?

(ग) क्या यह सही है कि उस समय के पी. डब्ल्यु. डी. इन्जीनियर ने इन पुलियों को बिना देखे ही पास कर दिया था ?

उत्तर

(क) तीन.... ।

चम्बल प्रोजेक्ट के भारी वज़नी मशीनें ले जाने के कारण ।

(ख) कोटा स्टेट के समय में ।

(ग) सही नहीं है ।

प्रश्न

सिंचाई के तालाब नाथद्वारा

१६१०. (४५५।एच, एम,) श्री किशनलाल शर्मा, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर (७७):—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) नाथद्वारा तहसील में पुराने सिंचाई योग्य कितने तालाब हैं ?

(ख) क्या सभी तालाबों से सिंचाई होती है ? अगर हां, तो कितनी ?

(ग) क्या अमरचन्द का तालाब और गांव गुडा तालाब जो बड़े तालाब हैं उनसे सिंचाई बढ़ाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(घ) लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत क्या कोई योजना नाथद्वारा तहसील के लिए विचाराधीन है ?

उत्तर

(क) पुराने सिंचाई योग्य तालाबों की सूची संलग्न है।

(ख) इन तालाबों में से १९५६।५७ में जो सिंचाई हुई वह सूची के कालम नं० ३ में अंकित है।

(ग) हां।

(घ) नहीं।

परिशिष्ट

नाथ द्वारा में पुराने सिंचाई योग्य तालाबों की सूची

क्र० सं०	नाम तालाब	सिंचाई एकड़ों में	विवरण
१	२	३	४
१	नाभ गुडा	१४	
२	सलोदा	५१	
३	भूताल		
४	सगरून	४०	
५	धावेला		
६	माना। समनोर।		
७	मालेखा	१५६	
८	वोडच		
६	अमरचन्दीया	३	

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण गुरुवार, दिनांक २४ अप्रैल, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
८४५१	२१	know	known
८४६२	१२	गव	गांव
८४७८	१४	मेडसन	मेडिसिन
८५०५	१	श्र बद्र प्रसाद	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
८५११	७	Aboition	Abolition
८५३४	२०	keric	Kheri
८५६३	शीर्षक	सीलिंग सनिति के प्रतिवेदन हर वाद-विवाद	सीलिंग समिति के प्रतिवेदन पर वादविवाद
८५६४	३	श्री सभा	श्री सभापति
८५६७	शीर्षक	सीनिंग	सीलिंग
८५६७	अन्तिम से ६	स्टेटिसटिक्स	स्टेटिस्टिक्स
८५७६	७	कै । हो	कैसी हो।
८५९९	अन्तिमसे १४	onata	one at a
,,	१५	ढिमान्ड	डिमान्ड
,,	अन्तिम	Firslty	Firstly
८६१६	४	निम्नां	निम्नांकित